मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियां पर शारीरिक–मानसिक विकास तथा नामांकन–ड्राप आउट पर प्रभाव का अध्ययन

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

को पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध

निर्देशक

जेवीएन डॉ. मंजू शर्मा

शोधार्थी

जेवीएन अर्चना शर्मा

JVR-II/17/10084

शिक्षा एवं प्रविधि विभाग

शिक्षा एवं प्रविधि संकाय

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) भारत

2020

अध्याय 1

अवधारणात्मक परिचय

विषय प्रवेश

मानव का इतिहास मानव के भोजन करने के तरीकों के साथ चलता है। आदिमानव आखेटक एवं खाद्य पदार्थों को जंगल से इकठ्ठा करता था। इसी क्रम में मानव ने पशुपालन की शुरूआत की और इससे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाही। धीरे–धीरे मानव ने कृषि को अपनाया जिससे मानवीय सभ्यता का उत्तरोत्तर तीव्र विकास होता गया। 'यह लगभग 12000 वर्ष पूर्व से प्रचलन में है। किंतु विडम्बना यह है कि आज भी विश्व की बड़ी जनसंख्या के पास भरपेट खाना नसीब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 821 मिलियन लोग भूखे है। इनमें 150 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार है। इस कुपोषण का परिणाम व्यापक है।'[1] 'अमर्त्य सेन ने 'आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य के अंतर्गत कुपोषण को व्यक्ति की स्वातंत्र्य में बाधक बताया है।'[2] एक कुपोषण से ग्रसित बच्चा शिक्षा में अपनी उत्पादकता खो देता है क्योंकि वह मानसिक एवं शारीरिक विकास की निम्नतर स्थिति से ग्रसित है। शिक्षा से वंचित या कम उत्पादकता युक्त शिक्षित व्यक्ति भावी वर्षों में रोजगार के अवसरों से वंचित हो जाता है। रोजगार से वंचना व्यक्ति के आर्थिक विकास को रोकती है। यह व्यक्ति समाज के अंतर्गत आत्मसम्मान एवं गरिमा से वंचित होता है। फलतः समाज की गुणवत्ता गिरती है। ऐसा समाज निम्न स्तरीय प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न होता है। इसका उदाहरण अधिकतर अविकसित देश जिनकी शिक्षा निम्न स्तरीय है वहां कुपोषण

एक गंभीर दुष्चक्र को प्रोत्साहित करता है और बच्चों की शिक्षा से वंचित होने की दर को बढ़ाता है। 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में चाड़, जियरा, लियोन, मेडागास्कर, जाम्बिया, यमन, सूडान और लाइबेरिया भयावह भुखमरी से ग्रसित बताए है। इन देशों में आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक स्तर की है वहीं सामाजिक परिवेश में हिंसा का वातावरण है।'[3]

'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में 119 देशों की सूची में भारत का 103वां स्थान है जो भारत की गरीबों के प्रति सुमेघता को दर्शाता है। भारत में अनुच्छेद 21 (क) के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता है। इसी कारण देशभर में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया गया है किंतु विद्यालय छोडने की दर एक चिंता का विषय बनी साथ में बच्चों की भयावह कुपोषण का स्तर नीति निर्माताओं को लोतांत्रिक समाजवादी देश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्माण की प्रेरणा देता है।'[4]

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संक्षिप्त ऐतिहासिक वर्णन

भारतीय संस्कृति में परोपकारिता की भावना इसके मूल में है। इसी से प्रेरित होकर गुरूकुलों, मदरसों, गुरूद्वारों में भोजन कराने की परम्परा रही है। '1578 में बिहार के भागलपुर जिले में मखदुम शहबाडा द्वारा संचालित एवं बादशाह जहांगीर द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसे में लगभग 200 विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था।'[5]

स्वतंत्रता पूर्व

'1925 में ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत मद्रास निगम द्वारा मध्याह्न भोजन संचालन। इसी तरह से 1930 में फ्रेंच प्रशासन के द्वारा पुड्डुचेरी में यह कार्यक्रम लाया गया।'[6]

स्वतंत्रता पश्चात्

'1953 में उत्तरप्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को अंकुरित चने, मूंगफली, पुलाव, उबले हुए आलू और फल वितरित करने का कार्य स्वयं सेवको द्वारा संचालित किया।'[7]

'1962–63 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की पहल की, जिसका आगे समस्त राज्य में विस्तार किया गया। 1982 में तत्कालीन सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को 'पौष्टिक खाद्य योजना' में परिवर्तित किया। जिसमें तमिलनाडु के 68 लाख कुपोषित बच्चों को राहत एवं सहायता मिली।'[8]

'1984 में गुजरात ने इसकी शुरूआत की लेकिन बादमें इसे बंद कर दिया। 1984 में केरल सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को लाया गया। इस प्रकार 1990–91 में 12 राज्यों तमिलनाडु, आंध्रप्रेदश, केरल, गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र में राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित रही। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सहायता द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित हुई।'[9]

केन्द्र सरकार द्वारा पहल

नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ–साथ बच्चों में पौषणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था।

'वर्ष 2001 में यह कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना में परिवर्तित हो गया जिसके तहत प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम 200 दिनों के लिए 8–12 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन और ऊर्जा के न्यूनतम 300 कैलोरी अंश के साथ मध्याह्न भोजन परोसा जाना था। योजना का वर्ष 2002 में न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों को कवर करने के लिए अपितु शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक भी विस्तार किया गया था।'[10]

'सितम्बर, 2004 में योजना को दालों, वनस्पति खाने के तेल, मसालों, ईंधन की लागत और खाना पकाने के लिए जिम्मेदार ऐजेंसी के कार्मिकों को देय मजदूरी और पारिश्रमिक या देय राशि को कवर करने के लिए 1 रूपया प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन की दर से खाना पकाने के लागत के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था। परिवहन आर्थिक सहायता को विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पहले के अधिकतम 50 रूपए प्रति क्विंटल से 100 रूपए और अन्य राज्यों के लिए 75 रूपए प्रति क्विंटल तक भी बढ़ाया गया था। खाद्यान्नों की लागत, परिवहन

आर्थिक सहायता और खाना पकाने में सहायता की लागत के 2 प्रतिशत की दर से योजना के प्रबंध, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए पहली बार केन्द्रीय सहायता प्रदान की गइ्र थी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन देने के लिए भी प्रावधान किया गया था।'[11]

'जुलाई, 2006 में योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के लिए 1.80 रूपए प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन और अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1.50 रूपए प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन की खाना पकाने की लागत को बढ़ाने के लिए और संशोधित किया गया था। पौषणिक मानदण्ड़ को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के लिए संशोधित किया गया था। रसोई सह भण्डार के निर्माण और विद्यालयों में रसोई उपकरणों की खरीद में सुविधा देने के उद्देश्य से चरणबद्ध ढंग से 60,000 रूपए प्रति यूनिट की दर से केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया था।'[12]

'अक्टूबर 2007 में योजना का 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया था। योजना का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम से बदल कर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया था। उच्च प्राथमिक अवस्था के लिए पौषणिक मानदण्ड़ 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निश्चित किया गया था। दिनांक 1.04.2008 से योजना को देशभर में सभी क्षेत्रों के लिए विस्तार दिया गया था।'[13] अप्रैल, 2008 में योजना को एसएसए के तहत सहायता मान्यता प्राप्त के साथ–साथ अमान्य मदरसों तक संशोधित किया गया था।

विश्व में मध्याह्न भोजन योजना वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 86 देशों में चलायी जा रही है। 2015 में ग्लोबल समिट में विकास के 17 लक्ष्यों में एक लक्ष्य 'जीरो हंगर' भी रखा गया था। इसकी पूर्ति के लिए वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन 2016 से विश्व के गरीब, निम्न और विकासशील देशों में कुपोषण को दूर करने, सभी को भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जीरो हंगर स्कीम चला रहा है जिसमें विद्यालयों के बच्चों के अतिरिक्त गरीब, विकलांग, बीमार, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भोजन दिया जा रहा है जो भोजन उपलब्ध कर पाने में असक्षम है।

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य

'इस योजना के लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो मुख्य समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है –

1. सरकारी स्थानीय निकाया और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और ईजीएस और एआईई केन्द्रों तथा सर्वशिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना।

2. लाभवंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता करना।

3. ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीडित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

4. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देने हेतु नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि करना, ड्राप आउट को रोकना।

5. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि करना।

6. अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालय में आना और ठहराव सुनिश्चित करना।

7. सीखने के स्तर को बढ़ावा देना।

8. वंचित वर्ग के परिवारों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।

9. बालक बालिकाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

10. विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को बढ़ावा देना।

11. विद्यार्थियों में सामाजिक समानता को बढ़ावा देना।'[14]

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

चर्च वर्ल्ड सर्विस ने दिल्ली और मद्रास नगर निगम को दूध पाउडर प्रदान किया। केयर ने मकई सोया, गेहूं और वनस्पति तेल प्रदान किया। यूनिसेफ ने उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ प्रदान किए है। खाद्य और कृषि संगठन से सहायता के साथ 'फूड फॉर लर्निंग संचालित किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लडकियों के लिए पोषण प्रदान करना था परंतु वर्तमान में यह सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित किया जा रहा है। खाद्य और पोषण शिक्षा के लिए संपूर्ण विद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों, खाद्य विक्रेताओं, किसानों तक को शामिल किया गया। इसी कार्यक्रम में विद्यालय स्तर के खिलाडियों के लिए विशेष पोषण भी शामिल किया गया।

केन्द्रीय सहायता के संघटक

'इस समय मध्याह्न भोजन योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है –

1. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।

2. 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और त्रिपुरा) के लिए दिनांक 1.012.2009 से इनमें प्रचलित पी.डी.सी. दरों के अनुसार परिवहन सहायता। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 रूपए प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय खाद्य निगम से प्राथमिक विद्यालय तक खाद्यान्न के परिवहन में हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

3. दिनांक 1.12.2009 से भोजन पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक प्रभार को छोड़कर) प्राथमिक बच्चों के लिए 2.50 रूपए की दर से और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 3.75 रूपए की दर से प्रदान की जाती है और दिनांक 1.04.2010 तथा 1.04.2011 को इसे पुनः 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। 1 जुलाई, 2016 से इन दरों में फिर से परिवर्तन किया गया है और परिवर्तित दरे निम्न तालिका में दी गई है। भोजन पकाने की लागत की केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य हिस्सेदारी 90:10 के आधार पर है

और अन्य राज्यों/संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर वहन की जाती है। तदनुसार केन्द्र की हिस्सेदारी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की न्यूनतम हिस्सेदारी वर्ष 2016–17 के लिए इस प्रकार है –

सारणी 1.1

मध्याह्न भोजन योजना में केन्द्र तथा राज्यों की आर्थिक भागीदारी

स्तर	प्रति भोजन कुल	खर्च संशोधित दर रूपए में		पूर्वोत्तर राज्यों में दर रूपए में	
	लागत रूपए में	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राथमिक	4.13	2.48	1.65	3.72	0.41
उच्च प्राथमिक	6.18	3.71	2.47	5.56	0.62

भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, भोजन पकाने के तेल और मिर्च–मसालों, ईंधन इत्यादि की लागत शामिल है।

4. पूरे देश में किचन सह स्टोर के निर्माण की दर प्रति विद्यालय 60,000 रूपए की एक समान दर के स्थान पर दिनांक 1.12.2009 से निर्माण लागत को क्षेत्र मानदण्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्य अनुसूची दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। किचन सह स्टोर की निर्माण लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर की जाती है। इस विभाग ने दिनांक 31.12.2009 के अपने पत्र संख्या 1–1/2009 डेस्क एमडीएम के जरिए सौ बच्चों तक स्कूलों में किचन सह स्टोर के निर्माण हेतु 20 वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारति किया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों तक के लिए 4 वर्ग

मीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोडा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर सौ बच्चों के स्लैब को संशोधित करने का अधिकार होता है।

5. 5000 रूपए प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचन के सामान में निम्नलिखित शामिल है –

भोजन पकाने का सामान, स्टोव, चूल्हा इत्यादि।

खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर

भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।

6. दिनांक 1.12.2009 से रसोइया सह सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय को 1000 रूपए प्रतिमाह करना और 25 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक रसाइए कम सहायक, 26 से 100 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में दो रसोइया सह सहायक ओर अतिरिक्त प्रत्येक 100 विद्यार्थियों तक के लिए एक अतिरिक्त रसोइया सह सहायक की नियुक्ति करना। रसोइया सह सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के मध्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए 75:25 के आधार पर होती है।

7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस योजना के प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए सहायता खाद्यान्न, परिवहन लागत और भोजन पकाने की लागत, रसोइया सह सहायक को मानदेय के लिए कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत। खाद्यान्न परिवहन लागत, भोजन पकाने की लागत, रसोइया सह सहायक को मानदेय की कुल सहायता के 0.2

प्रतिशत का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।'[15]

गैर सरकारी संगठनों को आउट सोर्स करना

शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहां गैर सरकारी संगठनों की केन्द्रीकृत रसोइयां जो कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न है, के लिए रसोई सह भंडार के स्थान नहीं है। इस महत्वपूर्ण योजना में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को आउट सोर्स किया गया है।

मध्याह्न भोजन के दिशा निर्देश पंचायतीराज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, महिला संगठनों ओर स्थानीय समाज की सहायता से मध्याह्न भोजन को रसोइया सह सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई सह भंडार में पकाने पर जोर देते है। वर्तमान में देशभर में इस योजना में 447 गैर सरकारी संगठन संलग्न है। इस योजना में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 185 और 102 है।

'इस योजना के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ निम्न प्रकार है –

1. गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी, कार्पोरेशन आदि। ऐजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षो से अस्तित्व में होनी चाहिए। इसके पास

समुचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढांचा होना चाहिए। जिसके कार्यों और अधिकारों इसके संविधान में स्पष्ट उल्लेख हो।

2. गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निकाय के मध्य होने वाले अनुबंध में पक्षों का उत्तरदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होना चाहिए। बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सख्त व्यवस्था होना भी इसमें शामिल है।

3. चयनित मध्याह्न भोजन आपूर्तिकर्त्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और योजना अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।

4. इस प्रकार की मध्याह्न भोजन योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होता है। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होता है।'[16]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन योजना का एकीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के उद्देश्य से सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को लिखा है। इस एकीकरण का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच और प्रबंध करना है। इसके तहत जन्म के समय त्रुटियों, कमियों, बीमारियों, बच्चे के विकास में देरी सहित विकलांगता का प्रबंध करना भी सम्मिलित है। इस योजना को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना से भी जोड़ा गया जिसमें पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मध्याह्न भोजन योजना

इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता का भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाऐं और स्तन पान कराने वाली माताऐं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के छह माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होगी। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार है। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए है।

खाद्य सुरक्षा योजना एवं डब्ल्यूटीओ

'विकासशील देशों एवं अल्पविकसित देशों के सामने बढ़ते वैश्वीकरण के दौर में संभावनाऐं एवं चुनौतियां समानान्तर है। जहां 1986–88 के मूल्य पर डब्ल्यूटीओ भारत को 10 प्रतिशत तक कुल उत्पादन मूल्य की सब्सिडी देने की सीमा अधिरोपित है। इसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग दो तिहाई भारतीय आबादी को सुरक्षित, पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने पर पडेगा। जिसमें विद्यालयों में आवंटन प्रभावित होगा क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भाग है।'[17]

मध्याह्न भोजन योजना एवं सतत् विकास लक्ष्य

'सतत् विकास लक्ष्य 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक पहल है।

सतत् विकास लक्ष्य

अगस्तर 2015 में 193 देश निम्नलिखित 17 लक्ष्यों पर सहमत हो गए

- पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति।
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा।
- सभी आुय के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा ओर स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
- समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।

- सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
- लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा।
- देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
- सुरक्षित, लचीले और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाही करना।
- स्थायी सतत् विकास के लिए महानगरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का सरंक्षण और उपयोग।
- सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमिक्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
- सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
- सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।'[18]

मध्याह्न भोजन योजना इनसे संगतता दर्शाता है और सतत् विकास लक्ष्यों का पूरक है। गरीबी व इसके सभी रूपों के अंत के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है जैसा कि अमर्त्य सेन ने स्वातंत्र्य की अवधारणा में बताया है। कोई भी व्यक्ति भूखे पेट शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। यह विवेकानंद की पंक्तियां इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। मध्याह्न भेाजन बच्चों को एक समय भरपेट भोजन उपलब्ध कराता है जो बेहतर पोषण की गारंटी है। भारत में विषमता का स्तर व्यापक है। जहां एक ओर समाज जाति आधारित संरचनात्मक ढांचे से ग्रसित है दूसरी ओर राज्यों में आपसी असमानता है जैसे महाराष्ट्र, पंजाब एवं दक्षिण के राज्य अधिक विकसित जबकि उत्तर के राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सामाजिक–आर्थिक विषमताओं से ग्रसित है। भारतीय राज्यों का विकास में अमर्त्य सेन ने दर्शाया है कि कैसे जलकल्याण योजनाऐं न्यायसंगत, समतामूलक समाज का निर्माण करती है। इस विषमता में भारत के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड़, बिहार में गरीबी की हिंसा के साथ भयंकर विकरालता है। हम भारत की भौगोलिक विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहाडी राज्यों में अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी है।

इन सब के मध्य मध्याह्न भोजन योजना पहाडी राज्यों में बच्चों का विद्यालय एवं घर तक विद्यालय से खाने को लौटना एवं वापिस विद्यालय जाना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि अमानवीय भी है। गरीब राज्यां में अपने परिवार के भरण पोषण पर अपनी आय का बडा प्रतिशत खर्च करने वाले परिवारों की संख्या अत्यधिक है। ऐसे राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना प्रत्यक्ष रूप से गरीब राज्यों की बडी जनसंख्या की

आमदनी में खर्चों की विविधता लाती है। ऐसे परिवार अपनी आय को खाने पर खर्च न करने वाले भाग को अन्य मूलभूत सेवाओं पर खर्च करेंगे। इस प्रकार यह सतत् विकास लक्ष्य के समावेशी एवं संधारणीय विकास व लाभकारी रोजागर की धारणा को चरितार्थ करता है।

'सतत् विकास लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की पहल है। भारत में जहां पितृसत्तात्मक तंत्र विकसित रूप में है। जहां 21वीं सदी में भी लैंगिक विषमता गंभीर स्तर पर है जिसका कारण गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियां, पितृसत्तात्मक ढांचा एवं सुलभ उपलब्ध तकनीक है। इसका परिणाम निम्न स्तर पर लड़कियों का नामांकन, उच्च विद्यालय छोडने की दर एवं गिरता शिशु लैंगिक अनुपातमें परिलक्षित होता है जो भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में 916 है। ऐसे विसंगतिपूर्ण समाज में मध्याह्न भोजन योजना ने नामांकन दर को बढाया है। लडकों के समान लडकियों को पोषण उपलब्ध करवाया है। अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य में शिक्षा के प्रसार द्वारा समाज की मानसिकता पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पडेगा।'[19]

मानव संसाधन का विकास का सीधा संबंध उस राज्य या राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों से है यह सुविकसित सिद्धांत को बल दिया अमर्त्य सेन एवं महबूब उल हक ने जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का विकास किया। सतत् विकास लक्ष्य देश के अंदर भारी विषमता को कम करने पर ध्यान देता है। मध्याह्न भोजन योजना विकासित राज्य महाराष्ट्र, पंजाब एवं हिंसाग्रस्त गरीब राज्य झारखण्ड दोनों के बच्चों के लिए समान पोषण स्तर सुनिश्चित करने का सराहनीय प्रयास है।

कार्यान्वयन मॉडल

विकेन्द्रीकृत मॉडल – 'यह सबसे व्यापक मॉडल है। विकेन्द्रीकृत मॉडल में भोजन स्थानीय रसोइयों और सहायकों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा विद्यालय में ही पकाया जाता है। इस प्रणाली का लाभ आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री का उपयोग स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने, क्षेत्र में इस कार्यक्रम द्वारा आर्थिक कार्य प्रदान करना है। यह बेहतर निगरानी के लिए भी अनुमति देता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकगण भोजन की गुणवत्ता की जांच करते है।

पर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे कि रसोई, बर्तन आदि की अनुपपस्थिति में यह दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है और स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी अन्नपूर्णा सहकारी महिला समिति पर है। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को एक पंचायत के सभी पात्र विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है। वर्तमान में 236 समितियों द्वारा लगभग 1204 विद्यालयों में 1.32 लाख विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सारणी 1.2

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अर्न्तगत रसोई, विद्यालय तथा विद्यार्थियों के तथ्य, राजस्थान, 2018

कुकिंग एजेन्सी	कुल विद्यालय	विद्यार्थियों की संख्या (लाख)
विकेन्द्रीयकृत रसोईघर	64539	57.21
केन्दीकृत रसोईघर (10)	3763	3.69
अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति (236)	1204	1.32
कुल	66506	62.22

स्त्रोत – मध्याह्न भोजन योजना योजना प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल, राजस्थान, 2018

सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अक्षयपात्र की एक विकेन्द्रीकृत रसोई से सबसे अधिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाता है। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति और केन्द्रीकृत रसोइयों से मात्र 4.26 लाख विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि 63.45 लाख विद्यार्थी विकेन्द्रीकृत रसोई से भोजन प्राप्त करते है।[20]

कुक सह हैल्पर – प्रत्येक विद्यालय में भोजन पकाने के लिए स्थानीय लोगों को कुक सह हैल्पर के रूप में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सहयोग हेतु लगाया जाता है तथा वर्तमान में प्रति व्यक्ति 1320 रूपए प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जा रहा है। इस प्रकार 109922 व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य के लिए लिया जा रहा है। इस कार्य में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, विधवा एवं परित्यक्ताओं की सेवाऐं प्राथमिक आधार पर ली जा रही है। इन्हें भोजन की पौष्टिकता एवं खाद्यान्न रखरखाव बाबत् प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कुक सह हैल्पर का विवरण निम्न सारणी में है –

सारणी 1.3
मध्याह्न भोजन कुक सह सहायक
राजस्थान, 2017

वर्ग	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल
पुरूष	1123	3604	4891	306	1611	11535
स्त्री	10960	15906	53715	3600	14206	98387
कुल	12083	19510	58606	3906	15817	109922

स्त्रोत – मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी, शिक्षा संकुल राजस्थान, 2017

सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन योजना में सबसे अधिक रोजगार महिलाओं को प्राप्त हुआ है। इस योजना में कुक और सहायक के लिए अधिकांशतः महिलाओं को लगाया गया है। यह महिला ग्रामीण क्षेत्र की है। स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष रूप से मध्याह्न भोजन योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाने में भूमिका निभाई है।

केन्द्रीकृत मॉडल – इसमें एक बाहरी संगठन सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से स्कूलों को भोजन प्रदान करते है। केन्द्रीकृत रसोई के लाभों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करना शामिल है क्योंकि बडे पैमाने पर स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से बडे पैमाने पर खाना पकाने के लिए किया जाता है। अक्षय पात्र, एकता शक्ति फाउंडेशन, इस्कॉन, नंदी फाउंडेशन और जय जी मानवतावादी सोसाइटी एण्ड पीपल्स फोरम जैसे विभिन्न गैर सरकारी संगठन मध्याह्न भोजन प्रदान करते है।'[21]

जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 14 जनवरी, 2006 को विस्तृत पॉलिसी जारी की गई थी। वर्तमान में स्वयं सेवी संस्था के द्वारा 10 स्थानों पर

केन्द्रीकृत रसोईघ्झर संचालित है जिनसे 3865 में लगभग 3.82 लाख विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण मध्याह्न भोजन से लाभांवित किया जा रहा है। इनकी जानकारी निम्न सारणी में है –

सारणी 1.4

मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने वाली संस्थाऐं, राजस्थान, 2018

जिला	संस्था	विद्यालय	लाभांवित विद्यार्थी
अजमेर	अक्षय पात्र	108	16540
अलवर	क्यूआरजी	402	55702
जयपुर	अक्षय पात्र	1200	127959
	इस्कॉन (अन्नामृत)	829	49929
जोधपुर	अदम्य चेतना ट्रस्ट	261	33720
	अक्षय पात्र	140	13131
राजसमंद	अक्षय पात्र	589	50113
भीलवाडा	अक्षय पात्र	83	10200
झालावाड	अक्षय पात्र	153	11800
उदयपुर	अक्षय पात्र	100	13029
8 जिले	4 संस्थाऐं	3865	382123

स्त्रोत – मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी, शिक्षा संकुल राजस्थान, 2018

सारणी संख्या 1.5 के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना में सबसे अधिक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा संचालित है। मध्याह्न भोजन योजना में मात्र 7 केन्द्रीकृत रसोइयां ही सरकार द्वारा चयनित की गई है। इनमें से अक्षय पात्र और इस्कॉन की एक–एक रसोई जयपुर में संचालित है। स्वयं सहायता समूहों में 265 स्वयं सहायता समूह इस योजना का संचालन कर रहे है। इसमें अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति जयपुर में इस योजना का संचालन कर रही है।

राजस्थान में मध्याह्न भोजन का क्रियान्वयन

नेशलन प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशिनल सपोर्ट टू प्राइमरी एज्यूकेशन योजना को सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है जिसे 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। राजस्थान में यह योजना 2002 में उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालना के प्रभाव के साथ क्रियान्वित हुई। 'अप्रैल 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, राजस्थान ने भोजन के अधिकार के मुद्दे का सूत्रपात किया।[22] जनहित का यह मुद्दा भोजन अधिकार से जुडे बहुत बडे स्तर को समाहित करता था, लेकिन यह मध्याह्न भोजन पर न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा अधिक पहचाना गया।'[23] कई दिशा–निर्देशों में इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी प्राथमिक विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने वाली इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्देशित किया। इस वैधिक प्रबोधन में मध्याह्न भोजन योजना का समावेश एक मील का पत्थर था, इसका उल्लघंन करने पर इसे कानून अपने हाथों में ले सकता था।

मध्याह्न भोजन योजना राजस्थान में पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना में सभी सरकारी और सरकार से जुडे विद्यालयों, एज्यूकेशन गारंटी स्कीम/एलीमेन्ट्री एंड इनोवेटिव एज्यूकेशन केन्द्रों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया

जा रहा है। 'राज्य सरकार द्वारा पका हुआ भोजन देने की शुरूआत जुलाई, 2002 में पारित राजकीय बजट से की गई। पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार 0.50 पैसे प्रति विद्यार्थी प्रति दिन खाना पकाने के खर्च के लिए जुलाई 2002 से उपलब्ध करवाती थी। इस योजना में घूघरी और दलिया दिया जाता था।'[24]

'जनवरी, 2005 से खाना पकाने की लागत को बढ़ा कर 1.50 रूपया प्रति विद्यार्थी प्रति दिन कर दिया गया। इसमें नई चीजे शामिल की गई जैसे दाल–बाटी, दाल–रोटी, रोटी–सब्जी, मिठाई/नमकीन चावल, खिचड़ी, दलिया, पुलाव आदि। 2 मार्च, 2006 से खाना पकाने का खर्च बढ़ा कर 2 रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति दिन प्राथमिक विद्यार्थी के कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2007 को सरकार ने 2.50 रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति दिन उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए देना प्रारंभ कर दिया। इस योजना के अन्तर्गत सरकार 100 ग्राम खाद्य सामग्री, चावल या गेंहू प्रति बच्चा प्रति विद्यालय प्रति दिन उपलब्ध करवाती है और खाना पकाने के खर्च पर 1 रूपया प्रति दिन प्रति विद्यार्थी देती है। इस खर्च में राज्य सरकार भी योगदान देती है। इसमें सप्ताह में एक बार मौसमी फल उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है। इस योजना के लिए बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने के लिए राज्य सरकार धन भी उपलब्ध करवाती है। पका हुआ भोजन मैन्यू के अनुसार होता है जो स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धताओं और विद्यार्थियों की प्राथमिकता पर आधारित होता है जो जिला स्तरीय समिति जो बच्चों को भोजन देती है, के द्वारा निर्धारित होता है।'[25]

'प्रारंभ में यह योजना केवल कक्षा एक से पाँच तक के विद्यार्थियों को ही लाभान्वित कर रही थी, अक्टूबर 2007 में भारत सरकार ने यह घोषण की इस योजना में कक्षा आठ तक वे विद्यार्थी भी जोडे जाए जो पिछडे इलाको से आते है लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने 2007 के बजट में यह तय किया कि इसमें कक्षा आठ तक के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा।'[26] खाद्य सामग्री का खर्च, परिवहन और पकाने का खर्च 'वर्ष 2007–2008 से अशिक्षित पिछडे इलाको में राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अभी 2.08 रूपए और 2.60 रूपए का सहयोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यार्थी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस में सप्ताह में एक बार मध्याह्न भोजन के साथ मौसमी फल देने का भी प्रावधान है।'[27]

कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र :–

'यह योजना राजस्थान राज्य के 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित) शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, अल्ट्रनेटिव एण्ड इनोवेटिव एज्यूकेशन केन्द्र जिनमें बालश्रमिकों, दिव्यांगों और अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, मदरसों तथा नेशनल चाईल्ड़ लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को मध्याह्न् अवकाश के दौरान पका हुआ भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार उपलब्ध करवाने हेतु चलाई जा रही है।'[28]

मध्याह्न भोजन योजना का नवीनीकरण

'बारहवीं योजना (2012–2017) के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का निम्न प्रकार से सुधार करने का प्रस्ताव है–

- मध्याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार।
- प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व–प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार।
- मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन।
- मध्याह्न भोजन मूल्य सूचकांक का विशेष रूप से मध्याह्न भोजन की वस्तुओं के मूल्य पर आधारित खाने की लागत का संशोधन।'[29]

सारणी 1.5
मध्याह्न भोजन योजना का मेन्यू, राजस्थान, 2017

क्रम संख्या	दिन	मेन्यू	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन (ग्राम में)
1	सोमवार	रोटी, सब्जी	436	11.8
2	मंगलवार	दाल, सब्ज/ चावल	583	15.4
3	बुधवार	खिचड़ी (दाल, चावल, सब्जी और फल इत्यादि)	496	13.1
4	गुरूवार	रोटी दाल	575	20.2
5	शुक्रवार	दाल बाटी	602	21.4
6	शनिवार	रोटी सब्जी	450	12.0

सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा एक से पांच तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा छह से आठ तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है।

सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक राजकीय विद्यालय में अध्ययरत कक्षा एक से पांच तथा कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को क्रमशः 150 व 200 मिलिलीटर दूध उपलब्ध कराया जाता है।

स्त्रोत – मध्याह्न भोजन योजना पोर्टल, राजस्थान सरकार, 2016

रसोई की बनावट विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें 150 बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। संग्रहण एकदम स्वच्छ और

साफ होना चाहिए जिसमें बर्तन धोने, सब्जी काटने, खाना बनाने और परोसने की गतिविधियों हेतु उचित स्थान हो। कार्यस्थल पर कम से कम 2 रसोइयों की जगह होनी चाहिए। अच्छे प्रबंध के लिए खाना परोसने के लिए एक काउण्टर या खिडकी होनी चाहिए और झूठे बर्तन रखने के लिए अलग से काउण्टर होना चाहिए। दोनों ही क्षेत्रों में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए।[30]

संग्रहण और धोने के स्थान पर नल, खाद्य सामग्री और भोजन संग्रहण का पृथक स्थान तथा बर्तन रखने की जगह होनी चाहिए और यह पूरी तरह से दरवाजों में ताला बंद होने आवश्यक है। यह दरवाजा संख्या एक कहलाती है। एक संग्रहण में 500 किलो तक खाद्य सामग्री और अन्य प्रकार के खाद्य उत्पाद संग्रहित होने की क्षमता हो। पकाने और खाना परोसने के लिए बरामदा पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए और यह प्राकृतिक प्रकाश और हवा के आने जाने के लिए आधा खुला होना चाहिए। अब दरवाजा संख्या 2 और खिडकी उचित जाली के साथ बने होने चाहिए। हवादान आवश्यकतानुसार उपलब्ध होने चाहिए। बर्तन धोने के स्थान से नाली होनी चाहिए जो किचन से जुडे छोटे से लॉन में खुलनी चाहिए। यह प्रारूप आरसीसी की छत या स्लोपिंग सीजीआई अथवा पत्थर की टाइल्स से बने होने चाहिए जिसमें आरसी युक्त अथवा किसी ठोस धातु से सेक्शन बने होने चाहिए।

यह प्रारूप जमीन पर बैठकर खाना पकाने के लिए दर्शाया गया है यदि खडे होकर खाना बनाने वाले रसोईघर बनाने है तो उसमें प्लेटफार्म होना चाहिए जिसमें उन्नत चूल्हे या बायो गैस बर्नर इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कम से कम 3 बर्नर लगे

हो। यदि बरामदा दक्षिणमुखी है तो सोलर कुकर का इस्तेमाल इसी में किया जा सकता है।

विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने और पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्था –

संबंधित गैर सरकारी संगठन अक्षय पात्र और इस्कॉन के केन्द्रित रसोइघरों से पके हुए भोजन का वितरण विद्यालयों तक करते है। विद्यालय में भोजन पकाने की व्यवस्था में यह कार्य स्थानीय निवासित महिला द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों में यह कार्य अन्नपूर्णा महिला द्वारा किया जाता है। इसके बाद यह पका हुआ भोजन सभी पंचायत और ग्राम स्तर के विद्यालयों में वितरित किया जाता है। भोजन वितरण के कार्य को विद्यालय स्तर पर पर्यवेक्षित करने के लिए एक स्थानीय समिति वैधानिक रूप से निर्मित की जाती है जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक, पंचायत के प्रतिनिधि, स्थानीय महिलाएं, एएनएम सदस्य होते है। विद्यालय स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति पूरी तरह से उत्तरदायी होती है।

मध्याह्न भोजन योजना का ड्रॉप आउट और नामांकित विद्यार्थियों के औसत पर प्रभाव

'वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2016 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 2014 की तुलना में कम हुआ है। 2014 में जहाँ 10.76 प्रतिशत बच्चों ने प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोडा था वहीं 2016 में 7.79 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोडा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 2016 में मात्र 0.01 प्रतिशत विद्यार्थियों ने विद्यालय छोडा है जिसमें छात्राओं का प्रतिशत शून्य है। इससे

स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के तथ्य पर प्रत्यक्षतः हो रहा है और इससे बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। विद्यालय के नामांकन के तथ्यों का विश्लेषण करे तो वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2016 के अनुसार 2014 में प्राथमिक स्तर पर 87.31 प्रतिशत नामांकन था जो वर्ष 2016 में 89.60 प्रतिशत हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 2014 में नामांकन 54.97 प्रतिशत था जो वर्ष 2016 में 55.03 हुआ है। इससे स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के नामांकन और विद्यालय छोडने की औसत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।'[31]

राजस्थान में 2016–17 में मध्याह्न भोजन योजना के प्रमुख तथ्य

सारणी 1.6

राजस्थान में शिक्षण केन्द्रो की संख्या, राजस्थान, 2017

कक्षा	सरकारी तथा लोकल बॉडी स्कूल	सरकारी सहयोगी स्कूल	विशेष प्रशिक्षण केन्द्र	मदरसे	कुल
1–5	34269	0	339	1520	36128
1–8	32414	1	13	190	32618
6–8	2581	0	0	17	2598
कुल	69264	1	352	1727	71344

स्त्रोत – मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी, शिक्षा संकुल राजस्थान, 2017

सरकारी तथा लोकल बॉडी स्कूल – शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्र
सरकारी सहयोगी स्कूल – वह विद्यालय जो सरकारी नहीं है परंतु सरकारी अनुदान प्राप्त है
विशेष प्रशिक्षण केन्द्र – बाल श्रमिकों, अनाथ बच्चों और दिव्यांगों हेतु संचालित कौशल केन्द्र
मदरसा – मुस्लिम समुदाय के धार्मिक शिक्षण केन्द्र

सारणी के तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन योजना में सरकारी सहयोगी विद्यालयों की संख्या कम है अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना का लाभ केवल सरकारी और स्थानीय निकाय के विद्यालयों को ही मिल रहा है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ अधिक मिल रहा है।

तथ्यों से स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना में ना केवल सरकारी विद्यालयों के बच्चे लाभ उठा रहे है बल्कि इससे मदरसों में पढने वाले विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहे है।

सारणी 1.7

मध्याह्न भोजन योजना से कुल लाभार्थी विद्यार्थी, राजस्थान, 2017

त्रैमासिक	प्राथमिक	भोजन प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिशत	उच्च प्राथमिक	भोजन प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिशत	कुल	भोजन प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिशत
प्रथम	2857473	68.73	1514757	71.23	4372230	69.58
द्वितीय	2786199	67.02	1446602	68.03	4232801	67.36
तृतीय	2797842	68.95	1699612	76.54	4497454	71.63
औसत	2808392	68.23	1549889	71.93	4358281	69.52

स्त्रोत – मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी, शिक्षा संकुल राजस्थान, 2017

सारणी के तथ्यों से स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों का प्रतिशत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से अधिक है क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के तुलना में अधिक नियमित रूप से विद्यालय आते है। स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को इस योजना का अधिक लाभ मिल रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 के तीसरे त्रैमासिक तक इन लाभान्वितों की संख्या बढ़ रही है। द्वितीय त्रैमासिक में लाभान्वितों की संख्या परीक्षा कारणों, अवकाशों के कारण कम हो जाती है। अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में त्यौहार, सर्दी की छुट्टियां, अर्धवार्षिक परीक्षा, दीपावली की छुट्टियां आती है जिसके कारण विद्यालय में विद्यार्थी नियमित रूप से नहीं आ पाते है।

राजस्थान में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रशासनिक स्वरूप

राज्य स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का संरचनात्मक प्रबंध

मंत्री विद्यालयी शिक्षा

↓

सचिव विद्यालयी शिक्षा

↓

कमिश्नर मध्याह्न भोजन योजना

↓

अतिरिक्त कमिश्नर

↓

उप कमिश्नर इम्पलीमेंट एण्ड मैनेजमेंट

↓

उप कमिश्नर प्रशासन

कार्यक्रम अन्तर्गत जिला/खण्ड स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण

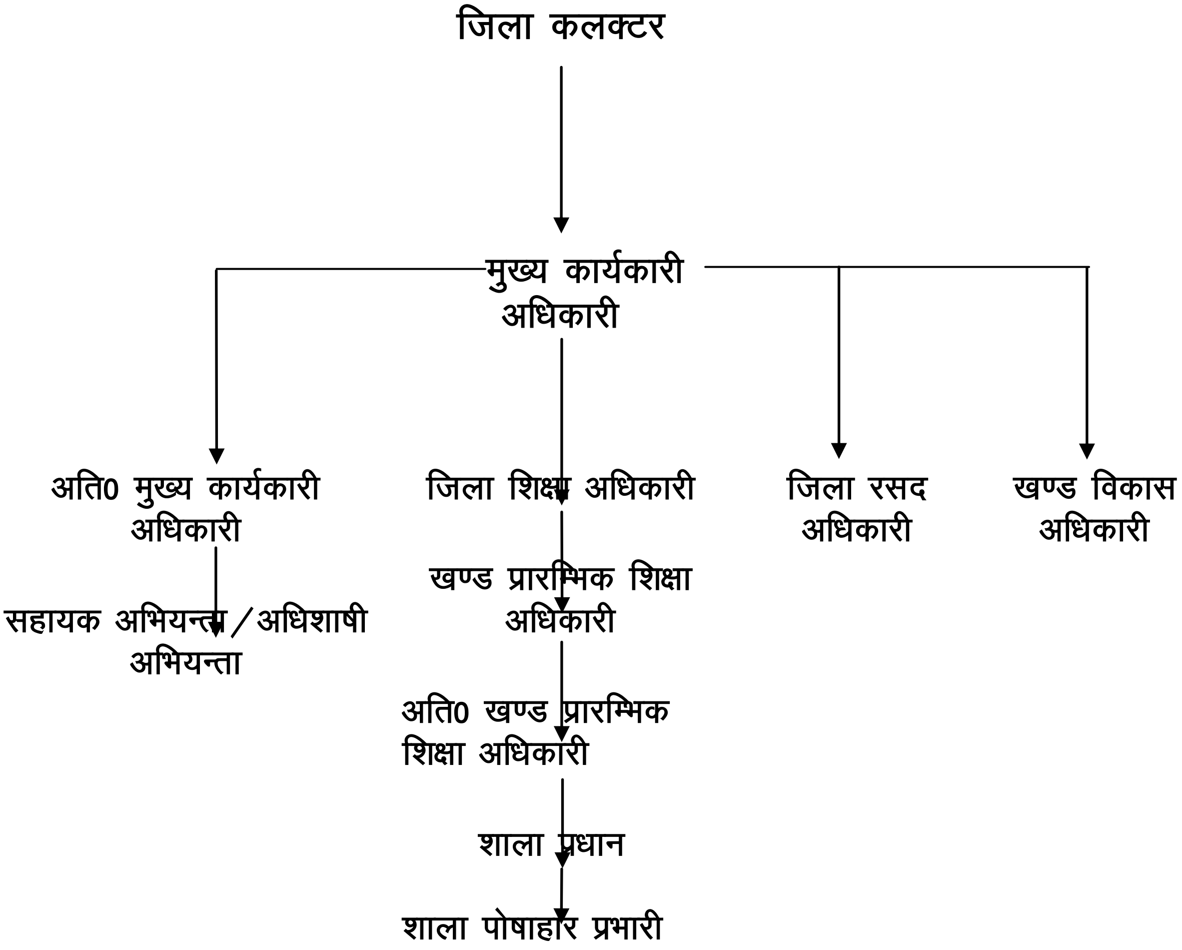

मध्याह्न भोजन योजना संचालन संरचना

एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन विभाग

मध्याह्न भोजन योजना कमिश्नर

जिला स्तरीय जिला शिक्षा अधिकारी

ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

स्कूल मैनेजमेंट कमिश्नर, केन्द्रीकृत रसोई, स्वयं सहायता समूह, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति।

खाद्य सामग्री वितरण

भारतीय खाद्य निगम → जिला परिषद् एवं जिला रसद अधिकारी → विद्यालय।

खाद्य सामग्री निरीक्षण समिति

इस समिति में भारतीय खाद्य निगम का स्थानीय प्रतिनिधि, जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, जिला रसद अधिकारी का प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रतिनिधि व कृषि विभाग का एक विशेषज्ञ/वरिष्ठ अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को भी शामिल किया हुआ है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा खाद्यान्न 'फेयर एवरेज क्वालिटी' का है और प्रत्येक बार उसे उठाने से पूर्व उक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर उसकी क्वालिटी 'फेयर एवरेज क्वालिटी' पाई गई, का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

त्रिस्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2006 के द्वारा राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर समीक्षा एवं संचालन समिति (**Steering cum Monitoring Committee**) का गठन किया गया है जिनके द्वारा निर्धारित समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एवं खण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाती है।

योजना का निरीक्षण

कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया जाना तय किया हुआ है : –

1. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (जिला प्रभारी सचिव)
2. सम्भागीय आयुक्त।
3. जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, जिले में पदस्थापित समस्त राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, जिला परिषद् तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारी/अधिकारी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि।
4. उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड में पदस्थापित समस्त राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारी, अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी, पंचायत समिति तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारी/अधिकारी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि।

5. ग्राम पंचायत के समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधि, ग्राम सेवक, ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर के प्रत्येक राजकीय कार्यालय/केन्द्र के कर्मचारी।

6. जिला/खण्ड/ग्राम स्तर के प्रबुद्ध नागरिकगण।

मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त, 1995 से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारम्भ किया गया था 'जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रतिछात्र अर्थात 3 किलो गेहूँ प्रतिछात्र प्रतिमाह दिया जाता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2001 के पश्चात् 01.07.2002 से पका हुआ भोजन (घूघरी) उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश दिसम्बर, 2004 की पालना में पका हुआ भोजन अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ किया गया।'[32]

'दिनांक 01.10.2007 से कक्षा 6 से 8 के छात्रों को भी मध्याह्न भोजन देना आरम्भ किया गया। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययनरत छात्रों को पके हुए भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है तथा कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत छात्रों को पके हुए भोजन में 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, एज्यूकेशन गारंटी स्कीम एवं एलीमेंन्ट्री एंड इनोवेटिव एज्यूकेशन सेंटर, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) के

अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालय तथा मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिदिन गर्म भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।'[33]

मध्याह्न भोजन योजना बजट प्रारूप

भारत सरकार द्वारा कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने की लागत 4.35 रूपए की दर से प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने की लागत 6.51 रूपए की दर से प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन उपलब्ध करवायी जाती है। यह राशि ईंधन, दाल, सब्जियां, तेल मसाले आदि हेतु उक्त राशि 1.04.2018 से प्रभावी है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में कार्य कर रहे कुक सह सहायक को 1200 रूपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है। यह मानदेय दिनांक 1. 04.2017 से प्रभावी है। इससे पूर्व मानदेय 1000 रूपए प्रतिमाह दिया जा रहा था। वर्तमान में 200 रूपए की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। 2018–19 के बजट में कुक सह सहायकों के मानदेय में 1 जुलाई, 2018 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिससे वर्तमान में इन्हें 1320 रूपए प्रति माह दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पोषाहर परिवहन, रसोईघर निर्माण, बर्तन सुविधा एवं प्रशासनिक सहायता हेतु भी राशि उपलब्ध करायी जाती है।

सारणी 1.8

केन्द्र एवं राज्य अंश प्रावधान

मद	केन्द्र मद प्रतिशत	राज्य मद प्रतिशत
खाद्यान्न लागत	100	00
खाद्यान्न परिवहन	100	00
प्रशासनिक व्यय	100	00
बर्तन/उपकरण	100	00
कुक सह सहायक	45	55
कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट	60	40
किचन सह भण्डारण	60	40
एलपीजी कनेक्शन	00	100

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किए गए महत्वपूर्ण प्रयास

बजट – 2018–19 में राशि रूपए 765.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना में वर्तमान में 393.55 करोड़ का आवंटन जिलों को किया जा चुका है जिसमें से अगस्त 2018 तक अनुमानित 25.29 करोड़ रूपए व्यय किया जा चुका है। 2018–19 में राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत 453.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत अगस्त 2018 तक जिलों को 176.32 करोड़ रूपए का आवंटन किया जा चुका है तथा अगस्त 2018 तक 95.05 करोड़ रूप का व्यय किया जा चुका है।

खाद्यान्न – 2018–19 में भारत सरकार द्वारा द्वितीय तिमाही के लिए 36850.81 मैट्रिक टन आवंटित किया जा चुका है।

रसोईघर निर्माण – 30.09.2017 की सूचना के अन्तर्गत 66506 विद्यालयों में से 1651 मदरसों, 479 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में रसोईघर का निर्माण नहीं करवाया जाना है। इस प्रकार कुल 64376 विद्यालयों में से 50595 विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण हो चुका है। 12800 विद्यालयों में अन्य योजनाओं यथा एसएसए, रमसा एवं जनसहयोग से निर्माण कार्य करवाया जा चुका है तथा शेष रहे 981 विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है।

गैस कनेक्शन – 2014–15 तक 77007 विद्यालयों में गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 33.16 करोड रूपए स्वीकृत किए जा चुके है। वर्तमान में राज्य में 66506 विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में से 1651 मदरसों और 479 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध नहीं करवानी है। शेष 63172 विद्यालयों में गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

बर्तन सुविधा – प्रत्येक विद्यालय में खाना बनाने, वितरण करने एवं खाने के पर्याप्त बर्तन उपलब्ध करवा दिए गए है।

पीने के पानी की सुविधा – राज्य के प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के पीने हेतु पानी की समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

निरीक्षण – योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए जिला कलक्टर, जिला स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण के निर्धारित मापदण्ड तय

किए गए है जो इस शोध प्रबंध के आगे अध्यायों में यथा स्थान दिए गए है। 2017–18 के दौरान 99874 विद्यालयों के निरीक्षण किए गए। इस प्रकार 2018–19 में अगस्त माह तक 35000 विद्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है तथा पायी गई कमियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके है।

मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की मुख्य चुनौतियां –

1. द्वितीयक स्त्रोतों के आधार पर ज्ञात होता है कि राजस्थान में भोजन के संग्रहण तथा रसोइयों की स्थिति अच्छी नहीं है। 7062 रसोइयों और संग्रहण कमरों का निर्माण विद्यालय में नहीं हो पाया है वहीं 908 अभी भी निर्माणाधीन है।

मध्याह्न भोजन योजना जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा संचालित होती है उनके पास अभी भी पूर्ण रसोई व भोजन संग्रहण के कमरों की कमी है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना के उचित प्रकार से संचालन में रसोइयों की निर्माणहीनता के बाधक तथ्य है।

2. द्वितीयक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए अभी भी सभी विद्यालयों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन विद्यालयों में भोजन परम्परागत पुराने चूल्हों में पकाया जाता है। जिससे विद्यालय में प्रदूषण होता है, भोजन बनाने में सफाई में कमी रह जाती है।

3. द्वितीयक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन योजना में भोजन जांचने के लिए मात्र 6 जिलों में ही प्रयोगशालाऐं है। इनमें भी मात्र 62 विद्यालयों के सैम्पल लिए गए है। जिनमें भोजन में गुणवत्ताहीनता 23 सैम्पलों में पायी गई है। स्पष्ट है कि

मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की गुणवत्ता जांचने के स्तर पर बहुत बडी कमी है। जिसके कारण इस योजना का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

4. द्वितीयक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन योजना में निरीक्षण का कार्य भी उचित प्रकार से नहीं हो रहा है। इनमें राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या बहुत ही कम है।

मध्याह्न भोजन योजना में केन्द्र और राजस्थान सरकार का लगभग 50—50 प्रतिशत हिस्सा होता है जिसमें राज्य सरकार मात्र रसोइयों, सहायकों और भोजन बनाने की लागत पर ही खर्च करती है। अन्य कार्यों जैसे परिवहन, कच्चा माल, रसोई के उपकरणों पर केन्द्र सरकार ही खर्च करती है। बाडमेर में सबसे अधिक विद्यालय योजना से जुडे हुए है। जिनमें अधिकांश का निरीक्षण का कार्य होता है वहीं सबसे कम विद्यालय सिरोही में है। तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि सभी विद्यालयों में निरीक्षण और रिपोर्टिंग का कार्य नहीं हो पाता है। वर्ष 2016 में सबसे अधिक खर्च भोजन बनाने के मद पर किया गया। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 50 से कम प्रतिशत रही।

अध्ययन का उद्देश्य

1. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों के शारीरिक–मानसिक प्रभाव का अध्ययन करना।
2. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों के नामांकन–ड्राप आउट पर प्रभाव ज्ञात करना।
3. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव ज्ञात करना।
4. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक योग्यता पर प्रभाव ज्ञात करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education .nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.
2. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
3. UNFAO Report 2017, p 12
4. www.yojanaschemehindi.com
5. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
6. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
7. Mohanty Sunil Behari (1985), "Universalization of Primary Education in India: Lessons of Experience and Pointers for Action Aids to Programming", UNICEF Assistance to Education, Unit for Co-operation with UNICEF and WFP Unesco, Paris.
8. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
9. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
10. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.
11. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
12. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.
13. Planning Commission, 2010; 'Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal,' Programme Evaluation Organization, PEO Report No. 202, Planning Commission, GOI.
14. Dreze, J. and A. Goyal, 2003; 'Future of Mid-day Meals,' *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.
15. Dreze, J. and A. Goyal, 2003; 'Future of Mid-day Meals,' *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.

16. Planning Commission, 2010; ‘Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal,’ Programme Evaluation Organization, PEO Report No. 202, Planning Commission, GOI.
17. Planning Commission, 2010; ‘Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal,’ Programme Evaluation Organization, PEO Report No. 202, Planning Commission, GOI
18. Planning Commission, 2010; ‘Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal,’ Programme Evaluation Organization, PEO Report No. 202, Planning Commission, GOI.
19. Dreze, J. and A. Goyal, 2003; ‘Future of Mid-day Meals,’ *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.
20. . Dreze, J. and A. Goyal, 2003; ‘Future of Mid-day Meals,’ *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.
21. . Dreze, J. and A. Goyal, 2003; ‘Future of Mid-day Meals,’ *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.
22. . Dreze, J. and A. Goyal, 2003; ‘Future of Mid-day Meals,’ *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.
23. Afridi, F., 2010; ‘Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India,’*Journal of Development Economics.*, Vol. 92, Issue 2,July.
24. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.
25. Afridi, F., 2010; ‘Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India,’*Journal of Development Economics.*, Vol. 92, Issue 2,July.
26. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.
27. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi
28. ibid
29 MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi 30. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

31. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi 32. mdmrajasthan.org

33. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

अध्याय द्वितीय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी बौद्धिक योग्यता व क्षमता के आधार पर अन्य प्राणियों का सरताज है। मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है, जो पहले एकत्रित किये गये ज्ञान का लाभ आज उठा रहा है। मानव ज्ञान के तीन मुख्य भाग होते हैं पहला ज्ञान को एकत्रित करना, दूसरा ज्ञान को पहचानना, तीसरा है ज्ञान में वृद्धि करना। यह तीनों पक्ष शोध के सम्बन्ध में अपनी भूमिका रखते हैं। शोध कार्य में इन तीनों की ही अनुपालना होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हो सकता और ज्ञान के इस विशाल भण्डार में मानव का निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गये प्रयासों के माध्यम से हो रहा है।

अनुसंधान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसका लक्ष्य संबंधित क्षेत्र से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है। मानव की इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई है तथा सदियों से इसका एक क्रम चला आ रहा है। ज्ञान की यह प्रक्रिया अनन्त हैं जब तक धरा पर जीवन है, उसकी यह ज्ञान पिपासा कभी समाप्त नहीं होगी। क्या हो, कैसा हो, कैसा होना चाहिए? इन प्रश्नों से घिरा मानव जीवन सदैव जिज्ञासु रहता है। उसकी इस जिज्ञासा ने सदैव ही कल के ज्ञान को नया कलेवर प्रदान किया है। उसमें जहाँ कभी उसे अधूरा लगा है। उसे पूरा करने का प्रयास किया हैं, उसे संवारा हैं, सुधारा हैं, आगे बढ़ाया है और यह सब सम्पन्न हुआ हैं,

अनुसंधान के माध्यम से वर्तमान एवं भावी अनुसंधान इसी प्रकार विभिन्न रूप से एक दूसरे जुड़े हैं। पूर्व संचित ज्ञान एवं पूर्व में सम्पन्न हुई अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में ही नये अनुसंधान की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ जन्म लेती हैं। प्रत्येक शोधकार्य की आधारशिला पूर्व संचित ज्ञान एवं पूर्व सम्पादित अनुसंधान ही होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इस ज्ञान राशि का भण्डार बहुत बड़ा है। उसकी जानकारी प्रत्येक शोधकर्ता के लिए आवश्यक होती है, अतः अनुसंधान की समस्या का अन्तिम रूप से चयन प्रक्रिया की सबसे पहली सीढ़ी सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण एवं उसकी समीक्षा है।

ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति प्रभावपूर्ण तभी हो सकती है, जब उस क्षेत्र से संबंधित संदर्भ सामग्री का अध्ययन भली–भांति हो सकें।

अनुंसधान के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है, तत्त्वसम्बन्धी समस्या के साहित्य का ज्ञान होने पर यह जानने में सहायता मिलती है कि पहले क्या ज्ञापित किया जा चुका है। इस परिणाम को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई गई है, इसके क्या परिणाम निकले तथा कौन सी समस्या का समाधान अभी शेष रहा।

अतः शोध क्षेत्र में शोधार्थी द्वारा एकत्रित किये गये ज्ञान को अपनी प्रस्तावित शोध समस्या से जोड़ता है। उसका अध्ययन करता है और किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्त्ता को पहले के सिद्धान्तों व पहले के शोधों से अवगत होना चाहिये।

2.2 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा

साहित्य शब्द परम्परागत अर्थ से विभिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे – हिन्दी साहित्य, आंग्ल साहित्य, संस्कृत साहित्य अतः इसके विषय के अन्तर्गत गद्य, नाटक, काव्य, उपन्यास आदि आते हैं। अनुसंधान की दृष्टि से साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत सैद्धांतिक और व्यावहारिक शोध हुए हैं। उन शोधों का अध्ययन यहाँ साहित्य है। शोध की सफलता का प्रारंभिक कार्य सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण है। सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की पुस्तकों एवं ज्ञानकोषो, पत्र–पत्रिकाओं प्रकाशित अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता को अपनी समस्याओं के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन ही शोधकर्त्ता को ज्ञान के उस शिखर पर ले जाता है जहाँ वह अपने क्षेत्र की नवीन एवं विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है। मानव का संचित ज्ञान पुस्तक एवं पत्र–पत्रिकाओं में सुरक्षित रहता है।

जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार – ''पुस्तकालयों एवं अन्य साधनों से प्राप्त समस्या से लिखित साहित्य को पढ़ना, निरीक्षण करना तथा उसका मूल्यांकन करना सम्बन्धित साहित्य का अर्थ है।''

रमल के अनुसार – ''नियमानुसार कोई भी शोध सम्बन्धित लिखित वर्णन तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उस शोध से सम्बन्धित साहित्य का आधार उस विवरण में न हो।'' **गुड बार व स्केट्स के अनुसार –** ''एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धित आधुनिक खोजों से परिचित हो। उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र व अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्त्ता के लिए उस क्षेत्र से संबंधित खोजों व सूचनाओं से परिचित होना आवश्यक है।''

उपरोक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं –

- संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन से शोधकर्त्ता को उस क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन की जानकारी हो जाती है।
- विषय की गहराई तक पहुँचने में सफलता मिलती है।
- शोधकार्यों में प्राप्त तथ्यों, उपकरणों, प्राकल्पनाओं व निष्कर्ष से अनुसंधानकर्त्ता परिचित हो जाता है। इससे शोधकर्त्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि संबंधित क्षेत्र में अभी तक कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य करना शेष है।
- पुनः निरीक्षण में अवांछित तत्त्वों को निकाल दिया जाता है तथा शेष को महत्त्वपूर्ण व संक्षिप्त बनाने में सहायता मिलती है।
- सन्दर्भ साहित्य के सर्वेक्षण से शोधकर्त्ता जागरूक हो जाता है तथा समस्या के सभी पक्षों पर विचार–विमर्श करता है।

- शोध में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों आदर्श परीक्षण, विश्लेषण तथा वर्गीकरण करने के लिए मार्ग–दर्शन मिलता है।

2.3 सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता

वर्तमान मानव के जीवन में साहित्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपना महत्त्व रखता हैं। ऐसी स्थिति में अनुसंधान कार्य में साहित्यों के अभाव की कल्पना भी भयानक अनुभूति होती हैं अर्थात् अनुसंधान में साहित्यों का अवलोकन अत्यन्त आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधानकर्त्ता अपने कार्य को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। साहित्य अध्ययन की आवश्यकता के सम्बन्ध में डब्ल्यू.आर. बोर्ग, बेस्ट, सी. वीगुड इत्यादि विद्वानों ने अपनी–अपनी अवधारणाएँ प्रस्तुत की हैं। निम्नलिखत कारणों से शोध में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है–

- शोध कार्यों की योजना बनाने में प्रारंभिक पदों में से एक रुचि के विशेष क्षेत्र में किये गये कार्यों को पुनरावलोकन करना शोध के लिए गुणात्मक दृष्टि से प्रभावी होता है।
- प्रत्येक अनुसंधान के लिये यह आवश्यक है कि वह दूसरों के द्वारा किये गये अनुसंधान से अपनी समस्या से संबंधित साहित्य की सूचनाओं से भली–भाँति अवगत हो। अतः इस दृष्टि से पूर्वाकांक्षा को समझने के लिए सम्बन्धित साहित्य उपयोगी है।
- यह अध्ययन की समस्या के साधन प्रदान करता है, शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। अतः सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्त्ता के लिये समय, धन और परिश्रम को बचाता है।
- पुनरावृत्ति से रक्षा करता है।

- समस्या से संबंधित अन्य समस्याओं की खोज करता है।
- ज्ञान का विस्तार करता है।
- संबंधित निर्देश प्राप्त करने में सहायक होता है।
- अनुसंधान कार्य में सहायता करता है।
- अर्न्तदृष्टि का विकास करता है।

2.4 सम्बन्धित साहित्य का महत्व

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन अथवा सर्वेक्षण के महत्त्व का अनेक विद्वानों ने वर्णन किया है, इसमें से प्रमुख विद्वानों का विवरण निम्नलिखित है–

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार – ''व्यावहारिक दृष्टि से सम्पूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों तथा पुस्तकालयों में प्राप्त किया जाता है। अन्य जीवों के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारंभ करते हैं, मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहित तथा सुरक्षित रखता है। ज्ञान के विशाल भण्डार में मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।''

संबंधित साहित्य शोध कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके अभाव में शोधकर्त्ता उचित दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक शोधकर्त्ता को यह ज्ञात न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं, तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न शोध कार्य की रूपरेखा ही तैयार कर सकता हैं।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध–प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्त्री को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध–प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोध साहित्य का पुनर्निरीक्षण करना होता हैं।

2.5 सम्बन्धित साहित्य अध्ययन के उद्देश्य

साहित्य सर्वेक्षण के अनुसंधान के विषय में वर्णन करते हुए गुड, बार तथा स्केट्स ने प्रमुख उद्देश्य बताये हैं, इनका विवरण निम्नलिखित है–

- प्राप्त प्रमाण समस्या का पूरा समाधान नहीं करते अतः और अधिक अनुसंधान के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।
- समस्या के लिए उपयुक्त विधियों का ज्ञान प्राप्त करने में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन सहायता देता है।
- सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन समस्या के लिए उपयुक्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है।
- यह समस्या के विकास के लिए सिद्धान्त, विचार, व्याख्याएँ व उपकल्पना बनाने के लिए आवश्यक है।
- परिणाम के विश्लेषण में तुलनात्मक आँकड़े प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- समस्या के लिए उपयुक्त शोध विधि का चयन करने में सहायक होता है।
- सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्त्ता की निपुणता, कार्य कुशलता को बढ़ाता है।

- यह पूर्व में हुए अध्ययन की सीमाओं व महत्त्वपूर्ण चीजों के सम्बन्ध में अर्न्तदृष्टि प्रदान करता है।

2.6 सम्बन्धित साहित्य अध्ययन के लाभ

सम्बन्धित साहित्य अध्ययन के लाभ इसके विभिन्न लाभों का विवरण निम्नलिखित हैः—

- साहित्य के अध्ययन से समस्या का सीमांकन करने में सहायता प्राप्त होती है।
- अनुसंधानकर्त्ता, पूर्व में हुए अन्य अनुसंधान कार्य का अध्ययन कर अपनी भूमिका सुगमता के साथ तैयार कर सकता है।
- अनुसंधानकर्त्ता को साहित्य के अध्ययन से उसके अनुसंधान क्षेत्र के सम्बन्ध में नवीनतम सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।
- पूर्ण रूप से स्थापित निष्कर्षों पर पुनः अनुसंधान करने से बचा जा सकता है।
- साहित्य अध्ययन से परिकल्पनाओं के निर्माण में अत्यधिक सुगमता प्राप्त होती है।
- साहित्य के अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता को उसके अनुसंधान उपागम, कानून, विभिन्न उपकरण तथा समंकों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।
- सम्बन्धित साहित्यों के अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता अपने परिणामों का निर्वाचन अधिक स्पष्ट रूप से कर सकता है।
- इस अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता अन्य पक्षों पर अनुसंधान के लिए अपनी अनुशंसाएँ दे सकता है।

- इसके माध्यम से सम्बन्धित विषय के विद्वानों तथा सम्बन्धित सामग्री के स्रोतों का ज्ञान भी प्राप्त होता है।
- इसके अन्तर्गत विद्वानों से समस्या का चयन करते समय अत्यधिक सुगमता का अनुभव होता है।
- अनुसंधानकर्त्ता में सूझ पैदा करने में सहायक है।
- यह अनुसंधान का समय, पैसा व परिश्रम बचाता है।

2.7 सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण की सीमाएँ

अनुसंधानकर्त्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि पूर्व में किये गये शोधों के उद्देश्यों, परिकल्पनाओं, न्यादर्श, विधि, उपकरण, सांख्यिकी तथा उपकरणों की विश्वसनीयता एवं वैद्यता के आधार पर निकाले गये परिणामों पर दृष्टि रखे अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सम्बन्धित शोध साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधानकर्त्ता के लिए एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन शोधकर्त्ता को एक दिशा प्रदान करता है। एक आधार प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर सम्बन्धित साहित्य की अपनी कुछ सीमाएं हैं। अतः प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता को यह सावधानियाँ रखनी चाहिए कि सम्बन्धित शोध साहित्य की अमुक सीमाएँ हैं–

- साहित्य के अध्ययनकर्त्ता पर साहित्य के लेखक की विचारधारा अथवा चिन्तन का प्रभाव पड़ता है। जो कि अनुसंधान की दिशा ही असंतुलित कर सकता है। अतः अनुसंधानकर्त्ता को साहित्य का अध्ययन करते समय अपना पक्ष निष्पक्ष रखना चाहिए।

- प्रायः अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं के द्वारा विभिन्न प्राप्त निष्कर्षों के आधार परही अपने अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करते समय अनुसंधानकर्त्ता जिन महत्त्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा कर देता है, वे निम्नलिखित हैं– (अ) उसके दूसरे अनुसंधान के परिणाम की न्यादर्श की क्या–क्या विशेषताएँ थी? (ब) पूर्व के अनुसंधानकर्त्ताओं ने किस विचारधारा का प्रयोग किया था और क्यों किया था? (स) उनके द्वारा प्रयोग में लाये गये उपकरणों की क्या वैद्यता थी? (द) अनुसंधानकर्त्ताओं ने निष्कर्षों को निकालने में उसने किस सीमा तक सांख्यिकीय तथा तार्किक विधियों का प्रयोग किया है? (य) पूर्व के अनुसंधानकर्त्ता ने किन–किन परिकल्पनाओं का निर्माण किया था? उपरोक्त सभी तथ्य साहित्य सर्वेक्षण की सीमाएँ मानी जाती हैं। अतः अनुसंधानकर्त्ता को अपने अध्ययन में इन तथ्यों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए।

2.8 सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत

संबंधित साहित्य के निम्नलिखित स्त्रोत हैं–

1. **पुस्तकें और पाठ्य–पुस्तकों की सामग्री–**अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सर्वाधिक उपयोगी पुस्तकों की सूची में होती हैं एवं विषय सूचक पुस्तकें बताती हैं कि पुस्तकें प्रेस में है अथवा छपने वाली हैं अथवा छपी हुई हैं। राष्ट्रीय संघीय नामावली भी इस उद्देश्य के लिये उपयोगी हैं। बहुत से ऐसे प्रकाशन हैं जिनमें विशिष्ट सन्दर्भ पाये जाते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते हैं।
2. **समय–समय पर निकलने वाली पत्रिकायें–** समय–समय पर निकलने वाली पत्रिकाओं को एक प्रकाशन के रूप में परिभाषित किया जाता हैं जो कि क्रमबद्ध भागों में प्रायः

एक निश्चित अन्तराल के बाद तथा अनिश्चित काल तक चलते रहने के उद्देश्य से प्रकाशित होती है। इनके अन्तर्गत वार्षिक–पुस्तक अभिलेख, एकत्रित पुस्तकों की सूची अन्तर्राष्ट्रीय शोध सारांश, मासिक पत्रिका, समाचार–पत्र, पत्रिकायें, समय–समय पर प्रकाशित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सूचाँक आदि आते हैं।

3. **सारांश–** सारांश प्रकाशित लेख या पत्रिकायें आदि अन्य प्रकार के प्रासांगिक सहायक हैं। सन्दर्भों की क्रमबद्ध सूची प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अन्तर्गत विषय–वस्तु का सारांश भी आता है। प्रायः शोध अध्ययनों का संक्षिप्तिकरण सारांश के रूप में दिया जाता हैं, जैसे–शैक्षिक शोध सारांश, अन्तर्राष्ट्रीय शोध सारांश आदि।

4. **विश्व–कोश–**विश्व–कोशों में विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त सूचनायें होती हैं। उनके अन्तर्गत सूचनाओं के अनुकूल साधन और प्रायः उद्धरण और सन्दर्भ पुस्तकें आती हैं। केवल विशेष विश्वकोशों में ज्ञान का निश्चित क्षेत्र होता हैं।

5. **पत्रावली पुस्तकें, वार्षिक पुस्तकें और सहायक पुस्तकें तथा निर्देशिका–**सन्दर्भों की इन श्रेणियों के अन्तर्गत वे प्रकाशन आते है जो दिए गए उद्देश्य से संबंधित विभिन्न विषयों की नवीनतम सूचनाओं के विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रायः परिगणना सम्बन्धी प्रकृति की विशिष्ट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के सन्दर्भों की आवश्यकता पड़ती है।

   'विश्व पत्रांक' 'तथ्यों सम्बन्धी पुस्तकें न्यूयार्क' नामक पुस्तक में विभिन्न विषयों की विभिन्न सूचनायें होती हैं।

एक वार्षिक प्रकाशन हैं जिसके अन्तर्गत सन्दर्भ पुस्तिकाओं और विस्तृत सन्दर्भ पुस्तकों की सूची के साथ विभिन्न शैक्षिक विषयों पर सांख्यिकीय के आँकड़े होते हैं।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा पर सन्दर्भ पुस्तकें**—इस प्रकार के प्रकाशनों में अमेरिका से बाहर की शिक्षा होती हैं।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अध्यापक—शिक्षा और लन्दन विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये जाने पर 'शिक्षा की वार्षिक पुस्तक न्यूयार्क' प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है, प्रत्येक भाग अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के किसी न किसी पक्ष पर आधारित होता हैं। "विकासशील देशों में उच्च शिक्षा" विद्यार्थियों, राजनीति और उच्च शिक्षा पर चयनित सन्दर्भ पुस्तकों की सूची दी जाती हैं।

7. **विशिष्ट शब्द—कोश**—शिक्षाशास्त्र पर विशिष्ट शब्द—कोश हैं जिनमें पद, शब्द और उनका अर्थ निहित है। 'शिक्षाशास्त्र का शब्द—कोश, न्यूयार्क' नामक शैक्षिक शब्द—कोश में तकनीकी और व्यावसायिक शब्द आते हैं। तुलनात्मक शैक्षिक लेखों में प्रयुक्त विदेशी शैक्षिक शब्द भी इसमें दिए जाते हैं।

भारतीय सरकार ने भी एक शिक्षाशास्त्र का शब्दकोश तैयार किया हैं जिसमें अंग्रेजी से हिन्दी में तकनीकी और व्यावसायिक शब्द दिये गये हैं।

8. **लघु शोध और शोध ग्रन्थ** — शोध प्रबन्ध और डिजरटेशन्स, जिनमें शैक्षिक शोधों के प्रस्तुतिकरण का समावेश रहता है, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा रखी जाती है, जो कि इनके लेखकों को पारितोषिक देती हैं। संबंधित शोध और लघु शोध साहित्य की समीक्षा के मुख्य साधन हैं।

9. **समाचार–पत्र –** प्रचलित समाचार–पत्र शिक्षा–क्षेत्र के नये विकास, सम्मेलन, अभिलेख और भाषणों की नवीनतम सूचनायें देते हैं। नवीन घटनायें और शैक्षिक समाचार भी समाचार–पत्रों में प्रकाशित होते हैं। यह साहित्य की समीक्षा के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। साहित्य को देखने से शोधकर्त्ता ज्ञान की समस्याओं को जान जाता है कि वह अपने क्षेत्र में कहाँ तक नई खोजों का मूल्यांकन कर सकता है, आवश्यक शोधों की पहचान और विरोधाभास खोजों के ज्ञान में अन्तर को जान जाता है। वह उन विधियों और पुस्तकों से अवगत हो जाता है जो शोध में उपयोगी हो सकती हैं।

2.9 संबंधित साहित्य समीक्षा

संस्थागत रूप से मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ 1995 किया गया परंतु इसके समकक्ष कई प्रकार की योजनाऐं इससे पहले भी संचालित की जाती रही है जिनका विवरण इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है। इन समकक्ष योजनाओं पर भी शोध कार्य किए गए है।

1. इस प्रकार का प्रथम शोध कार्य वर्ष 1968 में चन्द्रशेखरन द्वारा किया गया। अपने शोध में उन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए एक विद्यालय के बच्चों को पाँच माह तक अतिरिक्त पोषण वाला भोजन उपलब्ध करवाया और इनके शारीरिक विकास से संबंधित तथ्यों की तुलना गैर पोषण प्राप्त विद्यार्थियों से की। इन्होंने पाया कि 'पोषण प्राप्त बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो अच्छा हो रहा है वहीं उनका शैक्षणिक स्तर भी सुधर रहा है। इन्होंने अपने शोध में मध्याह्न भोजन के प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया।'[1]

2. इसके ही अध्ययन से प्रेरित हो 1970 में सैल ने ग्रामीण क्षेत्रों के उन बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन और कैलोरी वाला भोजन उपलब्ध करवाया जो कुपोषण का शिकार थे। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के रूप में यह भोजन दिया गया और इससे यह परिणाम निकल कर आए कि छह माह के भीतर ही कुपोषण के शिकार विद्यार्थी स्वस्थ हो गए। यह भी एक प्रयोगात्मक अध्ययन था। इस अध्ययन ने भी इस बात पर जोर दिया कि 'विद्यार्थियों को उचित मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाए तो ना केवल कुपोषण को दूर किया जा सकता है वरन् उन बच्चों को भी विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जो कि विद्यालय से दूर भागते है।'[2]

3. केयर इंडिया नामक संस्था ने 1977 में कर्नाटक में अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में पाया कि 'यदि बच्चों को विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाए तो इससे बच्चों की अनुपस्थिति में कमी आती है और विद्यालय में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है।'[3]

4. येली ने 1979 में ही कर्नाटक में किए गए अपने अध्ययन में बताया कि 'मध्याह्न भोजन योजना के कारण बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। यह विशेषकर उन क्षेत्रों में अधिक कारगर जिन क्षेत्रों में विद्यालय में सुविधाओं का अभाव रहता है।'[4]

5. एनसीईआरटी ने केयर इंडिया की सहायता से 1981–82 में मध्याह्न भोजन योजना पर प्रयोग के आधार पर एक प्रयोग किया जिसमें 13 राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना

चलाई गई। इस अध्ययन से पता चला कि 'बच्चों के विद्यालय छोडने में कमी आई है और विद्यालय में बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।'[5]

6. 1986 में गरीब, जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना पर एक प्रयोग किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 'बच्चों को विद्यालय भेजने में जनजातीय समुदाय का रूझान अधिक बढ़ गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मध्याह्न भोजन योजना कुपोषण और अशिक्षा दोनों समस्याओं का निवारण एक साथ कर रही है।'[6]

7. 1989 में ही हिमाचल प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना में भोजन के साथ पुस्तकें, लिखने की सामग्री भी बांटी गई। इसमें यह पाया गया कि 'भोजन के साथ अन्य सुविधाऐं दिए जाने से गरीब वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में बढोतरी होती है। मध्याह्न भोजन योजना कम आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए एक अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है।'[7]

8. 1995 में भास्करन द्वारा एक अध्ययन तिरूवर तालुका तमिलनाडु में किया गया। जिसमें पाया गया कि 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में ड्राप आट्स 10 प्रतिशत कम हो गया था। अच्छे पोषण से इन विद्यार्थियों का शारीरिक विकास भी सुधरा।'[8]

9. 2003 में केयर फॉर इक्विटी संस्था ने कर्नाटक और राजस्थान में अध्ययन किया। इसमें मध्याह्न भोजन के लिए 'घूघरी' का वितरण प्रारंभ किया गया। कर्नाटक में मध्याह्न भोजन के लिए 'शीरा' (हलवा) का वितरण किया गया। इसमें पाया गया कि 'स्थानीय व्यंजन प्रदान किए जाने से विद्यार्थी उसे अधिक चाव से खाते है। गरीब वर्ग

के विद्यार्थियों के लिए यह एक समय के खाने के पैसों की बचत होती है और इसमें वह उचित पोषण भी प्राप्त करते है।'[9]

10. पश्चिम बंगाल में मध्याह्न पका भोजन योजना – बीरभूम जिले में एक अध्ययन 2005 में किया गया। यह अध्ययन प्रो. अर्मत्य सेन के प्रतिचि ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस अध्ययन में निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत हुए –

'मध्याह्न भोजन योजना ने प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाया है। विशेष रूप से इसने लडकियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के सम्मान में वृद्धि की है। पका हुआ मध्याह्न भोजन कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करता है विशेष रूप से यह उनके लिए जरूरी है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे हुए है। इससे सामाजिक दूरी कम होती है। यह शिक्षक की अनुपस्थितिता को कम करता है।'[10]

11. मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना पर एक अध्ययन समाज प्रगति सहयोग संस्था के अंतर्गत ज्योत्सना जैन और मिहिर शाह द्वारा किया गया।

'यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछडे गांवों में किया गया जिसमें यह निष्कर्ष निकले

अध्यापक और पकाने वालो का कहना कि भोजन नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाता है। अभिभावक यह चाहते है कि यह योजना आगे भी चलती रहे। वह यह भी महसूस करते है कि इससे कक्षा में भूख का निवारण हो जाता है। अभिभावक यह मानते है कि इससे स्कूल में बच्चों के सीखने की क्षमता पर सकारात्मक असर

पडा है और अध्यापको का कहना है कि इससे विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। पूर्णरूप से नामांकन में की वृद्धि हुई है। इसमें भी सबसे अधिक वृद्धि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की है। इसमें कुछ लडकियाँ शामिल है और लडकियों में भी कुछ संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लडकियों की है। अधिकांश अभिभावक यह मानते है कि भोजन अच्छा या बहुत अच्छा है, बहुत कम अभिभावक भोजन से संतुष्ट नहीं है। इसमें अन्तर्धार्मिक तथ्य शामिल हो जाते है। टीकमगढ़ में 45 प्रतिशत अभिभावको ने भोजन को खराब बताया है। यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भोजन की गुणवत्ता में बडे सुधार होने चाहिए।'[11]

12. मध्याह्न भोजन पर एक शोध पत्र फरजाना आफरीदी ने ईपीडब्ल्यू, अप्रैल 2005 में प्रकाशित करवाया था। 'यह रिपोर्ट कर्नाटक और मध्यप्रदेश में इस योजना के संस्थात्मक और आर्थिक संगठनों पर केन्द्रित है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह रिपोर्ट बताती है कि

सुरूचि भोजन के नए उपक्रम पूर्व के दलिया कार्यक्रम की तुलना में अधिक आकर्षक और पोषकीय कैलोरी उपलब्ध करवा रहे है। दलिया कार्यक्रम की तुलना में अभिभावक स्वरूचि भोजन से अधिक संतुष्ट है। जहाँ सुरूचि भोजन से अधिकांश अभिभावक संतुष्ट है वहीं दलिया कार्यक्रम से अधिकांश अभिभावक संतुष्ट थे। बहुत कम अभिभावक ही सुरूचि भोजन के लिए सूखे राशन के वितरण को वरीयता देते है। अभिभावक शिक्षक सहयोग को अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है।

कर्नाटक के संदर्भ में यह रिपोर्ट कहती है कि –

अक्षर दसोहा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अधिक योजनाबद्ध और भलीं प्रकार प्रबंधित है। आयरल फॉलिक की गोलियों के साथ स्वास्थ्यवर्धक गोलियां भी नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाती है। सामुदायिक सहभागिता अच्छी है और विद्यालय विकास और प्रबंधन समितियों के प्रकार्य भी अच्छी तरह से किए जा रहे है। भोजन नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाता है और भोजन की गुणवत्ता संतुष्टिजनक है।'[12]

13. दिल्ली में अनुराधा डे, क्लेयर नोरोन्हा और मीरा सेम्सन द्वारा एक अध्ययन 'मध्याह्न भोजन योजना – एक कार्यकरण कार्यक्रम' कोर्ड संस्था द्वारा 2005 में किया गया।

'यह सर्वेक्षण दिल्ली के अन्तर्गत आने वाले एमसीडी विद्यालयों का है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि –

विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्राप्त हो रहा है। अभिभावक भोजन की गुणवत्ता से खुश है। उपस्थिति बढ़ गई है विशेष रूप से उन लड़कियों की जो बिना नाश्ता किए विद्यालय आती है। पीने के पानी की उपलब्धता एक समस्या है और कुछ बच्चें घर पर पानी पीने जाते है और लौटकर स्कूल नहीं आते है। मध्याह्न भोजन के प्रति जिम्मेदार अध्यापकों की आवश्यकता है जो संस्थागत रूप से अनुशासनात्मकता, आदेश और अच्छी आदतें बच्चों में ला सके। अभिभावकों में मध्याह्न भोजन के बारे में सूचना प्रसार की अतिशीघ्र आवश्यकता है, विशेषरूप से इसकी पौष्टिकता और कम पौषण तथा स्वास्थ्य स्तर के बीमारी वाले प्रभावों को बता सके।'[13]

14. कर्नाटक की अक्षर दसोहा योजना पर एक रिपोर्ट डॉ राम नाइक ने प्रस्तुत की गई जिसमें निम्न निष्कर्ष निकले –

'विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन बढ़ रहा है। अध्यापकों की अनुपस्थिति पर यह योजना सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। विद्यालयों में इसकी कमी को महसूस किया गया है। मध्याह्न भोजन नियमित रूप से परोसा जा रहा है। विद्यालय स्वास्थ्य युक्त गोलियां, विटामिन और आयरन की गोलियों का वितरण कर रहे है। जाति आदि के आधार पर भोजन खाने और परोसने को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया गया है। अभिभावक यह मानते है कि उनके बच्चों का वजन केवल मध्याह्न भोजन के कारण बढ़ा है। अभिभावक यह मानते है कि उनके बच्चें सामान्य सर्दी जुकाम से कम ग्रसित होने लगे है।

अभिभावक इस योजना से संतुष्ट है। बच्चें यह मानते है कि भोजन स्वादिष्ट है और पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। बच्चों ने यह महसूस किया कि उनकी एकाग्रता में सुधार हुआ है।'[14]

राजस्थान राज्य में मध्याह्न भोजन योजना पर किए गए प्रमुख शोध

15. मध्याह्न भोजन योजना के कुछ स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन 2005 में किए गए जिसमें प्रमुख है राजस्थान में मध्याह्न भोजन योजना का परिस्थितिगत अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनिसेफ, प्रो. बीना माथुर द्वारा किया गया। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार रहे –

- ‘मध्याह्न भोजन का मेन्यू बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- अध्यापको का कहना है कि मध्याह्न भोजन भारी मात्रा में नामांकन करवाता है।
- अध्यापको का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ गई है।
- पका हुआ मध्याह्न भोजन जब वितरित किया जाता है तो इससे बच्चों के बीच सामाजिक समानता बढ़ती है। वह वर्ग और जाति की सीमाओं को काटते हुए एक साथ बैठकर साझा भोजन बांटते है।
- पका हुआ मध्याह्न भोजन कक्षा में भूख की समस्या को कम करता है विशेषकर उनके लिए जो समाज के पिछडे वर्ग से आते है।
- मध्याह्न भोजन योजना गरीब कामकाजी माताओं के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है जो काम पर जाने के लिए बच्चों को छोड़ती है इससे यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर देते हुए लैंगिक समानता को बढ़ाती है।
- अभिभावक मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट है।
- अभिभावक यह चाहते है कि यह योजना आगे भी चलती रहे।’[15]

16. दूसरा अध्ययन उदयपुर जिले में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और इसके प्रभावों का एक मूल्यांकन; जूलिया ब्लू; सेवा मंदिर द्वारा किया गया। ‘यह रिपोर्ट उदयपुर में मध्याह्न भोजन योजना का जनजातीय समुदायों और कृषकों पर प्रभाव का मूल्यांकन करती है।

- पका हुआ मध्याह्न भोजन उदयपुर में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बन चुका है।
- यहाँ अलग–अलग मेन्यू दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- गरीब बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता को यह भोजन पूरी करने में सहायता कर रहा है।
- नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई है।'[16]

17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने विकास अध्ययन संस्था जयपुर के तत्वाधान में मध्याह्न भोजन योजना पर एक अध्ययन करवाया 'जिसमें निम्न निष्कर्ष निकलते है –

इस अध्ययन में राजस्थान में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन चार जिलों अजमेर, बारां, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में विकास अध्ययन संस्था, जयपुर द्वारा किया गया। अधिकांश विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नियमित रूप से दिया जा रहा है। सर्वेक्षित कुल विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों में पका हुआ भोजन स्टीरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी की देखरेख में दिया जा रहा है, विद्यालयों में महिला अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा तैयार मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। विद्यालयों में केन्द्रित रसोई व्यवस्था द्वारा मध्याह्न भोजन वितरित किया जा रहा है जैसे नांदी फाउंडेशन।

सर्वेक्षित कुल विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों पिछले 12 महिनों से नियमित रूप से मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के वितरण में अनियमितताएँ पायी गई। इसमें बारां जिले में सबसे अधिक अनियमितताएँ प्राप्त हुई।

इसका कारण केन्द्रित रसोई से बहुत कम वितरण, खाद्य सामग्री का अनियमित वितरण, विद्यालयों में भोजन पकाने वालों की अनुपलब्धता और पकाने पर खर्च की जाने वाली राशि का देरी से प्राप्त होना रहा।

विद्यालय नियमित आधार पर खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे थे। विद्यालय इसमें अनियमित थे। इसका कारण खाद्य सामग्री प्राप्त करने में देरी, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स स्तर तक पहुँचने में देरी और परिवहन की सुविधा की कमी थी। खाद्य सामग्री देरी से पहुँचने की स्थिति में पडौस के विद्यालय से मध्याह्न भोजन उधार लिया जाता था। एक से चार सप्ताहों में सामान्यतः खाद्य सामग्री देरी से ही पहुँचती थी। विद्यालयों ने बताया कि अनियमित वितरण की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वह बफर संग्रहण रखते है।

अध्यापको द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता अच्छी बताई गई अधिकांश अध्यापको ने इसे औसत बताया। अध्यापको ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को खराब बताया। जिलों के अनुसार स्थिति देखे तो बारां में सबसे खराब खाद्य सामग्री प्राप्त हुई वहीं चित्तौडगढ़ इसके पीछे है।

विद्यालयों के अनुसार वह भोजन पकाने का खर्च अग्रिम प्राप्त कर लेते है जबकि शेष विद्यालय भोजन पकाने का खर्च अग्रिम प्राप्त नहीं करते। भोजन का खर्च प्राप्त करने में एक से पाँच माह तक की देरी हो जाया करती है।

विद्यालयों में भोजन परोसने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। सभी जातियों के बच्चें, लडके और लडकियाँ दोनों को समान आधार पर विद्यालयों में भोजन

प्राप्त करते हुए पाया गया। जिलेवार स्थिति में चित्तौडगढ़ में सबसे कम भेदभाव और इसके बाद अजमेर जिले में प्राप्त हुआ।

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन विभाग द्वारा तैयार मैन्यू के आधार पर ही भोजन बनाया जाता है। विद्यालयों में सप्ताह में एक बार विद्यालय स्तर पर ही मैन्यू में परिवर्तन कर दिया जाता है।

विद्यालयों में बच्चों के अनुसार वे मध्याह्न भोजन की मात्रा और गुणवत्ता से संतुष्ट है। संतुष्टि का स्तर सबसे अधिक चित्तौडगढ़ और इसके बाद अजमेर जिले में पाया गया। बच्चे भोजन वितरण की गुणवत्ता से संतुष्ट पाए गए। फिर भी चित्तौडगढ़, बीकानेर और बारां जिले में बच्चे उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं पाए गए। अधिकांश विद्यालयों के अनुसार बच्चों की वर्ष में एक बार चिकित्सकीय जाँच होती है। विद्यालयों में किसी भी तरह की चिकित्सकीय जाँच नहीं होती। चित्तौडगढ़ में अधिकांश विद्यालय ऐसे ही प्राप्त हुए है।

अधिकांश विद्यालयों में जहाँ भोजन विद्यालय के परिसर में ही पकाया जाता है वहाँ रसोइए की व्यवस्था स्टिरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की जाती है। जाति के आधार पर सबसे अधिक आदमी और औरतें अन्य पिछड़ा वर्ग के थे।

विद्यालय जहाँ परिसर में ही मध्याह्न भोजन पकाया जाता है उनमें से अधिकांश विद्यालयों में पक्के रसोईघर थे। अधिकांश विद्यालयों में खाद्य सामग्री संग्रहण की व्यवस्था थी। शेष विद्यालयों में संग्रहण सुविधा निर्माणाधीन या अधिकृत हो चुकी थी। कई विद्यालयों में खाना पकाने, पीने और धोने के लिए पानी की उचित व्यवस्था थी।

अभिभावकों, विलेज एज्यूकेशन कमेटी सदस्यों और प्राइमरी रेट इंटरफेस की मध्याह्न भोजन निगरानी और पर्यवेक्षण में सहभागिता कुछ ही विद्यालयों में ही प्राप्त हुई। कोई क्रमिक व्यवस्था विद्यालयों में नहीं थी।

मध्याह्न भोजन का नियमित अन्वेक्षण केवल कम ही विद्यालयों में ही था। स्टेट प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट के द्वारा मध्याह्न भोजन का कोई अन्वेक्षण नहीं प्राप्त हुआ। कई विद्यालयों के अध्यापको का मानना है कि मध्याह्न भोजन नामांकन संख्या को बढ़ाने में सहायक है। अधिकांश विद्यालयों के अध्यापको का मानना है कि मध्याह्न भोजन बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति को भी सुधारने में सहायक है। यह सामान्य रूप से बच्चों के पोषण के स्तर को भी सुधारने में सहायक हुआ है। कुछ प्रघटनीय लाभ यह भी देखने को मीले की बच्चे अपने छोटे भाई–बहिनों को भी विद्यालय में लेकर आ जाया करते थे।'[17]

मध्याह्न भोजन योजना पर हुए शैक्षिक शोध कार्यों की समीक्षा

1. एस.सी. चौहान (2003) ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिक्षा का सिंहावलोकन संवैधानिक प्रावधान नीतियां एवं क्रियान्वयन'' प्रजातंत्रात्मक गणराज्य में शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार बने तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए सभी को समान अवसर मिले। इस दिशा में किए गए प्रयासों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं उसकी कार्य योजना 1992 के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु विभिन्न उपाय सुझाए। इसके लिए साथ–साथ समाज का वर्ग जिसे सबसे कम सुविधायें प्राप्त हैं तथा जो आर्थिक और सामाजिक

दृष्टि से पिछड़े हैं। उन समूहों के बच्चों का शत्–प्रतिशत नामांकन होने की दिशा पर कार्य करने पर बल दिया है।[18]

2. भागवत प्रसाद मिश्र (2004) ''रीवा संभाग में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययन'' के अनुसार रीवा संभाग में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और शालात्यागी छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है। इसमें मध्यान्ह भोजन योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।[19]

3. तिलकराज पंकज (2005) ''सर्व शिक्षा अभियान और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण विषय का अध्ययन'' सर्व शिक्षा अभियान में कार्मिक स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा में राजनीति दखलंदाजी पर रोक के साथ–साथ शिक्षक प्रशिक्षकण के क्षेत्र में कार्यरत संदर्भ संस्थाओं को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।[20]

4. सुभाष चन्द्र तिवारी (2005–06) ने अपने शोध ''प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की क्रियान्वयन समस्या का अध्ययन'' में बताया कि सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं के सभी विद्यार्थियों को भोजन प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं है। विद्यार्थियों का रूचिकर पौष्टिक तथा पका हुआ गर्म भोजन देने में कोई कठिनाई नहीं है। मध्यान्ह भोजन समय पर देने में कोई कठिनाई नहीं है। मध्यान्ह भोजन योजना से छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई। मध्यान्ह भोजन योजना से छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई। मध्यान्ह भोजना योजना से छात्रों को शाला में अच्छा लगता है। मध्यान्ह भोजना योजना से बच्चे शाला जाने के लिए उत्साहित रहते हैं।[21]

5. इकॉनॉमिक एन्ड पॉलिटिकल वीकली नामक पत्रिका में प्रकाशित फरजाना अफरीदी के शोध आलेख **मध्याह्न भोजन –द इम्पलीमेंटेशन एन्ड इन्सटीट्युशनल आर्गनाइजेशन ऑव द प्रोग्राम इन टू स्टेटस् (अप्रैल 2005)** का निष्कर्ष है कि इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी से सुधार आ रहा है लेकिन अब भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। सुरुचि भोजन नाम से शुरु की गई नयी पहल दलिया देने के पुराने प्रग्राम से कहीं ज्यादा सफल है।[22]

6. अनुराधा दे, क्लेर नोरोन्हा और मीरा सैम्सन द्वारा प्रस्तुत **मध्याह्न भोजन स्कीमस् इन दिल्ली–अ फंक्शनिंग प्रोग्राम** नामक सर्वेक्षण में एमसीडी के कुल 12 विद्यालयों की जांच की गई। इस अध्ययन के अनुसार इन सभी विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन का खाना दिया जा रहा था और इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक असर लड़कियों की स्कूली उपस्थिति पर पड़ा था जिन्हें अक्सर घर से खाली पेट स्कूल भेज दिया जाता था।[23]

7 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कि एक रिपोर्ट (2005) के अनुसार जो बच्चे मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हुए उनकी बोध–क्षमता उन बच्चों से कहीं ज्यादा थी जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला था।[24]

8. मध्याह्न भोजन स्कीम इन कर्नाटक–ए स्टडी(नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत–2005–06) – अधिकतर स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना से छात्रों की उपस्थिति में सुधार आया है और गैरहाजिरी कम

हुई है। इस योजना से समाजिक समानता की भावना बलवती हुई है और छात्रों में भाईचारा बढ़ा है।[25]

9. सीएजी द्वारा प्रस्तुत **द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन (मध्याह्न भोजन स्कीम) – रिपोर्ट संख्या–पीए 13 (2008)** में कहा गया है– मध्याह्न भोजन योजना को चलते हुए एक दशक से ज्यादा का समय हो गया लेकिन इस योजना से किन लक्ष्यों को साधा जाना है इसके बारे में अब भी अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है। साल 2006 के सितंबर में नीति के स्तर पर एक गुणात्मक बदलाव आया (पहले जोर नामांकन बढ़ाने, शिक्षण का स्तर सुधारने और उपस्थिति बढ़ाने पर था) और जोर पोषण तथा स्वास्थ्य के पहलू पर दिया जाने लगा।[26]

10. परमानंद सिंह यादव (2006) ''वर्तमान शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्राचीन भारतीय शैक्षिक परंपराओं की प्रासंगिकता'' के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक अनुशासन और नैतिक स्तर के दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय शैक्षिक आचार एवं दण्ड संहिता आज भी अत्यंत प्रासंगिक है।[27]

11. मोतीराम (2006) ''Scheduled Castes Education in India Isssues and Challenges (Research Latter)'' के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनके क्षेत्रों मे ं विद्यालयो ं की स्थापना के साथ–साथ इन्हें मुफ्त में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके सकारात्मक परिणाम भी

सामने आ रहे है। इनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा लगातार इनके नामांकन में वृद्धि हो रही है। साक्षरता दर बढ़ी है।[28]

12. ज्योत्सना पाण्डेय (2008) ''Expansion of Elementary Education is South Rajsthan with Special Reference To Fribal District'' के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना के परिणामस्वरूप शोध क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है। प्रधानाध्यापकों के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना के कारण प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है।[29]

13. नेहा पुष्पद (2008–09) ने अपने लघु शोध ''मध्यान्ह भोजन का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव'' में बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना का बालकों एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है तथा साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना का बालकों एवं बालिकाओं के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पर भी कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।[30]

14. एस. चिटनिस (2014) ''Leteracy and Education Envorlment Among The Schelcastes of Maharastr'' के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति का साक्षर प्रतिशत बहुत कम है तथा प्राथमिक स्तर पर इनके बच्चों के नामांकन भी आशानुकूल नहीं हो रहे हैं।[31]

15. लीला कंसारा (2017) ''Survey of Basic Education During The Post Thirty Years and Its Effect an Education in General and Society in Particular'' के अनुसार भारत में

बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सबसे आवश्यक है। समाज के लोगों और शिक्षकों के मध्य बेहतर संबंध होना साथ ही साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में समन्वयक के साथ शिक्षा की जरूरत पर बल दिया।[32]

उपरोक्त साहित्य समीक्षा में यह स्पष्ट है कि वर्तमान दशक में मध्याह्न भोजन योजना पर सारगर्भित शोध नहीं हुआ है साथ ही शोध में माता पिता और अभिभावकों के स्तर पर अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर, उनके भोजन की गुणवत्ता, बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना के लिए सहयोग कार्यों, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अध्ययन नहीं किया गया है। बच्चों के पारिवारिक, व्यवसायिक और शारीरिक सुधार के स्तर पर अध्ययन प्रस्तुत नहीं है। अतः प्रस्तुत शोध इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किए जाने का लक्ष्य रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Chandrashekaran,1995; "Primary Education in India: Prospects of Meeting the MDG Target" UNU-WIDER (United Nations University World Institute for Development of Economic Research), ISSN 1810-2611 ISBN 92-9190-858-4 (internet version), Research Paper No. 2006/80.
2. Sail, 1970; "Inside Primary Schools: A study of teaching and learning in rural India", ASER (Assessment Survey Evaluation Research), Pratham Mumbai Education Initiative.
3. Care India, 1977; "Primary schooling in a tribal state of India: Some policy relevance", Journal of Education Administration and Policy Studies Vol.1 (5).
4. Yeli, 1979; "Problems and prospects of primary education: A geographical analysis", Journal of Geography and Regional Planning, ISSN 2070-1845, Academic Journals, Vol. 3(10).
5. NCERT,1982; "Universalization of Primary Education in India: Lessons of Experience and Pointers for Action Aids to Programming", UNICEF Assistance to Education, Unit for Co-operation with UNICEF and WFP Unesco, Paris.
6. Mukhopadhyay A. & Sahoo S. (1986), "Does Access to Secondary Education Affect Primary Schooling? Evidence from India", Institute for the Study of Labor (IZA), Germany Discussion Paper No. 6507.
7. Banerjee, A.and E. Duflo, 1989; *Poor Economics: Rethinking Poverty and the Ways to End it,* Random House India, Noida
8. Bhaskaran, 1995; 'Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India,'*Journal of Development Economics.,* Vol. 92, Issue 2,July.
9. Care for equity, 2003; 'The Mid Day Meal' *Quarterly Journal of Economics,* 112 (3).
10. Pratichi report, 2005; 'Mid day meal study in Beerbhoom,' *Journal of Law and Economics.,* 16.
11. Shah, Mihir and Jain, Jyotsna; 'Strategic Food Quality Management: Analysis of Issues and Policy Options,' Oxford IBH, New Delhi.
12. Afridi, Farxana; 2005; 'Future of Mid-day Meals,' *Economic and Political Weekly,* Vo. 38, No. 44.
13. Samson, M., C. Noronha, and A. De, 2005; 'Towards more benefits from Delhi's midday meal scheme,' CollaborativeResearch & Dissemination (CORD), New Delhi.

14. Naik, Ram 2008; ‘Emerging Markets for GM Foods: An Indian Perspective on Consumer Understanding and the Willingness to Pay,’ *International Journal of Biotechnology,* Vol. 10, No. 6.
15. Mathur, Beenal; 2005, ‘Ecologiacal Study od MDM’ *Journal of Political Economy.*, Vol. 78.
16. Planning Commission, 2010; ‘Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal,’ Programme Evaluation Organization, PEO Report No. 202, Planning Commission, GOI.
17. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education .nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.
18. एस.सी. चौहान (2003) ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिक्षा का सिंहावलोकन संवैधानिक प्रावधान नीतियां एवं क्रियान्वयन'', भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, अंक 3, पृ. 85–102.
19. भागवत प्रसाद मिश्र (2004) ''रीवा संभाग में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययन'' भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, अंक 3, पृ. 87.
20. तिलकराज पंकज (2005) ''सर्व शिक्षा अभियान और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण विषय का अध्ययन'', प्राथमिक शिक्षा, एनसीईआरटी, त्रैमासिक पत्रिका, अंक 2, पृ. 35–39.
21. सुभाष चन्द्र तिवारी (2005–06), ''प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की क्रियान्वयन समस्या का अध्ययन'', लघु शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.
22. मध्याह्न भोजन –द इम्पलीमेंटेशन एन्ड इन्सटीट्युशनल आर्गनाइजेशन ऑव द प्रोग्राम इन टू स्टेटस् (अप्रैल 2005)
23. अनुराधा दे, क्लेर नोरोन्हा और मीरा सैम्सन, मध्याह्न भोजन स्कीमस् इन दिल्ली–अ फंक्शनिंग प्रोग्राम 2010
24. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एक रिपोर्ट (2005)
25. मध्याह्न भोजन स्कीम इन कर्नाटक–ए स्टडी(नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत–2005–06)

26. द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन (मध्याह्न भोजन स्कीम) – रिपोर्ट संख्या–पीए 13 (2008)
27. परमानंद सिंह यादव (2006) ''वर्तमान शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्राचीन भारतीय शैक्षिक परंपराओं की प्रासंगिकता'', भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, पृ. 75–84
28. मोतीराम (2006) ''Scheduled Castes Education in India Isssues and Challenges (Research Latter)'', यूनिवर्सिटी न्यूज, ए वीकली जर्नल ऑफ हायर एजूकेशन, अंक 44(13)
29. ज्योत्सना पाण्डेय (2008) ''Expansion of Elementary Education is South Rajsthan with Special Reference To Fribal District'', Department of Education, MS University, Udaypur.40
30. नेहा पुष्पद (2008–09), ''मध्यान्ह भोजन का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव'', लघु शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
31. एस. चिटनिस (2014) ''Leteracy and Education Envorlment Among The Schelcastes of Maharastra'', टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई.
32. लीला कंसारा (2017) ''Survey of Basic Education During The Post Thirty Years and Its Effect an Education in General and Society in Particular'', शोध प्रबंध, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मुम्बई.

अध्याय तृतीय

शोध प्रविधि

3.1 प्रस्तावना

शैक्षिक अनुसंधान विधाओं में सामाजिक यर्थाथता, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक संबंधों की जटिलता को देखते हुए अनुसंधान की उपयोगिता को बनाए रखने के उद्देश्य से शोध प्रारूप जैसा महत्त्वपूर्ण चरण सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण चरण है। शैक्षिक शोधों में किसी भी अनुसंधान की वैधता उसके निष्कर्ष पर आधारित होती हैं और निष्कर्ष की विश्वसनीयता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उन निष्कर्षों की पुनरावृति हो सके।

शैक्षिक अनुसंधान में वैधता और विश्वसनीयता के लिए नियोजन की आवश्यकता होती हैं। अर्थात् अनुसंधान किस प्रकार संचालित होगा इसकी पूर्ण विस्तृत रणनीति बनाना। अतः अनुसंधान के बारे में एक योजना बनाने की क्रियाविधि को शोध प्रारूप या अनुसंधान प्ररचना कहा जाता हैं। शोध प्रारूप प्रमुखतः अनुसंधान के लगभग समस्त पक्षों के बारे में रणनीति तैयार करने से संबंधित होता हैं। इसी रणनीति में अनुसंधान के उद्देश्य प्राकल्पना, शोध साधन, श्रम, समय और धन सम्मिलित होता हैं।

आर.एल.एकाफ ने लिखा हैं कि अनुसंधान प्ररचना आने वाली परिस्थितियों में जो निर्णय लागू किए जाने हैं उनको परिस्थितियों के आने से पहले ही सोच समझकर निश्चित कर लेना योजना बनाना हैं। यह एक सचेत प्रक्रिया हैं।

शोध प्रारूप अध्ययनकर्त्ता को निम्नलिखित प्रश्नों के प्रति जागरूक कर उसे अध्ययन में सहायता करती हैं।

1. अध्ययन क्या हैं और किस प्रकार के आंकडों की आवश्यकता होगी।
2. अध्ययन क्यों किया जा रहा हैं।
3. अपेक्षित आंकडे कहाँ मिलेंगें।
4. कहाँ किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाएगा।
5. कितने समय में अध्ययन किया जाएगा।
6. कितनी सामग्री और कितने मामलों की आवश्यकता होगी।
7. निदर्शन क्या होगा।
8. आंकडों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा।
9. आंकडों के एकत्रीकरण के लिए कौनसी पद्धति का उपयोग किया जाएगा।

3.2 शोध में प्रयुक्त विधि

सर्वेक्षण विधि

सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः एक समूह के लोगों की रचना, क्रिया– कलापोतथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जाँच कार्य है। दरअसल सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य अत्यन्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक हैं। भारत में लगभग दो हजार वर्ष पहले मौर्य युग तथा गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक क्षेत्र में सर्वेक्षण के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्रित करने के प्रमाण मिलते है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले मिश्र में जनसंख्या एवं सम्पति का अध्ययन करने

के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल हेरीडोटस ने किया था और महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्रित की थी। इस पद्धति का व्यवस्थित उपयोग 18वी शताब्दी से आरंभ हुआ। जान हावर्ड लिप से श्री चाटर्सवुथ, आयर चडवले, राउण्ट्रीय जैसे अनेक विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग करके महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया। इसके बाद अमेरिका तथा संसार के दुसरे देशो में सर्वेक्षण द्वारा तथ्यो का संकलन करने का प्रयत्न निरंतर बढते गया। भारत में आज भी अनेक संगठनों तथा संस्थाओं के द्वारा भिन्न–भिन्न विषयों पर सर्वेक्षण आयोजित करके सूचनाओं का संकलन किया जाता है।

मोर्स ने सर्वेक्षण के बारे में कहा है कि सर्वेक्षण किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की केवल एक पद्धति है।

सर्वेक्षण के कार्य

सामाजिक तथ्यों का संकलन

सामाजिक समस्याओं का अध्ययन

कार्य कारण संबंधों की खोज

समाज सुधार

सर्वेक्षण के प्रकार

प्रचार सर्वेक्षण

तथ्य संकलन सर्वेक्षण

सर्वेक्षण अनुसंधान का रीति विधान

उचित प्रकार से सर्वेक्षण कार्य को करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका आयोजन उचित प्रकार से किया जाए। इस संबंध में पार्टन का कहना है कि किसी सर्वेक्षण योजना, संघटन व संचालन किसी व्यापार को चलाने के समान है। दोनों ही के लिए तकनीकी ज्ञान एवं कार्य कुशलता, प्रशासनिक क्षमता एवं विशिष्ट अनुभव या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

अगर सर्वेक्षण का आयोजन उचित प्रकार से किया जाए तो सर्वेक्षण कार्य सरल हो जाता है। सर्वेक्षण कार्य कुछ चरणों के माध्यम से किया जाता है।

सर्वेक्षण के चरण

समस्या का चयन

सर्वेक्षण विषय के उद्देश्य का निर्धारण

अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित व परिसीमित करना

प्रारंभिक तैयारियां

संबंधित विषय में पुस्तकों आदि की सहायता से ज्ञान प्राप्त करना।

अन्य विशेषज्ञों से मिलकर उनके विचारों एवं दृष्टिकोण जानना।

सर्वेक्षण के दौरान आनेवाली कठिनाइयों का अनुमान करना।

सूचना स्त्रोतों तक पहुंचने के संबंध में अनुमान करना।

प्रतिदर्श का चयन

बजट निर्माण

समय अनुसूची का निर्माण

अध्ययन पद्धति का चयन

अध्ययन उपकरणों का निर्माण

अध्ययन साधनों का वितरण

समुदाय को तैयार करना

तथ्यों का संचय

तथ्यों का संपादन

तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन

तथ्यों का विश्लेषण व सामान्यीकरण

रिपोर्ट निर्माण व प्रकाशन

उपर्युक्त चरणों के अनुसार ही प्रस्तुत शोध अभ्यास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन कार्य के लिए सर्वेक्षण पद्धति का चयन पूर्णतया वैज्ञानिक है। इसके अन्तर्गत तथ्यों की व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से एकत्रित करने के लिए उन सभी चरणों का प्रयोग किया गया है। जो वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है। सर्वेक्षणकर्ता जब कभी भी किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रितकरण करेगा, तो इस काल में उसके निजी विचारों अथवा भावनाओं का कोई महत्व नही होगा है। सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र किया गया तथ्य और परिणाम भी वैज्ञानिक नियमों के अनुसार होगीं।

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक, सर्वेक्षण का संबंध सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष, विषय घटना अथवा समस्या से संबंधित तथ्यो के संकलन और विषलेशण की प्रक्रिया है। जहाँ तक सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा का प्रश्न है। विद्धानो ने सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की परिभाषा दी है। जिसमें विद्धानो ने तीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखा हैं।

1. सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में।
2. सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओ के अध्ययन के रूप में।
3. सामाजिक सर्वेक्षण प्रगति एवं सुधार के रूप में।

कुछ विद्धान सामाजिक सर्वेक्षण को एक ऐसे अध्ययन के रूप में परिभाषित करने के पक्ष में है। जिनके सहायता से सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओ को प्रकाश में लाया जा सकें। इस संबंध में ए0 एफ0 बेल्थ ने कहा है कि साधारण सामाजिक सर्वेक्षण एक क्षेत्र के विशेष मे रहने वाले व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के क्रिया–कलापों के अध्ययन के लिए किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

3.3 जनसंख्या

शोध में जनसंख्या का अर्थ भिनन होता है, जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाइयो के निरीक्षण से होता है। इसमें से कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है। न्यादर्श की इकाइयों का निरीक्षण तथा मापन करके जनसंख्या की विशेषताओ के सम्बंध में अनुमान लगाया जाता है।

प्रस्तुत शोध की जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन जिला जयपुर, राजस्थान में ग्रामीण तथा शहरी सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना विभाग के अनुदेश के अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालयों का ही चयन किया गया है क्योंकि सरकारी अनुदेश के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सरकारी विद्यालयों में ही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के सर्वाधिक लाभांवित सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी ही है।

3.4 न्यादर्श

किसी भी अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह पूरे जनसंख्या के सभी व्यक्तियों को अपनी खोज का विषय बना सके। इसलिए जनसंख्या में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जोकि समग्र का प्रतिनिधित्व करे और जिन पर किए गए अध्ययन के आधार पर समग्र के लिए निष्कर्ष निकाले जा सके। अध्ययन के लिए चयनित व्यक्तियों के ऐसे समूह को न्यादर्श कहते है। न्यादर्श किसी भी अनुसंधान कार्य की आधारशिला है यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी अनुसंधान के परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे।

न्यादर्श की परिभाषाऐं

गुडे एवं हाट के अनुसार – 'एक प्रतिदर्श जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।'

यंग के अनुसार – 'एक सांख्यिकी न्यादर्श उस संपूर्ण अथवा योग या अति लघुचित्र है।' जिससे न्यादर्श लिया गया है।

इस प्रकार अध्ययन के लिए ऐसे छोटे समूह को लिया जाता है जो कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। समग्र में छोटा होते हुए भी इसमें समूह के गुण विद्यमान होते है।

न्यादर्श के चयन की आवश्यकता

1. न्यादर्श की सहायता से संपूर्ण समिष्ठ के अध्ययन करने में समय व धन व्यय होता है, न्यादर्श में धन की बचत की जाती है।

2. न्यादर्श से किसी भी परीक्षण को प्रशासित करना सरल होता है। संपूर्ण जनसंख्या पर परीक्षण प्रशासित करना अधिक कठिन होता है। अतः प्रशासकीय सुविधा हेतु न्यादर्श का चयन किया जाता है।

3. न्यादर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों से समिष्ठ से संबंधित समस्या के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।

4. संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना संभव है इसलिए न्यादर्श का चयन आवश्यक है।

एक अच्छे न्यादर्श की विशेषताऐं

1. न्यादर्श प्रतिनिधित्व पूर्ण होना चाहिए।

2. न्यादर्श पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

3. न्यादर्श पक्षपात तथा मिथ्या सुझाव से मुक्त होना चाहिए।

4. अच्छे न्यादर्श में विश्वसनीयता का स्तर ऊँचा होता है।

5. अच्छे न्यादर्श आंकडों के संकलन मं नियमित स्थितियों का होना आवश्यक है।

6. उत्तम न्यादर्श उद्देश्य के अनुरूप होता है।

न्यादर्श की विधियाँ

(क) संगणना विधि द्वारा (ख) निदर्शन विधि से।

संगणना विधि :– तथ्य संकलन की यह विधि अत्यंत प्राचीन हैं इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों से अध्ययनकर्त्ता प्रत्यक्ष संपर्क करके साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करके संबंधित इकाइयों से तथ्य संकलित करता हैं। यद्यपि इस विधि द्वारा तथ्य संकलन में समय, धन एवं श्रम तीनों ही अधिक लगते हैं लेकिन फिर भी आज जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्ध जानकारी की आवश्यकता होती हैं वहां आज भी इस विधि द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं। जैसे हमारे देश में प्रति दस वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना में आज भी इस विधि का प्रयोग किया जाता हैं।

निदर्शन विधि :– जब अध्ययन हेतु समग्र में से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन करके उन इकाइयों से ही शोधकर्त्ता तथ्य संकलित करता हैं तो इस विधि को निदर्शन विधि कहते हैं। आज हमारे दैनिक जीवन में इस विधि का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा हैं। गुडे एवं हट्ट के अनुसार ''एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता

हैं कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि हैं।'' इसी प्रकार बोगार्डस ने बताया कि ''निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन हैं।''

अतः इस विधि में समग्र में से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को ही शोधकर्त्ता अपने अध्ययन में सम्मिलित करता हैं।

निदर्शन विधियाँ :–

(क) दैव निदर्शन :– इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावना समान होती हैं यह निदर्शन चुनने की एक पक्षपात रहित विधि हैं। इस विधि में एक इकाई के चुनाव में अन्य इकाई का कोई प्रभाव नहीं पडता हैं अथवा इकाई का चुनाव संयोग या दैव पर छोड दिया जाता हैं।

(ख) उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन :– जब अनुसंधानकर्त्ता समग्र में से अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने वाली इकाइयों का ही चयन इस प्रकार करके तथ्यों को प्राप्त करता हैं तो इस विधि को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते है अर्थात् समग्र में से इस प्रकार इकाइयों के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा शोध का उद्देश्य ही प्रधान होता हैं। संयोग या दैव पर कुछ भी नहीं छोडा जाता हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने इस विधि को इकाइयों के चयन में उपयुक्त मानते हुए काम में लिया हैं।

(ग) स्तरित निदर्शन :– जब शोध समस्या से संबंधित समग्र को कुछ समान लक्षणों एवं गुणों वाली श्रेणियों में बाँट कर प्रत्येक वर्ग में से दैव निदर्शन विधि द्वारा कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता हैं।

(घ) बहुस्तरीय निदर्शन :– जब अध्ययन इकाइयों के चयन के लिए समग्र को अनेक स्तरों में गुणों एवं लक्षणों के आधार पर बाँट दिया जाता हैं और फिर इकाइयों का चयन हर स्तर से किया जाए तो इस विधि को बहुस्तरीय निदर्शन कहते हैं इस विधि द्वारा बडे नगर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता हैं।

(ङ) सुविधापूर्ण निदर्शन :– जब शोधकर्त्ता समग्र में से अध्ययन हेतु इकाइयों का चयन अपनी सुविधानुसार करता हैं तो ऐसा निदर्शन सुविधापूर्ण निदर्शन कहलाता है। ऐसा शोधकर्त्ता शोध कार्य के दौरान होने वाली विभिन्न असुविधाओं से बचने के लिए करता हैं।

(च) स्वयं चयनित निदर्शन :– जब अध्ययन हेतु इकाइयों का चुनाव शोधकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाए, इकाइयाँ अध्ययन हेतु अपने आप ही चयनित हो जाए तो ऐसा निदर्शन स्वयं चयनित निदर्शन होता हैं।

इस अध्ययन में 10 शहरी तथा 10 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय से 15 छात्रों और 15 छात्राओं का चयन करते हुए 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल निदर्शन 600 विद्यार्थियों का होगा।

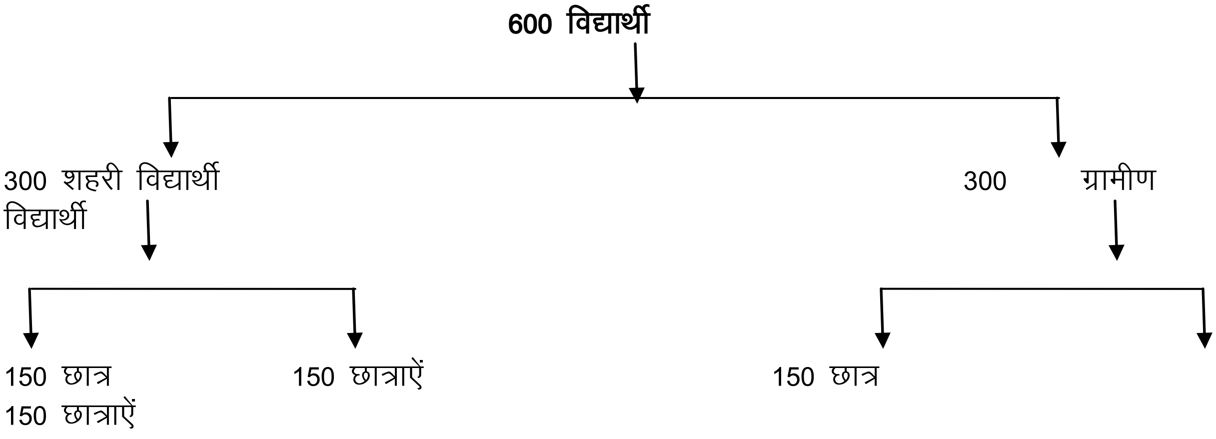

3.5 तथ्य संकलन हेतु शोध उपकरण

शोध कार्य में उपकरणों का विशिष्ट स्थान है जिनके माध्यम से अनुसंधान के तथ्यों का संकलन किया जाता है। इन्हीं उपकरणों के सहारे शोधकर्त्ता अपने उद्देश्यों की प्रगति कर सकता है। अनुसंधान के लिए समस्या के निश्चय एवं परिकल्पना निमार्ण के पश्चात् परिकल्पना परीक्षण के लिए आंकडों के संग्रहण हेतु उपकरणों का चुनाव किया जाता है। वस्तुतः अनुसंधान समस्या का आरंभ होता है तथा परिकल्पना की प्रकृति के अनुरूप उपकरणों का निश्चय किया जाता है। प्रत्येक उपकरण विशेष आंकडे एकत्र करने हेतु उपयुक्त होता है।

एस.पी. सुखिया के अनुसार – ''किसी समस्या के अध्ययन हेतु नवीन अथवा अज्ञात तथ्य संकलित करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान के लिए नवीन तथ्य संकलित करने हेतु अथवा नवीन क्षेत्र का उपयोग करने हेतु कतिपय यंत्रों अथवा उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन्हीं यंत्रों को उपकरण कहते है।''

आंकडे संग्रह करने का कार्य एक उपकरण द्वारा पूर्ण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी शोधकर्त्ता को एक से अधिक उपकरणों को बनाने, प्रयोग करने व उनसे प्राप्त आंकडों का विश्लेषण करने की कुशलता भी होनी चाहिए।

उपकरण के प्रकार

1. स्वनिर्मित
2. मानकीकृत

1. स्वनिर्मित उपकरण – इसमें वे उपकरण आते है जिनका निर्माण अनुसंधानकर्त्ता स्वयं अपनी शोध समस्या के अनुरूप विधिवत रूप से करता है तथा बनाए गए उपकरण का शोध समस्या से संबंधित परीक्षकों, शिक्षकों से परीक्षण कराता है और उसे अंतिम रूप प्रदान करता है।

2. मानकीकृत उपकरण – मानकीकृत से तात्पर्य है किसी मानक के आधार पर स्वीकृत किया गया है। ये उपकरण पूर्व में किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाए जाते है जिनकी वैधता व विश्वसनीयता ज्ञात की हुई होती है। इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पूर्णतः मान्य वैध एवं विश्वसनीयता लिए होते है।

तथ्य संकलन के स्त्रोत

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया हैं। जिसका विवरण निम्नलिखित हैं

1. **द्वितीयक स्त्रोत** :– द्वितीयक स्त्रोत वह स्त्रोत हैं जिनसे द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को प्राप्त किया जाता हैं तथा द्वितीयक तथ्य वे सूचनाएँ, आँकडे हैं जिन्हें शोधकर्त्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता बल्कि वे पहले से ही प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप से उपलब्ध हैं।

2. प्राथमिक स्त्रोत :– प्राथमिक स्त्रोत वह स्त्रोत हैं जिनसे प्राथमिक तथ्यों या सामग्री को प्राप्त किया जाता हैं तथा प्राथमिक तथ्य वे सूचनाएँ, आंकडे हैं जिन्हें शोधकर्त्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित करता है?

प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए शोधकर्त्ता को किन्हीं शोध प्रविधियों पर निर्भर होना पडता हैं प्रस्तुत अध्ययन में चयनित उत्तरदाता शिक्षित हैं इसलिए इस अध्ययन में संपूर्ण रूप से प्रश्नावली विधि को तथ्य संकलन के लिए एक उचित विधि के रूप में प्रयोग किया गया है।

3.5.1 प्रश्नावली

अनुसंधान कार्य में आंकड़ो को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की सूची होती है जिसमें शोध विषय से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार किए गए प्रश्नों का समावेश होता है। साधारणतः किसी विषय से सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना प्राप्तांक करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित सूची को प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है।

प्रश्नावली की परिभाषा –

जार्ज लुण्डबर्ग के अनुसार – "प्रश्नावली मूल रूप से प्रेरणाओं का समूह है जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अन्तर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिये प्रकट होते है।''

बार, डेविस तथा जॉनसन के अनुसार – ''प्रश्नावली एक मापन प्रविधि है जिसमें क्रमागत रूप में प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, जिसे न्यादर्श तथा जनसंख्या के सदस्यों को देकर अपेक्षित सूचनाएं एकत्रित की जाती है।''

गुड तथा हैट के अनुसार – ''साधारण शब्दों में प्रश्नावली मापन की वह प्रविधि है जिसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते है, इसके प्रयोग में न्यादर्श के सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखना होता है।''

बोगार्डस के अनुसार – ''प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। यह निश्चित प्रमाणीकृत परिणामों को प्राप्त करती है जिनका सारणीकरण किया जा सकता है और सांख्यिकीय उपयोग भी किया जा सकता है।''

पी.वी. यंग के अनुसार – ''समाज वैज्ञानिक प्रधानतया प्रश्नावली का उपयोग माप योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में करते है।''

प्रश्नावली के उद्देश्य

प्रश्नावली के उद्देश्य निम्न प्रकार है –

1. अध्ययन को सुविधाजनक व सरल बनाना।
2. दूरस्थ तथा विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन।
3. कम खर्च तथा कम समय में ही कार्य संभव हो जाता है।
4. व्यवस्थित तथा वस्तुपरक अध्ययन करना।
5. प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में समय भी कम लगता है अर्थात् वह द्रुतगामी अध्ययन में उपयोगी हैं।

प्रश्नावली की विशेषताएँ

प्रश्नावली की विशेषताएं निम्नलिखित है –

1. प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा तथा शब्दावली बहुत ही स्पष्ट होती है।
2. प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर स्वयं सूचनादाता को लिखना पड़ता है।
3. इसके द्वारा बिना सम्पर्क किये व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
4. प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार से उत्पन्न दोषों से बचा जा सकता है।
5. अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से इसके द्वारा सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती है।
6. पर्याप्त समय मिलने से व्यक्ति सोच–विचार कर उत्तर दे सकते है।
7. इनके द्वारा गुप्त तथा आन्तरिक सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर लिया जाता है।
8. अच्छी प्रश्नावली विश्वसनीय एवं वैद्य होती हैं।
9. अच्छी प्रश्नावली के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते है।
10. प्रश्नावली द्वारा सूचना शीघ्र प्राप्त करना संभव है।
11. प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने में अनुसंधानकर्त्ता को अधिक धन, समय व परिश्रम नहीं करना पड़ता है।

प्रश्नावली के प्रकार

प्रश्नावली निम्नलिखित प्रकार की होती है –

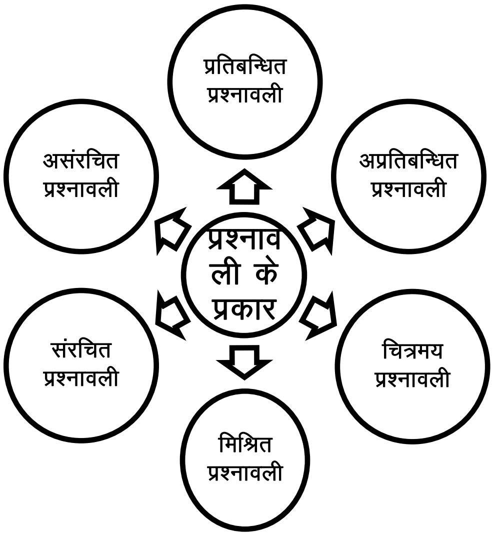

1. **प्रतिबन्धित प्रश्नावली** – इसमें प्रश्नों के उत्तर साथ में दिए होते हैं, अतः सीमा से बाहर जाने में उत्तरदाता के लिए बन्धन हो जाता है। उसे पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक के साथ अपनी सहमति प्रकट करना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का लाभ यह है कि इससे प्राप्त सामग्री का वर्गीकरण करने में सुविधा रहती है।
2. **अप्रतिबन्धित प्रश्नावली** – इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को सोचने–विचारने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इसमें सम्भावित उत्तर नहीं दिये जाते है। गुणात्मक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए खुली प्रश्नावली अधिक उपयोगी है।
3. **चित्रमय प्रश्नावली** – इस प्रश्नावली में निर्देशों के साथ चित्र दिये होते हैं तथा उत्तरदाता इन चित्रों पर चिन्ह्र लगाकर प्रश्नों के उत्तर देता है।
4. **मिश्रित प्रश्नावली** – यह प्रश्नावली न पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित होती है और न अप्रतिबंधित। इस प्रकार की प्रश्नावली में दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है।
5. **संरचित प्रश्नावली** – इस प्रकार की प्रश्नावली की रचना अनुसंधान आरम्भ करने से पहले कर ली जाती है और बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

6. **असंरचित प्रश्नावली** – इस प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है, केवल उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी है।

प्रश्नावली के लाभ

1. विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन – प्रश्नावली द्वारा किसी भी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। क्योंकि प्रश्नावली को डाक द्वारा थोड़े से पैसे खर्च करके कही भी भेजा जा सकता है और आवश्यक सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है।
2. निम्नतम व्यय – प्रश्नावली प्रणाली में न्यूनतम व्यय होता है। प्रश्नावलियों को केवल छपवाने, सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजने आदि में व्यय होता है। अनुसंधानकर्ता को कहीं जाना नहीं पड़ता। अतः आने–जाने का भी खर्च बच जाता है।
3. न्यूनतम समय – सूचनादाता प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के यथोचित उत्तर देकर उसे शीघ्र ही वापिस कर देता है। इस प्रकार समय की बचत होती है।
4. स्वतंत्र तथा पक्षपातरहित उत्तर – इस प्रणाली में सूचनादाता स्वतंत्र होकर सही एवं वास्तविक सूचना देने में नहीं हिचकिचाता है क्योंकि वह अकेले उत्तर देता है। शोधकर्त्ता उसके पास नहीं होता है।
5. अनुसन्धानकर्त्ता की तटस्थता – प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने में अनुसन्धाकर्त्ता प्रायः तटस्थ रहता है। इस प्रणाली में उसकी योग्यता के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके स्वभाव व बुद्धि के जानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि शोधकर्त्ता और

सूचनादाता में आमने–सामने का सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिये अनुसन्धानकर्त्ता तटस्थ रहकर सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित कर सकता है।

6. स्वयं प्रशासित – प्रश्नावली प्रणाली में स्वयं प्रशासित प्रश्नावली भेज दी जाती हैं और भरकर शोधकर्त्ता के पास भेज दी जाती है। इसमें किसी बाहरी प्रशासन की आवश्यकता नहीं है।

7. सूचनादाता को सुगमता – इस प्रणाली से शोधकर्त्ता के साथ–साथ सूचनादाता को भी कोई परेशानी नहीं होती है। प्रश्नावली सरकारी आदेश के समान नहीं होती है बल्कि सामान्य होती है। सूचनादाता स्वयं पढ़ता है और प्रश्नों का उत्तर देता है जिससे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे हो जाते है।

8. सूचनादाता के सामान्य ज्ञान में वृद्धि – प्रश्नावली को पढ़कर सूचनादाता का कई विषयों में ज्ञान बढ़ जाता है। कई प्रश्न कठिन होते हुए भी रूचिकर होते है। सूचनादाता उन्हें समझने का प्रयास करता है। किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच करता है लेकिन महत्व समझने पर संकोच दूर हो जाता है और इस प्रकार सूचनादाता के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है।

9. अनावश्यक सूचनाओं से बचाव– प्रश्नावली द्वारा अनावश्यक सूचनायें एकत्रित नहीं हो पाती है। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शोधकर्त्ता प्रश्नों की रचना करता है। इस प्रकार प्रश्नों से सम्बन्धित विषय–वस्तु के अनुरूप ही सूचनायें एकत्रित होती है।

प्रश्नावली की सीमाएँ

प्रश्नावली की निम्नलिखित सीमायें हैं –

1. प्रश्नावली के उत्तर बहुत कम प्राप्त होते है, इसलिए शोधकर्त्ता को अधिक संख्या में प्रश्नावली अधिक उत्तरदाताओं को भेजनी चाहिए। प्राप्त प्रश्नावलियों में अधिकांश अपूर्ण होती है। अतः उनका उपयोग विश्लेषण तथा अर्थापन में नहीं करना चाहिए।
2. प्रश्नावली के उत्तर गम्भीरता से नहीं दिए जाते हैं जिससे परिस्थिति का सही अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
3. प्रश्नावली के उत्तर सामाजिक मान्यता के रूप में दिये जाते है जो वास्तविकता को प्रकट नहीं करते है। इसके लिए अवसर 'उत्तर–भण्डारण' का प्रयोग किया जाता है।
4. जिस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए प्रश्नावली भेजी जाती है वह अन्य व्यक्तियों से भरवाकर भेज देते हैं। यह सूचना वैध नहीं होती है।

शोधार्थी ने अपने शोध कार्य से संबंधित आंकडे एकत्र करने हेतु एक **मापनी (स्वनिर्मित प्रश्नावली)** का प्रयोग किया है।

3.6 परिकल्पना – परिकल्पना अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात् पूर्व चिन्तन कर लिया जाता है कि इस समस्या का यह कारण हो सकता है। यह निश्चित कर लेने के पश्चात् समस्या का परीक्षण प्रारम्भ हो जाता है। वास्तव में इस परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की क्रिया है।

परिकल्पना सोच–विचार कर बनाई जानी चाहिए क्योंकि शीघ्रता से बनाई गई परिकल्पना व्यर्थ होती है तथा समय व श्रम भी नष्ट होता है। अतः यह होना चाहिए

कि सर्वप्रथम समस्या का उचित रूप से विश्लेषण कर लिया जाये सावधानी से उसे परिभाषित किया जाए और परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाए।

परिकल्पना के निर्माण के बिना कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता और न ही वैज्ञानिक ढंग का अनुसंधान ही सम्भव है। वास्तव में परिकल्पना के बिना अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है।

परिकल्पना का अर्थ– परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है और शोधकर्त्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। परिकल्पना के कथन का स्वरूप एक व्याख्या के रूप में होता है जो अवलोकन या सिद्धान्तों पर आधारित होता है, जब किसी सम्भावित सिद्धान्त की प्रदत्तों तथा प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है, शोध की समस्त क्रियायें परिकल्पना पर केन्द्रित होती है।

परिकल्पना शोधकर्त्ता को उत्तेजना प्रदान करती है। परिकल्पना की पुष्टि से शोध के निष्कर्ष निकाले जाते है। परिकल्पना को अंग्रेजी में (Hypothesis) कहा जाता है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्द निम्नलिखित है–

हाइपो + थीसिस = हाइपोथीसिस

↓ ↓

(Hypo) + (Thesis) = (Hypothesis)

हाइपो (Hypo) का अर्थ होता है सम्भावित या जिसकी पुष्टि की जाये, जबकि थीसिस का अर्थ समस्या के समाधान का कथन होता है इस प्रकार हाइपोथीसिस का शाब्दिक अर्थ उस सम्भावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है।

परिकल्पना ऐसे समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जा सके।

हाइपोथीसिस शब्द का अर्थ और यह है– हाइपो का अर्थ दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण और थीसिस का अर्थ है उन चरों की स्थित को प्रदर्शित करना। यह परिकल्पना का व्यावहारिक अर्थ है परिकल्पना में कुछ चरों का सम्मिश्रण करके उनकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है और जिसकी पुष्टि प्रदत्तों या प्रमाणों के आधार पर करना सम्भव होता है। इस प्रकार समस्या का समाधान बड़ी सूझ–बूझ के साथ प्रतिपादित किया जाता है।

परिकल्पना को सम्भावित समाधान या सिद्धान्त भी कहा जाता है। इस कथन को अस्थायी रूप से सही मानकर इसकी पुष्टि का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार परिकल्पना किसी शोध प्रक्रिया के नियोजन के लिए दिशा तथा आधार प्रदान करती है।

परिकल्पना की परिभाषा

गुड तथा हैट के अनुसार – ''एक परिकल्पना वह बात कहती है जिसे हम आगे सोचते है परिकल्पना सदैव आगे को देखती है। यह एक साध्य होती है जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है। यह सत्य सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।''

जेम्स ई. ग्रीटन के अनुसार – ''परिकल्पना सम्भावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है।''

गुड बार तथा स्केट के अनुसार – ''परिकल्पना एक ऐसा कथन होता है जिसे अस्थायी रूप से सही मान लेते हैं जो कि परिचित तथ्यों से सम्बन्धित होता है। जिसका उपयोग शोध की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से नये सत्यों की खोज की जाती है। परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है तब उससे नए तथ्यों, नियमों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है।''

जार्ज जे. मुले के अनुसार – ''परिकल्पना एक अवधारणा या साध्य होती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों या प्रयोगात्मक परीक्षणों के आधार पर की जाती है तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका औचित्य प्रकट किया जाता है।''

टाउनसेण्ड के अनुसार–'' परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है।''

लंगवर्ग के अनुसार–'' परिकल्पना एक सम्भावित सामाजीकरण होता है जिसकी वैधता की जाँच की जाती है। इसकी प्राथमिक अवस्था एक काल्पनिक समाधान के रूप में होती है जो बाद में शोध कार्यों का आधार हो जाता है।''

ब्रूस डब्लू. टकसन के अनुसार– ''परिकल्पना की परिभाषा अपेक्षित घटना के रूप में की जा सकती है, जो चरों के माने हुए सम्बन्ध का सामान्यीकरण होता है।''

एम. वर्मा के अनुसार–''परिकल्पना किसी सिद्धान्त का वह रूप है जिसे एक परीक्षण योग्य तर्क साध्य के रूप में लिखते है और जिसकी स्पष्ट रूप में प्रदत्तों के आधार पर या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जा सकती है।''

आर.डी. क्रेमीकियल के अनुसार–'' वैज्ञानिक चिन्तन प्रक्रिया के निर्देशन के लिये परिकल्पनाओं का प्रयोग करता है। जब अपने अनुभवों से यह विदित होता है कि एक तथ्य अन्य तथ्यों के साथ निरन्तर दिखलाई देता है तब हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे परस्पर सम्बन्धित है और हम इस सम्बन्ध के बारे में एक परिकल्पना का प्रतिपादन करते है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं का तात्पर्य यह है जब शोधकर्त्री के सामने जो समस्या आ जाती है उसका विश्लेषण करने के पश्चात् वह कुछ सम्भावित सुझाव की सत्यता की जाँच करती है। इसी सुझाव को परिकल्पना कहते है।

परिकल्पना का महत्व

डी.बी.वेन डेलन के अनुसार परिकल्पना का महत्व निम्नानुसार है–

1. वैज्ञानिक शोध कार्य परिकल्पना द्वारा ही किया जा सकता हैं। परिकल्पना समस्या तथा समाधान की मध्यस्थता करती है। परिकल्पना समस्या का सम्भावित समाधान देती है।
2. परिकल्पना शोधकर्त्ता को निर्देशन देती है तथा उसके कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिससे शोध के चरों का बोध होता है।
3. परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। शोधकर्त्ता समस्या के तथ्यात्मक तथा प्रत्यात्मक तत्वों को गहन रूप में समझ सकता हैं।
4. परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है। परिकल्पना शोधकर्त्ता को रचनात्मक कार्यों के लिये निर्देशित करती है।
5. परिकल्पना केवल शोध कार्य को दिशा ही नहीं प्रदान करती है, अपितु प्रदत्तों के संकलन के लिये आधार प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार का उपकरण, परीक्षण तथा प्रविधियाँ आवश्यक हैं।
6. परिकल्पना समुचित तथा प्रभावशाली उपकरण व प्रविधियों के चयन में सहायक होती है जिससे अज्ञात तथ्यों का ज्ञान होता है।
7. परिकल्पना निष्कर्षों के लिये आधार प्रदान करती है।
8. शोध परिकल्पनायें नए शोध कार्यों के लिये प्रोत्साहित करती हैं।

परिकल्पनाओं के प्रकार

साधारणतः परिकल्पनाएँ चार प्रकार की होती है –

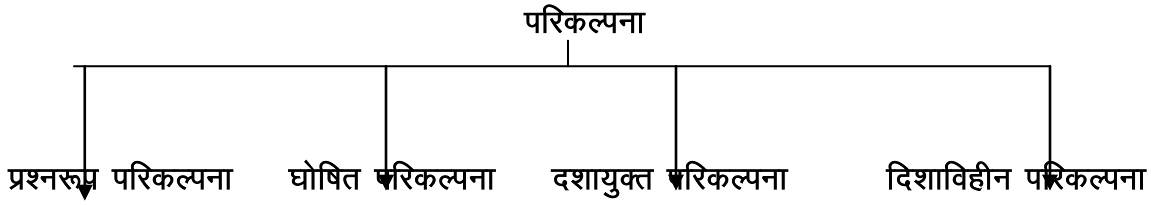

1. **प्रश्नरूप परिकल्पना** – इस प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रयोग सरल शोध कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इनका रूप इस प्रकार का होता है कि इन्हें निरस्त भी किया जा सकता है तथा स्वीकृति भी दी जा सकती है।
2. **घोषित परिकल्पना** – घोषित परिकल्पना में चरों के सह–सम्बन्ध की घोषणा की जाती है। पूर्व अपेक्षित सह–सम्बन्ध तथा चरों के अन्तर के परिकल्पना घोषित कथन के रूप में विकसित की जाती है।
3. **दिशायुक्त परिकल्पना** – जब किसी सम्भावित समाधान को अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है तब उसे दिशायुक्त परिकल्पना कहा जाता है। इसमें चरों के सह–सम्बन्ध को अपेक्षित रूप में प्रकट किया जाता है।
4. **दिशाविहीन परिकल्पना** – इन्हें शून्य परिकल्पना भी कहते है। इसका प्रयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना को नकारात्मक रूप में विकसित किया है। चरों के सह–सम्बन्ध को नकारात्मक कथन लिखा जाता है।

सांख्यिकीय रूप से परिकल्पनाओं को तीन रूपों में विभाजित किया गया है–

1. परिणाम की परिकल्पना

2. अन्तर की परिकल्पना

3. सम्बन्ध की परिकल्पना

1. **परिणाम की परिकल्पना** – परिणाम परिकल्पना वह होती है जिसमें अंक, आकार तथा मूल्य का कथन अनुबद्ध किया जाता है।

2. **अन्तर की परिकल्पना** – जिमें तुलना किये जाने वाले चरों अथवा पदों की मात्रात्मक अभिवयक्ति का अन्तर दिखायी देता है। वह अन्तर की परिकल्पना होती है।

3. **सम्बन्ध की परिकल्पना** – इस परिकलप्ना में दो परिवर्तियों में संबंध अथवा सहचर्य का अंश बताया जाता है।

कथन के आधार पर परिकल्पना दो प्रकार की होती है –

1. **सकारात्मक कथन**

2. **नकारात्मक कथन**

1. **सकारात्मक कथन** – इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक रूप में करते है।

2. **नकारात्मक कथन** – इसमें कथन नकारात्मक रूप में करते है।

शून्य परिकल्पना

NULL शब्द का अर्थ शून्य है शून्य परिकल्पना वह है जो यह बताती है कि दो समूहों या दो चरों का आपसी अन्तर शून्य है अर्थात् दो चरों या समूहों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस प्रकार की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "शून्य परिकल्पना की मान्यता यह है कि दो चरों में कोई अन्तर नहीं है। इसका निर्माण अस्वीकृत होने के उद्देश्य से किया जाता है।"

गिलफोर्ड के अनुसार – शून्य परिकल्पना यह बताती है कि प्रायोगिक परिस्थिति में या अप्रायोगिक परिस्थिति में जिन घटनाओं का मापन किया जाता है उनके विषय में यह मान्यता रहती है कि इन सबका विशेष कारण कुछ नही हैं बल्कि स्वतंत्र या बंधन मुक्त संयोग के नियमों के प्रभाव के कारण ही है।

आर.ए. फिशर के अनुसार – शून्य परिकल्पना वह सांख्यिकीय परिकल्पना है जिसको सत्य मानकर सम्भावित अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है।

गैरेट के अनुसार – "शून्य उपकल्पना की यह मान्यता है कि समष्टि के दो न्यादर्श मध्यमानों में सत्य अन्तर नहीं है और यदि न्यादर्श मध्यमानों में कोई अन्तर है तो यह अन्तर संयोगजन्य है और महत्वपूर्ण नहीं है।"

इस परिकल्पना में शोधकर्त्ता यह मानकर चलता है कि जिन दो चरों में सम्बन्ध ज्ञात किया जा रहा है उनमें कोई अन्तर नहीं है। शून्य परिकल्पना की सहायता से दो प्रतिदर्श के मध्यमानों की सार्थकता का अध्ययन किया जाता है।

परिकल्पना के कार्य – एच.एच. मैकासन के अनुसार परिकल्पना के निम्न कार्य है –

1. परिकल्पना शोधकर्ता को शोध कार्य के लिए दिशा प्रदान करती है।
2. परिकल्पना शोध कार्य को विशिष्ट रूप प्रदान करती है जिससे समस्या का एक विशिष्ट तथा निश्चित क्षेत्र स्थिर हो जाता है और शोध कार्य विशिष्ट हो जाता है।
3. प्रत्येक परिकल्पना नयी परिकल्पना के प्रतिपादन में सहायक होती है।

4. प्रत्येक परिकल्पना शोधकर्त्ता को एक सुनिश्चित कथन प्रस्तुत करती है, जिसकी पुष्टि से वस्तुनिष्ठ रूप में परिणामों का अर्थापन करके निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है।

5. परिकल्पना मूल समस्या से सबंधित होती है जिसकी पुष्टि से समस्या समाधान भी प्राप्त होता है या मौलिक प्रश्न का उत्तर मिलता है।

6. परिकल्पना के रहते हुए पुनः परीक्षण द्वारा निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन करते है।

7. शोध कार्य का क्षेत्र सीमित तथा सुनिश्चित हो जाता है।

8. परिकल्पना शोधकर्त्ता के प्रदत्तों के संकलन के लिए सरल साधान प्रस्तुत करता है जिससे उसकी पुष्टि होती है।

9. शोधकर्त्ता अपने कार्य के लिये संवेदनशील हो जाता है और उसका प्रयास वास्तविक तथा चुना हुआ व्यवस्थित होता है।

परिकल्पना की विशेषताएँ –

1. किसी भी परिकल्पना का निर्माण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह अनुसन्धानकर्त्ता के सूझ व अनुभव पर निर्भर करता है कि अनेक परिकल्पनाओं में से किसे अपने परीक्षण का विषय बनाये।

2. अच्छी परिकल्पना को सरल रूप में विकसित किया जाता है।

3. अच्छी परिकल्पना सिद्धान्त, तथ्य, नियम, अवधारणाओं तथा स्वयं सिद्धियों से स्पष्ट अन्तर प्रकट करती है।

4. परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिये।

5. अच्छी परिकल्पना की पुष्टि हेतु विधि तथा प्रविधियाँ शोधकर्त्ता की पहुँच में रहनी चाहिए साथ ही परीक्षण के लिए यन्त्र (ज्वस) भी प्राप्त हों।

6. अनुसंधानकर्त्ता को वही परिकल्पना लेनी चाहिए जिनके लिए आँकड़े प्राप्त हो सकें। यदि आँकड़े ही प्राप्त न होंगे तो परिकल्पना का लेना ही व्यर्थ हो जायेगा।

7. परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए।

8. शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम होती है।

9. अच्छी परिकल्पना अपने चरों की भूमिका को स्पष्ट रूप में प्रकट करती है।

10. अच्छी परिकल्पना के न्यादर्श में प्रदत्त प्राप्त करना शोधकर्त्ता के नियंत्रण अथवा पहुँच के अन्तर्गत होते है।

11. एक अच्छी परिकल्पना का सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट होता है।

शोध में प्रयुक्त परिकल्पनाऐं

1. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

10. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

11. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

12. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3.7 उपकरणों की वैधता एवं विश्वसनीयता

उपकरणों की वैधता एवं विश्वसनीयता शोधार्थी ने निम्न चरणों में पूरी की है।

प्रथम चरण – प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रश्नावली को विभिन्न शोध निर्देशकों एवं विषय विशेषज्ञों के पास भेजा गया। उनके द्वारा जांच करने के बाद सभी सुझावों के अनुसार प्रश्नावली में कुछ प्रश्नों में दोहराव था, शब्द कठिनाई स्तर अधिक उच्च था, भाषा क्लिष्ट थी। फिर कुछ प्रश्नों की भाषा आसान बनाई गई तथा दोहराव वाले प्रश्नों को एक प्रश्न रूप दिया गया।

द्वितीय चरण – द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रश्नावली को शिक्षा विभाग से जुडे एवं कार्यरत विभिन्न बुद्धिजीवियों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया एवं उनसे उक्त उपकरण की रूप वैधता एवं विषय वस्तु वैधता का निर्धारण करने का आग्रह किया गया। तीन विशेषज्ञों के पास उपकरण भेजा गया। उनके सुझाव प्रेषित किए जिनको आधार मानकर प्रश्नावली में से कुछ प्रश्न कम किए तथा कुछ नवीन प्रश्नों को जोडा

गया। विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या समयानुसार अधिक थी जिनकों कम किया गया।

तृतीय चरण – वैधता के निर्धारण के पश्चात् उक्त उपकरणों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया। पुनः विश्वसनीयता ज्ञात करने हेतु परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

विश्वसनीयता – परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध मापन की चर त्रुटियों से है। परीक्षा की यह विशेषता बताती है कि परीक्षण किस सीमा तक चर त्रुटियों से मुक्त है। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करने की सीमा से है। अतः विश्वसनीयता परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं विद्यार्थियों पर किया जाए तथा वे विद्यार्थी बार बार समान अंक प्राप्त करें तो परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है।

विश्वसनीयता ज्ञात करने की पाँच प्रमुख विधियां है – परीक्षण–पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता विधि, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता विधि, अर्द्धविच्छेद विधि, तार्किक समतुल्य विश्वसनीयता विधि तथा होस्ट विश्वसनीयता विधि। इन सभी विधियों का सैद्धांतिक विवेचन सांख्यिकी गणनाओं से युक्त है।

शोधार्थी ने अपने उपकरण की विश्वसनीयता जांचने हेतु परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता विधि का प्रयोग किया है।

वैधता निर्धारण के पश्चात् स्वनिर्मित प्रश्नावली की विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए शोधकर्त्ता द्वारा मूल्य स्तर गुणवत्ता मापनी की विश्वसनीयता परीक्षण पुनः

परीक्षण से निकाली गई। इसके अन्तर्गत उपकरण को अकादमिक महाविद्यालयों के 25 विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया तथा दश दिवस उपरांत पुनः प्रशासित किया गया और प्राप्त आंकडों का विश्वसनीयता गुणांक निम्न प्रकार निकाला गया।

परीक्षण पुनः परीक्षण विधि – यह परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की बहु प्रचलित विधि है। इस विधि में परीक्षण के एक ही रूप का दो अवसरों पर प्रशासन काना होता है अर्थात् एक ही परीक्षण से परीक्षा ले ली जाती है और छात्रों द्वारों प्राप्त फलांक ज्ञात कर लिए जाते है। इसके बाद दोनों परीक्षाओं के फलांकों के मध्य सह संबंध ज्ञात कर लिया जाता है। यह सह संबंध गुणांक ही विश्वसनीयता गुणांक होता है। यह गुणांक जितना अधिक होता है परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है। दो अवसरों के प्राप्तांकों का सहसंबंध गुणांक कार्य पियर्सन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जो निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है –

$$r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}}$$

विश्वसनीयता गुणांक 0.85 उच्च स्तर पाया गया।

संकलित प्राथमिक तथ्यों का सारणीयन तथा विश्लेषण करने हेतु प्रमाप विचलन, प्रतिशतता, क्रान्तिक अनुपात प्रविधियों का उपयोग किया गया है।

फलांकन विधि – शोधार्थी ने दत्त संकलन हेतु मापनी उपकरण का निर्माण किया है। परीक्षण के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया। उक्त उपकरण के फलांकन

हेतु सकारात्मक व नकारात्मक प्रश्नों का भारांक निम्नानुसार निर्धारित किए गए। फलांकन करते समय सही उत्तर के लिए एक अंक व गलत उत्तर के लिए शून्य अंक दिया गया है।

3.8 सांख्यिकीय प्रविधियां

सांख्यिकी विधि का अर्थ एवं परिभाषा –

सांख्यिकी अनुसंधान का मूल आधार है। यह वैज्ञानिक अध्ययन की वह कला एवं विज्ञान है जिसके अन्तर्गत प्रायः पूर्व निश्चित लक्ष्य के आधार पर अमूर्त तथ्यों का परिमापन, मापन तथा आंकडों का संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं के विषय में अनुमानात्मक व तुलनात्मक ज्ञान उपलब्ध हो सके और पर्याप्त मात्रा में संबंधित घटनाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय में वैज्ञानिक स्तर पर भविष्य कथन की क्षमता उपलब्ध हो सके।

इस प्रकार सांख्यिकी की आवश्यकता केवल तथ्यों के विश्लेषण में नहीं बल्कि उनके संकलन में भी रहती है। सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्रदत्तों का विवेचन करती है ये प्रदत्त गणना एवं मापन से प्राप्त किए जाते है।

गेरट के अनुसार – वह विभाजन जो प्रदत्तों के संकलन विश्लेषण से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है।

सांख्यिकी की उपयोगिता – वर्तमान में अनुसंधान के लिए सांख्यिकी अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि सांख्यिकी द्वारा वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म वर्णन संभव है। निश्चित

विधियों का प्रयोग करने से हम आवश्यकतानुसार परिणामों का सत्यापन भी कर सकते है। सांख्यिकी विधियों में वस्तुनिष्ठता, शुद्धता तथा संक्षिप्तता भी पायी जाती है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियां –

1. मध्यमान –

किसी समूह के प्राप्तांको का वितरण जब दो भागों में विभाजित हो जाता हैं तब वह मध्यमान कहलाता है। यदि किसी समूह के प्रदत्तों का वह प्राप्तांक जो इनका मध्य प्राप्तांक हो, अर्थात् उसके विचलन या योग सदैव शून्य हैं, दूसरे शब्दों में मध्य समंको के विस्तार के अन्तराल में स्थित एक ऐसा शून्य होता है, जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंक विस्तार के मध्य स्थित होने के कारण मध्यमान को केन्द्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता हैं, क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का अधिकतर जमाव इसके आस–पास होता है। मध्यमानों को प्राप्तांकों के योग में कुल समंकों की सख्या का भाग देकर निकाला जाता है।

सूत्र –

$$M = \frac{\varepsilon x}{N}$$

M = मध्यमान

εX = समंकों का योग

N = संमकों की संख्या

2. प्रमाणिक विचलन –

गिलफोर्ड के अनुसार – ''प्रत्येक प्रदत्त राशि में केन्द्रीय प्रवृत्ति का अन्तर ज्ञात करके प्रमाणिक विचलन ज्ञात किया जाता है। प्रमाणिक विचलन के अन्तर्गत मध्यमान से विभिन्न सद्मूल्यों के जो विचलन प्राप्त होते हैं, उनका वर्ग निकाल कर उनका औसत ज्ञात किया जाता है तथा औसत का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है।''

शोधकर्त्ता ने प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया है –

$$SD = \sqrt{\frac{\varepsilon d^2}{N}}$$

SD = प्रमाणिक विचलन

εd^2 = समंकों का योग का वर्ग

N = समंकों की संख्या

3. **क्रान्तिक अनुपात –**

जब दो बड़े समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच करनी हो तो क्रान्तिक अनुपात परीक्षण की गणना करनी पड़ती है। इस परीक्षण के अन्तर्गत दोनों मध्यमानों के अन्तर की दोनों प्रतिदर्शों की अन्तर की मानक त्रुटि से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वह क्रान्तिक अनुपात होता है।

क्रान्तिक अनुपात परीक्षण को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है।

$$C.R = \frac{M_1 - M_2}{\sigma d}$$

CR = क्रान्तिक अनुपात

M_1	=	पहले प्रतिदर्श का माध्य
M_2	=	दूसरे प्रतिदर्श का माध्य
σd	=	दो न्यादर्श के मध्यमानों के अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि प्रतिदर्श

अध्याय 4

तथ्यों का विश्लेषण

कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एक मानवाधिकार संधि है और इस संधि का हिस्सा भारत भी है। ये संधि बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई संधि है। भारत इस संधि का सदस्य है और इसलिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के बच्चों को 'पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ' उपलब्ध करवाए। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, के अंतर्गत प्रारंभ किया। इस योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना का एक उद्देश्य भारत में बच्चों को कुपोषण मुक्त करना था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर से भी ज्यादा है। दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो इन मौतों को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो आंकड़े पाए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर से कई गुना ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को चिंताजनक बताया है। 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल

हंगर इंडेक्स का प्रारंभ किया। 2006 में प्रथम बार यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया और 2018 में उसकी उसका 13वां संस्करण प्रकाशित हुआ। इस इंडेक्स में दुनिया के सभी देशों में खानपान की स्थिति के तथ्य जैसे खाद्य प्रकार की प्रकृति, गुणवत्ता, मात्रा, कमियां देखी जाती है। 2014 में भारत 55वें स्थान पर, 2015 में 80वें स्थान पर और 2016 में 97वें स्थान पर तथा 2017 में 100वें स्थान पर रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत में कुपोषण और भुखमरी की स्थिति खराब होती जा रही है। इस इंडेक्स में चीन 25वें, बांग्लादेश 86वें, नेपाल 72वें, श्रीलंका 67वें और म्यांमार 68वें स्थान पर है और उनकी स्थिति भारत से बेहतर है। भारत में फाइट हंगर फाउंडेशन और अमेरिकन क्लूनरी फेडरेशन ने मिल कर जनरेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। रिपोर्ट में लिखा गया है, 'भारत में अनुसूचित जनजाति (28 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (21 प्रतिशत), पिछड़ी जाति (20 प्रतिशत) और ग्रामीण समुदाय (21 प्रतिशत) पर अत्यधिक कुपोषण का बहुत बड़ा बोझ है। भारत में कुपोषण का दर लगभग 55 प्रतिशत है जबकि उप सहारीय अफ्रीका में यह 27 प्रतिशत के आसपास है।

जिन क्षेत्रों में अत्यधिक अल्प पोषण है वहां कुपोषित महिलायें या किशोरी बालिकायें उन बच्चों को जन्म देती हैं जो पैदा होते ही कुपोषित होते हैं। इस प्रकार अल्प पोषण एक पीढ़ी तक खौफनाक उत्तराधिकार के रूप में हस्तानान्तरित होता है। ये बच्चे आने वाले वर्षों मे वृद्धि की भरपाई नहीं कर पाते। वे जल्द ही बीमार होने, देर से स्कूल में प्रवेश करने, सीख नहीं पाने की संभावना से ग्रसित होकर कम उत्पादक एवं बीमार वयस्क बन जाते है। इस प्रकार कुपोषण एक भयंकर 'टाईम बम' है।'[1]

कुपोषण का अर्थ

कुपोषण के मायने होते हैं आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त वजन और लम्बाई का विकास न होना, एक स्तर के बाद यह मानसिक विकास की प्रक्रिया को भी अवरूध्द करने लगता है। बहुत छोटे बच्चों खासतौर पर जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भोजन के जरिये पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण उनमें कुपोषण की समस्या जन्म ले लेती है।

बच्चों में कुपोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है

सूखे वाला कुपोषण – इस कुपोषण में पोषण की कमी रहती है जिसके कारण बच्चे में रक्त की कमी, आयु के अनुसार लंबाई व वजन में नहीं बढ़ते है।

सूजन वाला कुपोषण – इस प्रकार के कुपोषण अपर्याप्त असंतुलित पोषण मिलता है जिससे शरीर में कई पौष्टिक तत्वों की अधिकता तथा कई पौष्टिक तत्वों, विटामिन की अधिकता हो जाती है जिससे बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है तथा उनका आयु के अनुसार वजन अधिक बढ़ जाता है। ऐसे बच्चे दिखने में स्वस्थ दिखते है परंतु उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी रहती है।

कुपोषण के सूचक

बच्चे की उम्र एंव ऊंचाई के अनुरूप उसका वजन कम होना।

उसके हाथ–पैर पतले और कमजोर होना और पेट बढ़ा होना।

बच्चे को बार–बार संक्रमण होना और बीमार होना।

कुपोषण के कारण

पर्याप्त भोजन नहीं मिलने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वह शीघ्र ही बीमारियों की चपेट में आ जाता है। जन्म के समय ढाई किलो से कम वजन होने पर बच्चे के बहुत कम उम्र में मरने की संभावना तीन गुना बढ़ जाती है। जबकि जहां कुपोषण ज्यादा होता है वहां खसरा से होने वाली मौतों की दर सामान्य से बहुत अधिक होती है।

बच्चों में कुपोषण के कारण एक कुचक्र शुरू हो जाता है। जो बच्चे इसके चंगुल में फंस जाते हैं वे दस्त, खसरा, कुकरखांसी, टीबी, और निमोनिया जैसे रोगों की चपेट में आ जाते हैं। कुपोषित बच्चों में ये बीमारियां ज्यादा गंभीर होती हैं और उनकी अवधि लम्बी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि कुपोषण स्वयं भी रोगों और मुत्यु का बड़ा कारण है। वहां कुपोषण और एनीमिया 31.9 प्रतिशत ब्रोंकोन्यूमोनिया 21.3 प्रतिशत, आंत्रशोथ 20.2 प्रतिशत मृत्यु के सबसे बड़े कारण थे।'[2]

इसी तरह जन्म के समय कम वजन जीवन भर की अस्वस्थता का बड़ा कारण होता है। गर्भावस्था के समय उचित आहार न मिलने के कारण महिलाओं के साथ–साथ बच्चों की स्थिति भी खराब हो रही है। स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा के कारण बच्चों में स्नायु तंत्र से सम्बन्धित रोगों को प्रतिशत बढ़ा है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार वे सभी बच्चे जिनका जन्म के समय वजन कम था, अधिकांश गरीब परिवारों से आते थे। एक तिहाई बच्चों की मौत जन्म के समय कम वजन के

कारण ही होती है। इसी तरह कमजोरी के कारण बच्चों पर तपेदिक (टीबी) जैस संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बच्चों के बीमार होने की संभावना अधिक हो जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि ना केवल बच्चों को उचित पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो वरन् यह भोजन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढाए जिससे वह बीमारियों से लड सके। मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू में सब्जियों, फलों और अनाज को अधिक प्राथमिकता दी गई जिससे बच्चों को उचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राप्त हो सके। 'इसके अतिरिक्त राजस्थान में 2 जुलाई 2018 से मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाना अनिवार्य कर दिया गया।' दूध का वितरण शहरी क्षेत्रों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार, गुरूवार ओर शनिवार को सुनिश्चित किया गया है। दूध के प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। इस दूध वितरण में कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध प्रातःकाल प्रार्थना के बाद दिया जाना सुनिश्चित किया है। इसकी निगरानी भी मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी समिति को ही सौंपी गई है।'[3]

उपरोक्त विश्लेषण से कुपोषण के निम्न कारण ज्ञात होते है –

कुपोषण के कारण

गरीबी

लैंगिक असमानता
कम आयु में विवाह तथा माँ बनना
स्तनपान का अभाव
पोषण के ज्ञान की कमी
पर्याप्त व पौष्टिक भोजन की कमी
खाद्य स्वच्छता का अभाव
गंदा पर्यावरण
बीमारियाँ
अस्वच्छ पीने का पानी

कुपोषण के प्रभाव : एक विश्लेषण

यह एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के गर्भ में ही फंस जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का हास होता है और छोटी–छोटी बीमारियां उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं।

ऑक्सफोर्ड की अर्थशास्त्री सबीना अलकेर के 'द हिन्दू' में अपने लेख में लिखा है कि 'भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में सबसे अधिक अपर्याप्त वृद्धि अर्थात् गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चे है, फिर भी भारत सामाजिक संरक्षण पर अन्य एशियाई देशों की तुलना में आधा ही खर्च करता है। एशिया के अन्य देश सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत व्यय करते है और भारत मात्र 1.7 प्रतिशत ही व्यय करता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से असंगठित श्रम क्षेत्रों जैसे कृषि, मजदूरी आदि में शोषण कम होगा तथा यह अधिनियम भुखमरी और कुपोषण को जड़ से तो समाप्त नहीं करेगा परंतु इससे एक प्रक्रिया की शुरूआत अवश्य होगी।' सामान्य रूप में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है 'सब तक खाद्य की पहुंच, हर समय खाद्य की पहुंच और सक्रिय और स्वस्थ्य जीवन के

लिए पर्याप्त खाद्य।' जब इनमें से एक या सारे घटक कम हो जाते हैं तो परिवार खाद्य असुरक्षा में डूब जाते है। खाद्य सुरक्षा सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। 'भारत का उदाहरण ले जहां सरकार खाद्यान्न के ढेर पर बैठती है पर भुखमरी और कुपोषण दूर करने के प्रयासों के अभाव में यह जरूरत मंदों तक नहीं पहुंच पाता है। अनाज भण्डारण के अभाव में सड़ता है, चूहों द्वारा नष्ट होता है या समुद्रों में डुबाया जाता है पर जन संख्या का बड़ा भाग भूखे पेट सोता है।'[4]

'कुपोषण जन्म या उससे भी पहले शुरू होता है और 6 महीने से 3 वर्ष की अवधि में तीव्रता से बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वृद्धि बाधिता, मृत्यु, कम दक्षता और 15 पाइंट तक आईक्यू का नुकसान होता है। सबसे भयंकर परिणाम इसके द्वारा जनित आर्थिक नुकसान होता है। कुपोषण के कारण मानव उत्पादकता 10–15 प्रतिशत तक कम हो जाती है जो सकल घरेलू उत्पाद को 5–10 प्रतिशत तक कम कर सकता है। कुपोषण के कारण बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। कुपोषित बच्चे घटी हुई सिखने की क्षमता के कारण खुद को स्कूल में रोक नहीं पाते। स्कूल से बाहर वे सामाजिक उपेक्षा तथा घटी हुई कमाऊ क्षमता तथा जीवन पर्यंत शोषण के शिकार हो जाते है। इस कारण बड़ी संख्या में बच्चें बाल श्रमिक या बाल वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर हो जाते हैं। बड़े होने पर वे अकुशल अर्द्धकुशल मजदूरों की लम्बी कतार में जुड़ जाते हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बनता है।'[5]

'3 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि मध्यप्रदेश भारत में कुपोषण का सबसे ज्यादा शिकार राज्य है और यहां बच्चों की रोग

प्रतिरोधक क्षमता बहुत क्षीण हो चुकी है। कुपोषित बच्चों पर दस्त का प्रकोप सामान्य से 4 गुना अधिक होता है। खून की कमी की शिकार औरतों में मातृत्व सम्बन्धी मौतें स्वस्थ्य औरतों की तुलना में पांच गुना ज्यादा होती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कुल मरीजों में से करीब तीन–चौथाई की रूग्णता का कारण कुपोषण या उससे जुड़ी अन्य दिक्कतें हो सकती हैं।'[6]

'कुपोषण जन्म या उससे भी पहले शुरू होता है और 6 माह से 3 वर्ष की अवधि में तीव्रता से बढ़ता है। 6 माह से 3 वर्ष की उम्र में बच्चे के लिए मॉ का दूध पर्याप्त नहीं होता। बच्चा खुद खा पाने या मांग पाने में असमर्थ होता है। उसको बार–बार नरम भोजन की जरूरत होती है जो उसे कोई वयस्क ही खिला सकता है। माताओं को अजीविका कमाने के साथ–साथ और भी कई घरेलू काम करने पड़ते हैं जैसे–पकाना, पानी लाना, सफाई करना आदि। उनमें इतनी ऊर्जा या समय नहीं बचता कि वह बच्चे को बार–बार खिला सके। परिवार में भी अन्य वयस्क इसे सिर्फ मॉ की जिम्मेदारी समझते हैं। बचपन में कुपोषित बच्चे को बाद में सुधार की संभावना बहुत कम होती है। मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल आदि सहायक तो है किन्तु पहले 6 वर्षों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। कुपोषण के मुख्यतः निम्न स्वरूप है जो क्रमशः– 1. जन्म के समय कम वजन, 2. बचपन में बाधित विकास, 3. अल्प रक्तता, 4. विटामिन ए की कमी, 5. आयोडिन कमी संबंधित बिमारियां, 6. मोटापा।'[7]

कुपोषण का प्रभाव

1. जन्म के समय कम वजन

2. बचपन में असामान्य शारीरिक विकास

3. अल्परक्तता

4. विटामिन ए की कमी

5. आयोडीन संबंधी बीमारियां जिससे मानसिक विकास रूक जाता है।

6. मोटापा

7. रोगप्रतिरोधक क्षमता की कमी से बीमारियों का शिकार हो जाते है जिससे कुपोषित बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है।

8. एकाग्रता की कमी तथा सीखने की क्षमता कम होने से विद्यालय में नहीं रूकते। शैक्षणिक विकास में रूकावट होती है। उनकी आई.क्यू. कम होता है।

9. अकुशल मजदूर तथा बाल श्रम में बढोत्तरी होती है। शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने पर विद्यालय से बाहर सामाजिक उपेक्षा होती है तथा घटाउ कमाउ क्षमता एवं जीवन पर्यन्त शोषण के शिकार होते है।

मध्याह्न भोजन योजना परीक्षण की स्थिति तथा मानदण्ड़

राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर समीक्षा एवं संचालन समितियों के गठन की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है

राज्य स्तरीय समीक्षा व संचालन समिति – इस समिति में राज्यपाल की आज्ञा से मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग के शासन सचिव, प्रबंधक, रजिस्ट्रार के अतिरिक्त पोषण विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि को समिति में शामिल किया गया है।

जिला स्तरीय समीक्षा व संचालन समिति – इसमें कलक्टर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, रसद अधिकारी, निदेशक महिला व बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, नगर निगम और नगर परिषद के अधिकारी, जिले के सांसद, सहकारिता विभाग के अधिकारी के अतिरिक्त पोषण विशेषज्ञ, पंचायत समिति के सदस्य, जन प्रतिनिधि सम्मिलित होते है।

खण्ड स्तर पर समिति में उपखण्ड अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पोषण विशेषज्ञ, पंचायत समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि सम्मिलित होते है।

सारणी 4.1

जिला एवं खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु तय मापदण्ड

क्र.सं.	पदनाम	मासिक निरीक्षणों का लक्ष्य
1.	जिला कलक्टर	5 विद्यालय
2.	अति. जिला कलक्टर	5 विद्यालय
3.	उप खण्ड अधिकारी/ए.सी.एम.	10 विद्यालय
4.	तहसीलदार	10 विद्यालय
5.	अन्य जिला स्तरीय अधिकारी	5 विद्यालय
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	5 विद्यालय
7.	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्	5 विद्यालय
8.	जिला परिषद् के अन्य अधिकारी (प्रति अधिकारी)	5 विद्यालय
9.	जिला शिक्षा अधिकारी	20 विद्यालय
10.	खण्ड शिक्षा अधिकारी	20 विद्यालय
11.	उप जिला/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी	20 विद्यालय
12.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	10 विद्यालय
13.	पंचायत समिति के अन्य कर्मचारी	5 विद्यालय
14.	अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी	5 विद्यालय
15.	अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकाय	10 विद्यालय

निरीक्षण मापदण्डों से स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना में खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उपखण्ड शिक्षा अधिकारी, स्थानीय निकाय और विकास अधिकारी को प्रत्येक माह 10 से 20 विद्यालयों का निरीक्षण करना ही पडेगा।

सारणी संख्या 4.2

विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निरीक्षण की स्थिति

विद्यालय	संरपच द्वारा जांच	विद्यालय के प्रभारी द्वारा	सरकारी अधिकारियों द्वारा	गैर सरकारी संस्था द्वारा	प्रधानाचार्य द्वारा
शहरी	✓	✓	X	✓	✓
ग्रामीण	X	✓	X	✓	✓

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

व्याख्या व विश्लेषण – तथ्यों से ज्ञात होता है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण विद्यालय के मध्याह्न भोजन प्रभारी द्वारा एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ही नियमित रूप से किया जाता है। जो गैर सरकारी संस्था मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाती है उसके अधिकारी भी मध्याह्न भोजन योजना के संचालन पर निगरानी रखते है परंतु निगरानी हेतु जिन सरकारी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वे इस कार्य को उचित रूप से नहीं कर पा रहे है।

सारणी के तथ्यों को विश्लेषित करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना योजना का संचालन इतना कमजोर क्यों है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि निरीक्षण में त्रिस्तरीय कमेटी होने पर भी मध्याह्न भोजन योजना के निरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। सरपंच, सरकारी अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करते है तथा भोजन परोसने से पूर्व भोजन परीक्षण हेतु त्रिसदस्यीय कमेटी होती है परंतु नियमित एवं रोस्टर प्रणाली द्वारा परीक्षण नहीं करती है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजना का संचालन विद्यालय स्तर पर सही नहीं हो पा रहा है। मात्र विद्यालय स्तर पर ही इसका निरीक्षण होता है वह भी कागजी कार्यवाही के लिए।

स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना योजना के उचित निरीक्षण ना होने के कारण इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

सारणी 4.3

अवकाश लेने के कारणों के संदर्भ में विश्लेषण

	ग्रामीण						शहरी					
	बालक			बालिका			बालक			बालिका		
	बीमारी	कार्य	अन्य	बीमारी	कार्य	अन्य	बीमारी	कार्य	अन्य	बीमारी	कार्य	अन्य
अक्षय पात्र	15 (20.00)	09 (10.00)	10 (20.00)	06 (60.00)	04 (40.00)							
	07 (14.00)	14 (28.00)	03 (8.00)	14 (28.00)	04 (8.00)	06 (14.00)						
इस्कॉन							15 (30.00)	06 (12.00)	07 (8.00)	16 (32.00)	11 (8.00)	05 (10.00)
							17 (34.00)	10 (6.00)	15 (10.00)	19 (38.00)	08 (6.00)	03 (6.00)
अन्नपूर्णा	14 (38.00)	02 (4.00)	04 (8.00)	8 (42.00)	02 (4.00)	02 (4.00)						
	21 (42.00)	04 (2.00)	03 (6.00)	11 (40.00)	04 (8.00)	01 (2.00)						
	57	29	20	39	14	09	32	16	22	35	19	08

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

व्याख्या एवं विश्लेषण – सारणी में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी के कारण अवकाश लेने के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अन्नपूर्णा महिला समिति भोजन बनाती है उनमें अधिकांश बच्चे बीमारी के कारण अवकाश लेते है। इनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ में अधिकांश विद्यार्थी बीमारी के कारण अवकाश लेते है। इसी प्रकार की स्थिाति राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ की भी है।

तथ्यों से स्पष्ट है कि अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर्याप्त तो हो सकता है परंतु गुणवतापूर्ण ना हो या बच्चों में मौसमी या विशेष बीमारी होने के कारण अवकाश लेते है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र अक्षय पात्र द्वारा संचालित विद्यालयों में शिवदासपुरा विद्यालय में विद्यार्थी बीमारी के कारण अवकाश कम लेते है। बीलवा स्थिति विद्यालय में बीमारी के कारण अवकाश लेने वालों में बालिकाओं की संख्या अधिक है। इससे स्पष्ट है कि प्रायः मध्याह्न भोजन योजना का भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों को लाभान्वित नहीं कर रही है।

इस्कॉन द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि भांकरोटा स्थिति विद्यालय में अधिकांश विद्यार्थी बीमारी के कारण अवकाश लेते है।

तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रायः मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में कमी है जिसके कारण इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड रहा है। साथ ही इस योजना में निगरानी तंत्र के मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण भी भोजन की गुणवत्ता खराब हो रही है और बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव हो रहा है।

सारणी 4.4
विद्यालय में व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण

विद्यालय	भोजन स्थान की व्यवस्था	पीने के पानी की व्यवस्था	बर्तन धोने की व्यवस्था	भोजन रखने की व्यवस्था	भोजन चखा जाता है
शहरी	✓	✓	X	✓	✓
ग्रामीण	✓	✓	X	✓	✓

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

व्याख्या व विश्लेषण – सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित विद्यालयों में सभी में भोजन करवाने की व्यवस्था है परंतु राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ में अन्य सुविधाओं का अभाव है। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में भोजन रखने की व्यवस्था नहीं है और भोजन विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी द्वारा चखा नहीं जाता है।

बर्तन धोने की व्यवस्था भी सभी स्कूलों में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना अच्छे उद्देश्यों के लिए चलाई है परंतु इसके संचालन में कमियां है जिसके कारण यह अपने लक्ष्यों की पूर्ण पूर्ति नहीं कर पा रही है।

सारणी 4.5

मध्याह्न भोजन योजना का कुपोषण पर प्रभाव के संदर्भ में विश्लेषण

प्रभाव	आवृत्ति
रक्तअल्पता में कमी आई है	84 (56.00%)
मानसिक स्वास्थ्य में लाभ	96 (60.40%)
शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ	113 (70.55%)
बीमार होने की आवृति में कमी	98 (60.55%)
खेलकूद करने में बढोतरी	120 (80.00%)
पढ़ने में एकाग्रता व याददाश्त में बढोतरी	90 (60.00%)

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

मध्याह्न भोजन योजना के कारण अब विद्यार्थियों में निम्न प्रभाव दृष्टिगत होते है –

1. रक्त अल्पतता पर प्रभाव – मध्याह्न भोजन योजना के कारण बच्चों में रक्त की कमी दूर हुई है क्योंकि कुछ अभिभावकों ने कहा है कि हमारा बच्चा मध्याह्न भोजन से पूर्व हमने डॉक्टर को चैक करवाया तो उन्होंने बोला कि बच्चे में खून की कमी है। शरीर में पीलापन है तथा प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। उसके बाद हमारे बच्चे मध्याह्न भोजन से प्राप्त हुआ भोजन लेने लगे तो उनमें खून की कोई कमी नहीं रही। इसके कारण उनमें रोग प्रतिरोध क्षमताओं का विकास हुआ है। विटामिन की कमी कुपोषण का सबसे बडा लक्षण है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना से विद्यार्थियों में विटामिन की कमी दूर की गई है। इसमें विशेष रूप से विटामिन ए, आयरन और कैल्सिशम की कमी को दूर किया गया है।

2. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव – बच्चों में आयोडीन की कमी से मानसिक विकास प्रभावित होता है। अभिभावकों के अनुसार ग्रामीण व गरीब वर्ग के बच्चे आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं करते परंतु मध्याह्न भोजन योजना में उन्हें आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है जिससे उनकी आयोडीन की पूर्ति होती है। इसके प्रभाव से विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पडा है। जब बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते है तो उनकी एकाग्रता में वृद्धि होती है जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा की गुणवता, याद करने की क्षमता, परीक्षा परिणामों, नई चीजों को सीखने की क्षमता पर होता है।

3. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव – कुपोषण के कारण बच्चों में आयु व ऊँचाई के अनुसार उसका वजन कम होता है। उसके हाथ पैर पतले, पेट बढा हुआ तथा बच्चे बारबार संक्रमित होते है। अपर्याप्त व गुणवताहीन भोजन से शरीर कमजोर, रोग प्रतिरोध क्षमता कम, खसरा, दस्त, उल्टी, बुखार, कुकरखांसी, टीबी, निमोनिया आदि का शिकार हो जाता है। बच्चा आयु से काफी कम दिखता है, थके हुए, आंखे धंसी हुई, त्वचा व बाल रूखे रहते है, मसूडो में सूजन, दांतो में सडन, ज्यादा रोना, चिडचिडापन, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियां कमजोर होना, भूख ना लगना, बालों का कमजोर होना और अवसाद से ग्रसित होते है। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित चिकित्सकीय टीम के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना में दूध, दाल, चावल, हरी सब्जी व रोटी के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व खनिज के रूप में पौष्टिक व पर्याप्त भोजन मिलने के कारण हमारे बच्चे इन सभी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर रहे है।

कुपोषण रोकने हेतु उपाय

कुपोषण रोकथाम हेतु योजनाऐं

1. आंगनबाडी – बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1985 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का हिस्सा है। ये केन्द्र पूरक पोषण प्रदान करते है, गैर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाऐं स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मिलकर प्रदान की जाती

है। 'आंगनबाडी योजना' जिसमें छह वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार प्रदान किया जाता है।

2. अन्नपूर्णा दूध वितरण योजना – राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को 2 जुलाई, 2018 से पोषाहार के साथ दूध भी दिया जाना प्रारंभ किया गया। इस योजना में कक्षा एक से पांच तक विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध प्रबंध विद्यालय प्रबंध समितियों के मार्गदर्शन में दिया जाता है। इस योजना में सोमवार, बुधवार और शनिवार को शहरी क्षेत्रों में और मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूध दिया जाता है।

3. मध्याह्न भोजन योजना – कुपोषण से लडने के लिए सरकारी स्तर पर जो प्रमुख योजनाऐं संचालित की जा रही है उनमें इसके बाद विद्यार्थियों को कुपोषण से बचाने के लिए 'मध्याह्न भोजन योजना' का संचालन किया गया। इसमें बच्चों को उचित मात्रा में विटामिन, वसा, प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व के रूप में पोषाहार प्रदान किए जा रहे है। कुपोषण के कारण बच्चों का ना केवल शारीरिक वरन् मानसिक विकास भी रूक जाता है।

सारणी 4.6
मध्याह्न भोजन योजना गाइडलाइन के अनुसार मेन्यू

क्र०सं०	वार	भोजन का विवरण
1	**सोमवार**	रोटी – सब्जी
2	**मंगलवार**	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3	**बुधवार**	रोटी – दाल
4	**गुरुवार**	खिचडी (दाल, चावल, सब्जी आदि युक्त)
5	**शुक्रवार**	रोटी – दाल

6	**शनिवार**	रोटी – सब्जी

स्त्रोत : मध्याह्न भोजन योजना गाइडलाइन

सारणी 4.7

भोजन में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा

सामग्री	प्रतिदिन मात्रा प्राथमिक स्तर	प्रतिदिन मात्रा उच्च प्राथमिक स्तर
खाद्यान्न (गेंहू/चावल)	100 ग्राम	150 ग्राम
दाले	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जी हरी पत्तेदार	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक व मसाले	आवश्कतानुसार	आवश्यकतानुसार

स्त्रोत : मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, दिशा निर्देश, 2018

उपर्युक्त दर्शाए गए मेन्यू का कुपोषण पर किस प्रकार प्रभाव हो रहा है इसका विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है। इसका विश्लेषण मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े अधिकारियों, चिकित्सकों तथा डाइटिशियनों द्वारा किया गया है। जो कि निम्न प्रकार है

सारणी 4.8
मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू का पोषण के संदर्भ में विश्लेषण

मेन्यू	पोषण	प्रभाव
रोटी	कार्बोहाइड्रेट	शारीरिक विकास में शक्ति प्रदान करना, शरीर का मुख्य ऊर्जा स्त्रोत है।
सब्जी	आयरन, कैल्सियम, विटामिन, खनिज, सभी आवश्यक तत्व	हड्डियों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक।
चावल	स्टार्च, प्रोटीन	शारीरिक विकास में सहायक
दाल	प्रोटीन	शारीरिक विकास में सहायक
दूध	प्रोटीन, वसा	हड्डियों, नवीन कोशिकाओं के निर्माण, शक्ति केन्द्रों के निर्माण में सहायक।
फल	विटामिन्स तथा फाइबर्स	मानसिक स्वास्थ्य में, रक्त बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में सहायक
तेल	वसा	शरीर में नवीन कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक। शरीर का शक्ति केन्द्र बनाने में सहायक

व्याख्या व विश्लेषण – उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन योजना का मेन्यू बनाया गया है वह कुपोषण से लडने के लिए पूर्णतः सक्षम है। बशर्ते योजना का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन सफल रूप से हो जाए। इसमें सभी पौष्टिक तत्व है जो बच्चों के शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाते है। इससे कुपोषण से मुक्ति मिलती है। बच्चों को जब बच्चों का कुपोषण न होकर पोषण होगा तो बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा। इससे क्रमशः व्यक्तित्व का विकास, परिवार तथा समाज का विकास होगा और भावी रूप में स्वस्थ व शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होगा।

सारणी 4.9

कुपोषण को दूर करने अन्य उपायों के संदर्भ में विश्लेषण

उपाय	आवृत्ति
खाने में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा	124 (80.26%)
दूध व दूध से बने पदार्थों का वितरण	135 (90.00%)
बच्चों को पर्याप्त नींद	124 (80.26%)
अंकुरित अथवा भुने हुए चने	112 (70.47%)
कैल्सियम व आयरन की दवाऐं	105 (70.00%)
आटा, चावल, नमक, वनस्पति तेल व दूध से बने पदार्थ	135 (90.00%)

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

व्याख्या व विश्लेषण – उपरोक्त सारणी के तथ्य अभिभावकों से संग्रहित किए गए है। तथ्यों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अभिभावकों के अनुसार कुपोषण से लडने के लिए मध्याह्न भोजन योजना में दूध अथवा दूध से बने पदार्थों का वितरण किया जाना चाहिए। जिससे बच्चे को उपयुक्त प्रोटीन प्राप्त हो सके। दूध का वितरण 2 जुलाई, 2018 से प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों को विटामिन तथा कैल्सियम की दवाऐं भी विद्यालय में दी जानी चाहिए जिससे उनकी कैल्सिशयम तथा विटामिन की कमी को दूर किया जा सके। अभिभावकों ने यह भी बताया कि बच्चों को अंकुरित अथवा भुने हुए चनों का वितरण भी किया जाना चाहिए। बच्चों को दाल, वनस्पति तेल, नमक, चावल तथा दूध जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करवाना चाहिए तथा बच्चों को उपयुक्त नींद से भी कुपोषण को दूर करने में सहायता मिलेगी।

छायाचित्र 1

शिवदासपुरा स्थित विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना भण्डार कक्षों की स्थिति

अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयों में भण्डार कक्षों की स्थिति ठीक नहीं है। जिन बर्तनों में खाना खाया जाता है उनकी सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी विद्यालय में नहीं लगाया जाता है। जिसके कारण छोटे बच्चे स्वयं अपनी थाली साफ करते है। वह अपनी थाली उचित प्रकार से साफ नहीं कर पाते साथ ही बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना योजना में बर्तनों की सफाई और भोजन संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है जिसका कुप्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि बर्तन साफ करने के लिए उचित स्थान नहीं है। बर्तन धोने के लिए गंदी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। जिसका कुप्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

छायाचित्र 2

बीलवा स्थित विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था

अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस्कॉन और अक्षय पात्र पीने के पानी के कैम्पर विद्यालयों में वितरित करते है। वहीं जिन विद्यालयों में भोजन स्कूल स्तर पर बनाया जाता है वहां पीने के पानी की गुणवत्ता व्यवस्था उचित प्रकार नहीं है और ना ही पीने के पानी के स्थान पर सफाई है। जिसका कुप्रभाव भी बच्चों पर पडता है।

छायाचित्र 3

गोविंदगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भोजन पकाती महिलाऐं

नामांकन तथा ड्राप आउट पर प्रभाव

विद्यालय में शिक्षा की स्थिति को विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनके विद्यालय छोड़ने के तथ्यों पर आधारित होती है। प्रत्येक सत्र में जो नवीन विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते है वह नामांकित विद्यार्थी कहलाते है। इसके बाद जो विद्यार्थी विद्यालय को इसलिए छोड़ते है क्योंकि वह अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते है तो इस स्थिति को ड्राप आउट नहीं कहा जाता है। ड्राप आउट उन विद्यार्थियों को कहा जाता है जो विद्यालय के साथ शिक्षा को ही छोड देते है।

विद्यालयी शिक्षा में सरकारी स्तर के विद्यालयों में नामांकन की संख्या कम और ड्राप आउट का औसत ही विद्यालय की शिक्षा का स्तर तय करता है। विद्यालय में नामांकन निम्न कारणों से प्रभावित होता है –

1. विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का अभाव
2. विद्यालय में शिक्षा की गुणवता का अभाव
3. विद्यालय तक पहुंचने में परिवहन सुविधा का अभाव
4. विद्यालय में विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों की कमी होना।

8. शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना। यह आमधारणा है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अच्छी तथा रोजगारपरक होती है।

9. विद्यालय में शैक्षणिक माहौल की कमी होने से विद्यालय का नामांकन प्रभावित होता है।

10. अभिभावकों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति – अभिभावकों की निम्न आर्थिक स्थिति एवं निम्न सामाजिक स्थिति के कारण भी बच्चों के नामांकन और ड्राप आउट की दर प्रभावित होती है।

राजस्थान के विद्यालयों की स्थिति

वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत संपूर्ण प्रदेश में कुल 66506 समस्त राजकीय स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर तथा मदरसों में कक्षा एक से आठ में पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सारणी 4.10

राजस्थान में वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
2012–13	79274	4981106	2118789	7099895
2018–19	66995	3759831	2001297	5761188

राजस्थान में कुल शहरी विद्यालय 3701 तथा कुल ग्रामीण विद्यालय 58853 है। इसमें लडकों के विद्यालयों की संख्या 210 और लडकियों के विद्यालयों की संख्या 1624 है। 60720 सहशिक्षा के विद्यालय है। नामांकन की स्थिति में वर्ष 2018–19 में लडकों का कुल नामांकन 26310 तथा लडकियों का कुल नामांकन 222722 है। सहशिक्षा में विद्यार्थियों का कुल नामांकन 5512096 है।

जयपुर जिले के राजकीय विद्यालयों की संख्या नामांकन, वर्ष 2018–19

शहरी विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय		बालक विद्यालय		बालिका विद्यालय		सहशिक्षा विद्यालय	
संख्या	नामांकन	संख्या	नामांकन	संख्या	नामांकन	संख्या	नामांकन	संख्या	नामांकन
509	76299	3220	235064	20	2413	97	13068	3612	295882

विद्यार्थियों को प्रतिदिन की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर लाभांवित किया जाता है। सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक 40 लाख एवं कक्षा छह से आठ तक 22.22 लाख तक तथा कक्षा एक से आठ तक के कुल 62.22 लाख विद्यार्थी नामांकित है।

प्राइमरी शिक्षा में नामांकन को लेकर भारत का आंकड़ा बेशक सुनहरा है लेकिन आगे चलकर यही आंकड़ें बदरंग हो जाते हैं। 'यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है कि पांचवी के बाद बच्चे तेजी से स्कूल छोड़ रहे हैं।'[8]

भारत सरकार के अपने आंकड़े भी कमोबेश यही बताते हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की रिपोर्टें भी बताती हैं कि 'शैक्षणिक ढांचे में ऐसी कई गड़बड़ियां निहित हैं जो हालात सुधरने नहीं देतीं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलो की एजेंसी यूनेस्को के सांख्यिकीय कार्यालय और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के एक ताजा संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि भारत में करीब पांच करोड़ बच्चे अपर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। यानी उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। वैश्विक स्तर पर, स्कूल से वंचित रह जाने वाले किशोरों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है।'[9]

'2014 में यूनेस्को की रिपोर्ट ने भारत को सबसे निरक्षर देश आंका था। 2015 में देश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) महज साढ़े 23 प्रतिशत था जबकि साक्षरता दर थी 74 फीसदी से ज्यादा। देश में प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पर अपने शोध, अध्ययन और सर्वे के लिए मशहूर संस्था प्रथम की 2014 की सालाना शिक्षा रिपोर्ट बताती है कि भले ही 96.7 फीसदी बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया हुआ है, उनमें से 71 फीसदी जाते भी हैं लेकिन बच्चो का शैक्षणिक स्तर भी सोचनीय पाया गया। यानी दाखिले और एनरोलमेंट तो भरपूर हैं लेकिन शिक्षा का स्तर कमजोर है।'[10]

सार्वभौम शिक्षा के लिए ड्रॉपआउट एक अहम चुनौती है। ये भी एक अनिवार्यता है कि बच्चों की शिक्षा बहाल रखी जा सके। वे दाखिले के बाद स्कूल न छोड़ दें। इस मामले में पांचवीं कक्षा और पहली कक्षा के छात्रों का अनुपात एक अहम सूचकांक है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि '2013 में 88 फीसदी से सुधर कर 2014 में 93 फीसदी तो हो गया लेकिन अभी भी स्थिति उत्साहजनक नहीं कही जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्वे में बताया गया है कि प्राइमरी कक्षाओं में सालाना ड्रॉपआउट दर करीब पांच फीसदी है जबकि अपर प्राइमरी कक्षाओं में ये दर तीन फीसदी से कुछ ज्यादा है। लेकिन प्राइमरी में ये दर 2013 में साढ़े पांच फीसदी थी और इसमें अपर प्राइमरी में 2013 में ड्रॉपआउट दर ढाई फीसदी से कुछ ज्यादा थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अपर प्राइमरी में स्कूल छोड़ने की दर बढ़ रही है।'[11]

ऐसा क्यों हो रहा है जबकि भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक '2003 से 2014 के बीच करीब दो लाख प्राइमरी स्कूल खुले हैं जो भारत में कुल प्राइमरी स्कूलों का करीब साढ़े 24 फीसदी हैं। इनमें से 95 फीसदी स्कूलों की अपनी इमारत भी है। लेकिन ये इमारतें किस हाल में हैं, वहां की दीवारों, कक्षों, दरवाजों, खिड़कियों, शौचालयों की क्या स्थिति है– ये भी देखा जाना चाहिए। स्कूलों का बुनियादी ढांचा चरमराया हुआ है। क्लासरूम से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह छेद ही छेद हैं। बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर जैसी व्यवस्थाएं कहीं सही हैं तो कहीं सोचनीय।'[12]

स्कूल छोड़ने के इस तरह कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण हम देख सकते हैं। जैसे टीचरों की संख्या का अभाव। पांच लाख से ज्यादा टीचर ठेके पर हैं। उनमें से आधे प्रशिक्षित भी नहीं हैं। वैसे प्रशिक्षित टीचरों का ही घोर अभाव है। 'टीचरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था निजी हाथों में है और इस मामले में ये दुनिया का अकेला देश बताया जाता है जहां टीचरों की ट्रेनिंग का काम प्राइवेट हाथों में है। टीचर कम हैं तो जाहिर है उसका असर छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ रहा है। और नतीजा। नतीजा यही कि छह से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन करीब साढ़े तीन करोड़ अब भी बाहर हैं।'[13]

पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देने की सबसे बड़ी वजहों में एक गरीबी भी है। बड़े होते बच्चे अपनी पारिवारिक विवशताओं और सामाजिक हालात की वजह से साधारण रोजगार की ओर मुड़ जाते हैं। दुकानों, ढाबों, गैराजों, छोटे होटलों, रेहड़ी जैसे छोटे व्यवसायों में इस उम्र के बच्चों को देखा जा सकता है। दरअसल बेहतर संरचना के अलावा ऐसी योजनाओं की भी जरूरत है जिसमें सीखने की पूरी अवधि के विभिन्न चरणों में आने वाली बाधाओं को दूर करते रह सकें। एक ऐसी मानवीय और पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ निगरानी व्यवस्था की जरूरत है जो अपने बच्चों को न सिर्फ स्कूल लाए बल्कि ये सुनिश्चित भी करे कि वे पूरी पढ़ाई करके निकलें।

'यह ऐन्यूअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट–2016 (एएसईआर) सर्वेक्षण के निष्कर्ष है। यह ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा और सीखने के स्तर का एक घरेलू सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण में भारत के 589 जिलों में 3 से 16 साल के बीच 560,000 से

अधिक बच्चों को शामिल किया गया था।'[14] भारत के स्कूलों में सर्वव्याप्त नामांकन की रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा में जारी प्रमुख चुनौतियों पर बात नहीं होती। एक तो ड्रॉप आउट की उच्च दर और कक्षाओं में कम उपस्थिति।

बच्चों के स्कूल छोड़ने या स्कूल नहीं जाने के परिणाम खतरनाक ही हैं। इससे शिक्षा प्रणाली की उत्पादकता में हानि होती है, क्योंकि उच्च ड्रॉप आउट दर से स्कूल शिक्षा की प्रति यूनिट लागत में वृद्धि होती है। साथ ही मानव संसाधन के विकास में गिरावट होती है।

'नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन' द्वारा वर्ष 2011 के एक अध्ययन के मुताबिक ड्रॉप आउट से रोजगार के मोर्चे पर अर्द्ध कुशल और अकुशल श्रम की संभावना बढ़ जाती है। योजनाओं के संदर्भ में देखें तो वर्तमान सरकार की 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमों की मामूली सफलता के लिए भी स्कूल शिक्षा से संबंधित इन दो मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।'[15]

भारत के स्कूलों में दाखिला लेने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे स्कूल में उपस्थित होंगे ही। 'राष्ट्रीय स्तर पर जब एसईआर टीम ने वर्ष 2016 में स्कूलों का दौरा किया तो प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 4) या उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 5 से 7 / 8) में नामांकित केवल तीन–चौथाई बच्चे ही कक्षा में उपस्थित थे।'[16]

पढ़ाई पूरी होने के बीच में ही स्कूल छोड़ देने या अनुपस्थिति की समस्या विशेष रुप से बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्यों में ज्यादा है। हम बता दें कि बीमारु राज्यों में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कम विकसित राज्य

शामिल हैं। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 'इन राज्यों में 11 से 16 वर्ष की उम्र के बीच वाले 5.1 करोड़ से अधिक या भारत की कुल बाल आबादी के 46 फीसदी बच्चे हैं।'[17]

'वर्ष 2013 और 2015 के बीच बिहार में नालंदा जिले और महाराष्ट्र में सतारा में आयोजित एएसईआर केंद्र के 'मिडिल स्कूल स्टडी' के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण पहुंच है, (जैसे कि स्कूल की दूरी, विशेष रुप से लड़कियों के लिए) लेकिन तथ्य बताते हैं कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण 'रुचि की कमी' है। तीन साल के इस अध्ययन में प्राथमिक स्कूल के बाद लगभग 6,000 बच्चों की शैक्षिक गति को ट्रैक किया गया है।'[18]

'वर्ष 2016 में स्कूल में दाखिला जारी रखने वाले बच्चों की तुलना में 11 से 16 वर्ष के आयु वर्ग वाले ऐसे बच्चे जिन्होंने 2015 से 2016 के बीच स्कूल छोड़ा है, उनका अनुपात उच्च है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में बुनियादी पढ़ने और अंकगणित कौशल की कमी देखी गई।'[19]

यह संभव है कि कई छात्रों के ज्ञान का स्तर अपनी कक्षा स्तर से बहुत नीचे हो, लेकिन शिक्षक केवल कक्षा स्तर पर ही छात्रों को पढ़ाते हैं, जैसा कि वर्ष 2017 के 'इस अध्ययन से पता चलता है। यदि बच्चे स्कूल में पिछड़ जाते हैं और स्कूल में उनके ज्ञान स्तर को सुधारा नहीं जाता है तो वो स्कूल छोड़ देते हैं।'[20] हालांकि अनुपस्थिति पर डेटा एकत्र करना मुश्किल है। सीखने में पिछड़ जाने और अनुपस्थिति के बीच का रिश्ते को भी साबित नहीं किया जा सकता। यहां यह मान लेना उचित है

कि स्कूल में अनुपस्थित रहने वालों बच्चों की तुलना में नियमित स्कूल आने वाले बच्चों के सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं।

राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राज्यों में उच्च–प्राथमिक विद्यालय–आयु के छात्रों का ड्रॉप आउट एक बड़ी समस्या – 'वर्ष 2016 के एएसईआर रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के केवल 3.1 फीसदी बच्चे स्कूल से बाहर थे, लेकिन आयु वर्ग के आधार पर स्कूली बच्चों के बाहर होने में भिन्नताएं थीं।'[21]

'एएसईआर सर्वेक्षण में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों सहित सभी बच्चों की नामांकन स्थिति शामिल की गई है। हालांकि, 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के केवल 1.7 फीसदी बच्चे, संभवतः प्राथमिक विद्यालय के, स्कूल से बाहर थे, जबकि 11 से 14 साल की आयु वर्ग के 4.6 फीसदी बच्चे ऊपरी प्राथमिक कक्षाओं से बाहर थे।'[22]

स्कूल में कभी दाखिला न लेने वाले बच्चों की तुलना में ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ना एक बड़ी समस्या है। 'एएसईआर सर्वेक्षण– 2016 में पाया गया कि 11 और 14 वर्ष की आयु के बीच 1.1 फीसदी बच्चों ने कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, जबकि 3.5 फीसदी बच्चों स्कूल ड्रॉप आउट हुए हैं।

11–14 साल की आयु वर्ग में, अन्य राज्यों की तुलना में बीमारू राज्यों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 6.3 फीसदी, मध्य प्रदेश में 5.8 फीसदी और राजस्थान में 5 फीसदी छत्तीसगढ़ में 4 फीसदी और झारखंड में 3.7

फीसदी। इन सारे राज्यों स्कूल में 11–14 साल की आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 3.5 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

स्कूल ड्राप आउट बच्चों का अनुपात 15 से 16 साल के आयु वर्ग में बढ़ा है। आम तौर पर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 और कक्षा 10) के छात्रों ज्यादा संख्या में स्कूल छोड़ रहे हैं।

15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 15.3 फीसदी बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट थे, जबकि 11 से 14 वर्षीय बच्चों के लिए यह आंकड़े 4.6 फीसदी रहे हैं।

एएसईआर–2016 के सर्वेक्षण के मुताबिक 15– से 16 साल आयु वर्ग के 13.5 फीसदी बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट थे।

मध्य प्रदेश में 15 से 16 साल के उम्र के बच्चों के स्कूल छोड़ देने की दर सबसे अधिक देखी गई है। यहां इस उम्र वर्ग में लगभग 23.6फीसदी बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट देखे गए।

अन्य पिछड़े राज्यों में यह आंकड़ा इस तरह है–उत्तर प्रदेश में 18.7 फीसदी, छत्तीसगढ़ में17.5 फीसदी और राजस्थान में 16.5 फीसदी।

राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों की तुलना में गुजरात आर्थिक रूप से उन्नत राज्य है। लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों का दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा गुजरात से है। करीब 19.3 फीसदी। इसके पीछे के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हैं।

एएसईआर आंकड़ों के मुताबिक, भारत भर में, 15–16 साल की आयु वर्ग के स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के अनुपात में कमी हुई है। वर्ष 2012 में यह 14.1 फीसदी था, जो घटकर 2016 में 13.5 फीसदी हुआ है।

उदाहरण के लिए, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में 2010 और 2014 के बीच वृद्धि हुई, जबकि 2016 में गिरावट देखी गई।

इसमें अन्य बीमारू राज्यों की प्रवृत्ति कुछ अलग है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यह 2010 के 17.6 फीसदी से बढ़कर 2012 में 20.2 फीसदी हुआ है, लेकिन फिर 2016 में यह घटकर 18.7 फीसदी हो गया है।

दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में स्कूल छोड़ने वालों का अनुपात 2010 में 11.6 फीसदी से बढ़कर 2016 में 23.6 फीसदी हुआ है। अलग–अलग रुझानों के पीछे के कारणों को समझना मुश्किल है और हमें राज्यों में ड्रॉप आउट वालों के पैटर्न को समझने के लिए आगे अध्ययन की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 11 से 16 आयु वर्ग में, लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में, 15–16 साल की आयु वर्ग की 28 फीसदी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है, जबकि लड़कों के लिए ये आंकड़े 19.4 फीसदी रहे हैं। गुजरात में 22.5 फीसदी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा , जबकि लड़कों के लिए ये आंकड़े 16.3 फीसदी रहे हैं।'[23]

सारणी 4.11
राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर तक का ड्राप आउट प्रतिशत

राजस्थान	कुल विद्यार्थी	छात्र	छात्राऐं

	2014–15	2015–16	2016–17		
ड्राप आउट	10.54	10.76	7.79	8.4	7.09

स्त्रोत : एएसआईआर रिपोर्ट 2017

व्याख्या व विश्लेषण – उपरोक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में ड्राप आउट बढा परंतु 2016–17 में इसमें करीब 3 प्रतिशत की कमी आई है।

ड्राप आउट के तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि मध्याह्न भोजन योजना का ड्राप आउट के प्रतिशत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक तरफ नामांकन में भी प्राथमिक कक्षाओं तक ही यह सीमित है वहीं ड्राप आउट को रोकने में भी मध्याह्न भोजन योजना अधिक प्रभावी नहीं रह पा रही है।

मध्याह्न भोजन योजना का नामांकन और ड्राप आउट पर विशेष प्रभाव नहीं है। यह छात्रों तथा छात्राओं दोनों के ही ड्राप आउट को पूर्णतः रोक नहीं पा रही है जिसका कारण इस योजना में कई कमियां हो सकती है अथवा इस योजना के साथ अन्य तथ्य नामांकन और ड्राप आउट को प्रभावित कर रहे है।

सारणी 4.12

चयनित ग्रामीण विद्यालयों में वर्ष 2016–20 में उच्च प्राथमिक स्तर तक का ड्राप आउट प्रतिशत

	ग्रामीण							
वर्ष	बालक				बालिका			
2020	सा.	अपिव	अजा	अजजा	सा.	अपिव	अजा	अजजा
2019	7.12	4.52	2.16	3.14	8.15	1.21	5.45	6.41
2018	6.14	3.12	3.17	5.14	9.14	2.44	6.61	7.11
2017	9.17	5.21	3.67	3.18	6.14	4.51	5.97	6.42
2016	6.17	4.12	4.33	4.52	6.33	3.88	7.22	8.12

स्त्रोत : विद्यालयों का वार्षिक रिकॉर्ड

व्याख्या व विश्लेषण – सारणी के तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सामान्य वर्ग के बच्चों का ड्राप आउट प्रतिशत अधिक है। सामान्य वर्ग के बच्चे राजकीय विद्यालयों में अन्य वर्गों की तुलना में कम ही शिक्षा प्राप्त करते है। वहीं लडकियों का ड्राप आउट प्रतिशत लडकों से अधिक है। जिससे स्पष्ट होता है कि लडकियों की शिक्षा को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

सारणी 4.13

चयनति ग्रामीण विद्यालयों में वर्ष 2017–18 में उच्च प्राथमिक स्तर तक का ड्राप आउट प्रतिशत

	ग्रामीण							
वर्ष	**बालक**				**बालिका**			
2020	**सा.**	**अपिव**	**अजा**	**अजजा**	**सा.**	**अपिव**	**अजा**	**अजजा**
2019	6.66	3.31	2.15	2.97	7.48	2.15	4.56	5.67
2018	5.14	2.98	2.67	4.67	8.33	2.67	5.66	6.97
2017	8.61	4.21	2.33	2.48	5.62	3.64	4.88	4.77
2016	5.98	3.67	3.33	3.84	5.66	2.54	6.87	7.49

स्त्रोत : विद्यालयों का वार्षिक रिकॉर्ड

व्याख्या व विश्लेषण – सारणी के तथ्यों की तुलना सारणी संख्या 6.4 से करे तो ज्ञात होता है कि वर्तमान में ड्राप आउट का प्रतिशत घट रहा है परंतु लडकियों का ड्राप आउट अभी भी लडकों से अधिक है जो स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कारणों से भी लडकियों की शिक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है।

चयनित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ड्राप आउट का प्रतिशत कम हुआ है परंतु इसका संपूर्ण श्रेय मध्याह्न भोजन योजना को ही नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों तथा योजनाओं का भी प्रभाव है जिसमें बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों की योजना, स्कूटी वितरण की योजना, बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं अभियान एवं विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय का निर्माण की योजनाओं की भूमिका भी अहम् है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों तक सड़क का निर्माण, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और शिक्षा के स्तर में सुधार भी ड्राप आउट को प्रभावित कर रहे है।

सारणी 4.14

चयनित शहरी विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर तक का ड्राप आउट प्रतिशत वर्ष 2019—20

	शहरी							
वर्ष	बालक				बालिका			
	सा.	अपिव	अजा	अजजा	सा.	अपिव	अजा	अजजा
2020	5.14	3.57	4.17	4.15	7.15	2.66	4.51	6.55
2019	5.18	4.16	4.61	3.15	8.31	3.51	6.88	5.96

स्त्रोत : विद्यालयों का वार्षिक रिकॉर्ड

व्याख्या व विश्लेषण – सारणी के तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि शहरों में ड्राप आउट प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। शहरी बच्चे जो कच्ची बस्तियों में निवास करते है उनके प्रति माता–पिता शिक्षा पर अधिक जोर नहीं दे रहे है। सामान्य वर्ग के बच्चों का ड्राप आउट प्रतिशत अन्य वर्गों से अधिक है वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों का ड्राप आउट प्रतिशत भी अधिक आ रहा है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति अभी गंभीरता नहीं आई है। लडकियों का ड्राप आउट प्रतिशत भी लडकों की तुलना में अधिक है जिसका कारण गरीबी, माता पिता की अशिक्षा आदि है।

सारणी 4.15

चयनित शहरी विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर तक का ड्राप आउट प्रतिशत वर्ष 2017—18

	शहरी							
वर्ष	बालक				बालिका			
	सा.	अपिव	अजा	अजजा	सा.	अपिव	अजा	अजजा
2020	4.13	2.66	3.33	2.31	6.48	2.67	3.65	5.98
2019	4.00	3.16	3.67	2.98	7.64	2.54	5.87	4.87

स्त्रोत : विद्यालयों का वार्षिक रिकॉर्ड

व्याख्या व विश्लेषण – उपरोक्त सारणी के तथ्यों ज्ञात होता है कि सामान्य वर्ग के बच्चों का ड्राप आउट प्रतिशत अधिक है। लडकियों का ड्राप आउट प्रतिशत लडकों से अधिक है। वर्तमान में ड्राप आउट प्रतिशतता में कमी आई है परंतु यह अधिक नहीं है।

शहरी क्षेत्र में भी ड्राप आउट में कमी देखी गई है। इसके पीछे भी अन्य सरकारी योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव भी ड्राप आउट को प्रभावित कर रही है परंतु इसकी भूमिका एकमात्र प्रभावी नहीं रही है।

सारणी 4.16
अभिभावकों के अनुसार ड्राप आउट के कारणों का विश्लेषण

विद्यालय	ड्राप आउट के कारण			
	गरीबी	मध्याह्न भोजन योजना अनियमितता	शिक्षा ठीक नहीं	सुविधाओं का अभाव
	प्रतिशत			
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवदासपुरा, जयपुर	54.67	13.67	68.33	88.67
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीलवा, जयपुर	52.00	16.33	65.67	74.67
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविन्दगढ जयपुर	54.33	10.33	56.67	71.67
राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ	66.33	15.67	74.33	83.33
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भांकरोटा	74.67	12.33	41.33	42.33
राजकीय बुधिया देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरापुरा	84.33	12.33	52.33	39.33

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

व्याख्या व विश्लेषण – सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश ड्राप आउट विद्यालय में शौचालय सुविधा के अभाव से होते है। इस कारण

लडकियों का ड्राप आउट सबसे अधिक रहता है। वहीं विद्यालय में गरीबी के कारण भी बच्चे पढने नहीं आ पाते क्योंकि उनके माता–पिता शिक्षा के स्थान पर पैसे व व्यवसाय को महत्व देने के कारण उन्हें व्यवसायिक कामों में लगा देते है। मध्याह्न भोजन योजना की अनियमितता के कारण ड्राप आउट होते है परंतु उनकी संख्या कम है।

ड्राप आउट के कारण

विद्यालयों में ड्राप आउट्स के कई कारण पूर्व शोध अध्ययनों तथा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट्स ज्ञात होते है जो निम्न प्रकार है –

1. पारिवारिक कारण – परिवार में घरेलू कार्यों, कृषि कार्यों, पारिवारिक विपदा अथवा दुर्घटनाओं के कारण विद्यार्थियों को मजबूरन विद्यालय की पढाई बीच में ही छोडनी पडती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को खेती के कामों के लिए विद्यालय छुडवा दिया जाता है। वहीं बालिकाओं को घरेलू कामों और छोटे बच्चों की देखरेख के लिए विद्यालय छुडवा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरी करने, बाल श्रम करने, पशु चराने, जंगल में लकडी काटने, पारिवारिक विवादों के कारण बच्चे नियमित रूप से विद्यालय छोड रहे है। माता पिता का यह सोचना की पैसा पढाई से अधिक महत्व का है अतः वह बच्चों को अपने साथ अपने रोजगार पर यथा दुकान पर ले जाना, मजदूरी करने ले जाना, ईंट भट्टों व ढाबों पर ले जाते है। इन सभी का प्रभाव ड्राप आउट पर पडता है। गरीब, शोषित, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते है। ऐसे में विद्यार्थी को माता पिता की तरफ से कोई दबाव नहीं

मिलता है और वह स्वयं ही विद्यालय आना छोड देता है और माता पिता इसमें कोई आपत्ति नहीं जताते क्योंकि वह स्वयं शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते है।

2. व्यक्तिगत कारण – बच्चों की पढ़ाई के प्रति अरूचि, बीमारी, घरेलू कार्यों को महत्व देना, माता पिता के साथ उनके व्यवसाय में साथ देना भी ड्राप आउट का कारण है। शारीरिक अक्षमता व मानसिक अयोग्यता के अभाव में बच्चे विद्यालय छोड़ देते है।

3. सामाजिक–सांस्कृतिक कारण – बाल विवाह, बाल श्रम, निर्धनता, शिक्षा की जागरूकता में कमी ऐसे कारण है जिसके कारण बच्चों को विद्यालय छोडने पर मजबूर होना पडता है। बालिकाओं की कम आयु में शादी करना और बालकों को कम आयु में बाल श्रम के लगाना यह ड्राप आउट का प्रमुख कारण है। इसके अलावा समाज में बालिका शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देना बालिकाओं के विद्यालय छोडने का प्रमुख कारण है।

4. आर्थिक कारण – सरकारी विद्यालयों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अभिभावक स्थायी रोजगार नहीं करते है। ऐसे में यदि उनके रोजगार का क्षेत्र परिवर्तित होता है तो वह अपने बच्चों को विद्यालय से निकलवा लेते है। इस प्रकार इनके बच्चों को एक स्थान पर स्थायी शिक्षा नहीं मिल पाती है। गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक शिक्षा से अधिक रोजगार और पैसों को महत्व देते है। ऐसे में विद्यार्थियों के माता पिता उन्हें अपने साथ अपने साथ काम पर ले जाते है। इसके कारण भी विद्यार्थी विद्यालय छोडने को मजबूर हो जाते है।

5. शैक्षणिक कारण – शिक्षा असल में बच्चों के स्कूल में दाखिले भर का मामला नहीं है। शिक्षा का सवाल हमेशा गुणवता से जुडता है। गुणवता बहुत हद तक पठन पाठन के जरूरी संसाधनों, स्कूल भवन, शिक्षक, शौचालय, पेयजल सुविधा से जुडता है। विद्यालय में उचित गुणवतापूर्ण शिक्षा नहीं मिलना ड्राप आउट का प्रमुख कारण है। इसमें योग्य शिक्षकों की कमी, विशेष विषय के शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी विद्यालय छोड देते है। इसके अतिरिक्त अधिकांश सरकारी विद्यालय हिन्दी माध्यम के है और वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के कारण विद्यार्थी विद्यालय छोड देते है।

6. राजनैतिक कारण – विद्यालय ड्राप आउट पर शिक्षा नीति का प्रभाव पड़ता है। आठवीं तक अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करने की नीति से विद्यार्थी स्वयं पढाई मन लगाकर नहीं करते। ऐसे में वह विद्यालय नहीं आते है। यह नीति भी ड्राप आउट का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव, सरकारी तंत्र की अकर्मण्यता भी विद्यालयों में ड्राप आउट का कारण है क्योंकि सरकारी विद्यालयो में सरकार और सरकारी तंत्र विद्यार्थियों के मन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक नहीं कर पा रहे है। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों तक के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते है और सरकारी विद्यालयों के प्रति उपेक्षा करने से सरकारी विद्यालयों की स्थिति खराब हो रही है और इस कारण विद्यार्थी विद्यालय से दूर होते जा रहे है।

7. विद्यालय में आधारभूत सुविधा – विद्यालय में उचित पानी की व्यवस्था नहीं होना और बालिकाओं के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होना भी उन्हें विद्यालय से

दूर कर देता है। विद्यालय की घर से अधिक दूरी होना और आवागमन के उचित साधनों के नहीं होने के कारण भी विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ पाते है और कुछ समय में ही विद्यालय छोड देते है। शिक्षकों का विद्यालय नहीं आना, अच्छे से नहीं पढाना, कक्षा के कमरे सही नहीं होना, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, लाइब्रेरी आदि की सुविधा नहीं होने के कारण ड्राप आउट का प्रतिशत बढता है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से खराब व्यवहार, बच्चों की पिटाई करना, बच्चों का गृहकार्य नहीं करना, फेल हो जाने का तनाव आदि भी बच्चों को विद्यालय से दूर कर देता है।

सुझाव

सारणी 4.17
नामांकन को बढ़ाने तथा ड्राप आउट को रोकने के सुझाव

सुझाव	अभिभावक	प्रतिशत
विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधार	135	90.00
विद्यालय में आधारभूत सुविधा का विस्तार	120	80.00
बच्चों तथा अभिभावकों को प्रेरित करना	120	80.00
मध्याह्न भोजन सामग्री स्वच्छ व बिना मिलावट के हो	102	60.80
भोजन भण्डारण की स्वच्छता	140	90.33
आहार चार्ट की जानकारी का बोर्ड लगा हो	90	60.00
भोजन की उचित मात्रा हो	126	80.40
भोजन के मेन्यू में परिवर्तन होना चाहिए	114	70.60
भोजन निर्माण समय पर होना चाहिए	120	80.00
भोजन परोसने से पूर्व परीक्षण होना चाहिए	120	80.00

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

व्याख्या व विश्लेषण – उपरोक्त सारणी के तथ्यों को चयनित अभिभावकों से संकलित किया गया है। जिसमें विद्यालय में नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट को कम करने के सुझाव पूछे गए है। प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि अधिकांश अभिभावक यह सुझाव देते है कि विद्यालय में शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए। जिसमें प्रत्येक विषय के शिक्षक की नियुक्ति, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए जैसे बालिकाओं के लिए शौचालय, परिवहन हेतु वाहन, सड़क की सुविधा हो। विद्यालय में पानी, बिजली, फर्नीचर, भवन एवं सफाई की उपयुक्त सुविधा होना चाहिए।

विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में अभिभावकों ने यह बताया कि भोजन के भण्डारण, वितरण, भोजन की पर्याप्तता व गुणवता, रसोई व रसोईकर्मी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई यदि विद्यालय में ही है तो बच्चों की कक्षा कक्ष से दूर रहनी चाहिए जिससे बच्चे उससे सुरक्षित रह सके। भोजन पकाने वाले कर्मचारी स्वस्थ व स्वच्छ रहने चाहिए। भोजन के वितरण से पूर्व उसका परीक्षण कमेटी द्वारा नियमित होना चाहिए। भोजन पर्याप्त व गुणवतापूर्ण होना चाहिए।

सारणी 4.18
व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव के आधार पर विश्लेषण

प्रभाव	विद्यार्थी	
	हाँ	नहीं
भोजन परोसने में सहायता करते है	166 (55.33)	134 (44.67)
भोजन संग्रहण में सहायता करते है	165 (55.00)	135 (45.00)
स्वयं के बर्तन स्वयं धोते है	166 (55.33)	134 (44.67)

कभी कभी अन्य बच्चों के बर्तन भी धो देते है	42 (14.00)	258 (86.00)
सहायता करने से अच्छा महसूस करते है	154 (51.33)	146 (48.67)
सहयोग करना अच्छी बात है	160 (53.33)	140 (46.67)
नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है	160 (53.33)	140 (46.67)

स्त्रोत : शोधार्थी द्वारा संगणित

उपरोक्त सारणी के तथ्यों का संकलन विद्यार्थियों से व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में किए गए है। तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश बच्चे मध्याह्न भोजन में भोजन परोसने, भोजन संग्रहण करने, बर्तन धोने और कभी कभी दूसरे बच्चों के बर्तन धोने में सहायता करते है। सहयोग व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण गुण है जिसका विकास बच्चों में हो रहा है। बच्चों में दूसरों की सहायता करने की भावना बढ़ रही है।

तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि खाना परोसने, सफाई करने और भोजन संग्रहण करने, छोटे बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारियां बच्चे अच्छी प्रकार उठा रहे है तथा उन्हें यह जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है। इससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है।

स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना से जुडी गतिविधियां बच्चों में सहयोग, सहायता और नेतृत्व के गुणों का विकास करनें में सहायक सिद्ध हो रही है।

शैक्षणिक प्रभाव –

मध्याह्न भोजन योजना से पूर्व विद्यार्थियों को पारिवारिक, व्यवसायिक व सामाजिक कारणों से प्रायः विद्यालय नहीं आने दिया जाता था। इस योजना के कारण के कारण बच्चों में विद्यालय आने की नियमितता बढ़ी है। इसके कारण

बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में नियमितता आयी। इससे बच्चों में एकाग्रता, तार्किक क्षमता, संवेदनात्मक प्रभाव पडा। इस योजना से विद्यालय में नामांकन और ड्राप आउट पर प्रभाव पडा। शैक्षणिक विकास के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक, व्यक्तित्व, शारीरिक व मानसिक विकास भी हुआ।

चयनित विद्यार्थियों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का विद्यालय आने का मूल कारण शिक्षा प्राप्त करना ही है। वहीं चयनित अभिभावकों में से अधिकांश ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के बिना भी वह अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय अवश्य भेजते परंतु इस योजना के कारण उन्हें बच्चों के भोजन की चिंता नहीं रहती है कि बच्चे ने भोजन किया होगा या नहीं। इनके अनुसार इस योजना का एक प्रभाव यह भी पडा है कि इस योजना के कारण अब उनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाते है। उनके नियमित विद्यालय जाने के कारण उनका शिक्षा की तरफ रूझान बढा है।

छायाचित्र 4

शिवदासपुरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में सहायता करते विद्यार्थी

छायाचित्र 5

बीलवा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय खाना परोसने में सहायता करते विद्यार्थी

छायाचित्र 6

शिवदासपुरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भोजन करते विद्यार्थी

छायाचित्र 7

भांकरोटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भोजन करती छात्राऐं

छायाचित्र 8
भांकरोटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भोजन करती छात्राऐं

परिकल्पनाओं की जांच

1. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.19

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
छात्र	300	46.75	1.44	0.55	स्वीकृत	स्वीकृत
छात्राऐं	300	46.55	0.75		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 46.75 और 46.55 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.44 और 0.75 है। टी टेस्ट का मान 0.55 प्राप्त हुआ है। डीएफ 598 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम

आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.20

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
छात्र	300	46.35	1.03	0.97	स्वीकृत	स्वीकृत
छात्राऐं	300	46.75	1.51		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 46.35 और 46.75 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.03 और 1.51 है। टी टेस्ट का मान 0.97 प्राप्त हुआ है। डीएफ 598 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नामांकन ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.21

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05	0.01 स्तर

					स्तर	
छात्र	**300**	**47.45**	**2.30**	**0.54**	**स्वीकृत**	**स्वीकृत**
छात्राऐं	**300**	**47.1**	**1.74**		**सार्थक अंतर नहीं है।**	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 47.45 और 47.10 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 2.30 और 1.74 है। टी टेस्ट का मान 0.54 प्राप्त हुआ है। डीएफ 598 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शैक्षिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.22

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
छात्र	300	46.30	1.75	0.86	स्वीकृत	स्वीकृत
छात्राऐं	300	45.85	1.53		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 46.30 और 45.85 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.75 और 1.53 है। टी टेस्ट का मान 0.86 प्राप्त हुआ है। डीएफ 598 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नेतृत्व क्षमता प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.23

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्र	150	47.20	1.47	1.01	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्र	150	46.70	1.65		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 47.20 और 46.70 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.47 और 1.65 है। टी टेस्ट का मान 1.01 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्रों के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.24

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्रा	150	48.2	1.49	1.47	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्रा	150	49.7	1.41		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 48.20 और 49.70 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.49 और 1.41 है। टी टेस्ट का मान 1.47 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

7. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.25

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्र	150	43.5	1.55	1.39	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्र	150	44.9	1.72		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 43.5 और 44.90 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.55 और 1.72 है। टी टेस्ट का मान 1.39 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्रों के नामांकन ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

8. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.26

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्रा	150	44.9	1.77	1.21	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्रा	150	45.8	1.85		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 44.9 और 45.80 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.77 और 1.85 है। टी टेस्ट का मान 1.21 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्राओं के नामांकन ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

9. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.27

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्र	150	48.3	1.82	1.11	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्र	150	49.6	1.95		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 48.3 और 49.60 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.82 और 1.95 है। टी टेस्ट का मान 1.11 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्रों के शैक्षणिक विकास प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

10. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.28

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्रा	150	42.5	1.36	1.32	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्रा	150	43.6	1.74		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 42.5 और 43.60 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 1.36 और 1.74 है। टी टेस्ट का मान 1.32 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्राओं के शैक्षणिक विकास प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

11. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.29

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्र	150	47.5	2.34	1.60	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्र	150	46.2	2.45		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 47.5 और 46.2 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 2.34 और 2.45 है। टी टेस्ट

का मान 1.60 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्रों के नेतृत्व क्षमता प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

12. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी – 4.30

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D)	t Test	सार्थकता स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
ग्रामीण छात्रा	150	42.5	2.51	1.84	स्वीकृत	स्वीकृत
शहरी छात्रा	150	43.9	2.46		सार्थक अंतर नहीं है।	

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से ज्ञात होता है कि दोनों समूह के मध्यमान 42.5 और 43.9 प्राप्त हुए है। दोनों समूह का मानक विचलन 2.51 और 2.46 है। टी टेस्ट का मान 1.84 प्राप्त हुआ है। डीएफ 298 स्वतंत्रता के अंश पर .05 स्तर पर सार्थकता मान 1.66 एवं .01 स्तर पर सार्थकता मान 2.36 है। टी का माना दोनों स्तरों से कम आया है अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी छात्राओं के नेतृत्व क्षमता प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.

2. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.

3. Afridi, F., 2010; 'Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India,'*Journal of Development Economics.,* Vol. 92, Issue 2,July.

4. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.

5. Afridi, F., 2010; 'Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India,'*Journal of Development Economics.,* Vol. 92, Issue 2,July.

6. MHRD, 2017; "Mid Day Meal Scheme," http://education-.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2017.

7. ibid

8. ibid

9 ibid

10. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

11. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

12. mdmrajasthan.org

13. MHRD (2016-17), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

14. www.akshyapatra.org

15. www.akshyapatra.org

16. www.akshyapatra.org

17. फाइट हंगर फाउंडेशन और एसीएफ इंडिया रिपोर्ट, 2010

18. मध्याह्न भोजन योजना पोर्टल, राजस्थान सरकार

19. *http://www.righttofoodindia.org/data/blue2005middaymeals.doc*

20. *www.education.inc.in/cd50years/r/2V/7B/ toc.htm*

21*www.righttofoodindia.org/data/gangadharan2006keralanoonmeal management.doc*

22. मध्याह्न भोजन योजना पोर्टल, राजस्थान सरकार

23. मध्याह्न भोजन योजना पोर्टल, राजस्थान सरकार

निष्कर्ष एवं विश्लेषण

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की अनेक विकास योजनाओं में से एक है। जिसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना, शैक्षणिक विकास करना, बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास करना, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना व ड्राप आउट को कम करना एवं गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा की तरफ उन्नमुख करना है।

किसी भी देश के विकसित होने हेतु शिक्षा के स्तर में निरंतर उन्नयन होना आवश्यक है। भारत में शिक्षा के विकास के लिए कई योजनाऐं चलाई गई परंतु उनका संचालन उचित नहीं हो पाया क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना से पूर्व में शिक्षा के विकास के लिए कई सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों के स्वास्थ्य के विकास को ध्यान में रखा गया। इस योजना में गरीब वर्ग के लोगों की भोजन की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। इस योजना में शिक्षा, बालिका शिक्षा, गरीब वर्ग, भोजन की अनुपलब्धता, कुपोषण आदि तथ्यों को सम्मिलित किया गया। मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में किए गए इस अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत होते है।

सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः गरीब वर्ग के अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी अध्ययन करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या शहरी

क्षेत्र की तुलना इसलिए भी अधिक पायी गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में निजी विद्यालयों की संख्या कम है। यह भी स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग के लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को अध्ययन करवाने में कम रूचि रखते है।

सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः एकल परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है। शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक है क्योंकि शहरी क्षेत्र में एकल परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक पायी जाती है। सरकारी विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चे अधिक संख्या में शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

मध्याह्न भोजन योजना में किसी प्रकार के बडे स्तर का भेदभाव नहीं होता है।

विद्यालयों में अधिकांश रूप से मध्याह्न भोजन नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से विद्यार्थी संतुष्ट है।

बहुत कम विद्यार्थी है जो मात्र भोजन के लिए विद्यालय आते है।

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता अच्छी है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड रहा है। जो विद्यार्थी बीमार भी हुए है वह मध्याह्न भोजन के कारण ही बीमार हुए है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मध्याह्न

भोजन में बर्तनों की सफाई, भोजन जिन बर्तनों में आता है उनकी सफाई, खाने और बनाने वाले बर्तनों की सफाई अच्छी प्रकार होती है। जिन विद्यालयों में भोजन बनाया जाता है वहां भी पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, रसोई की सफाई पर अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है।

जिन विद्यालयों में भोजन विद्यालय में निर्मित होता है वहां विद्यार्थियों की सहायता ली जाती है। इसी प्रकार भोजन परोसने में भी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सहायता ली जाती है। विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इन कामों को करते है कार्यभार अधिक और भोजन करने का समय कम होने के कारण विद्यार्थियों की सहायता लेनी पडती है।

इससे गरीब तबके के बच्चों को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार मिल रहा है और अशिक्षा के साथ साथ वह कुपोषण से भी मुक्त होते जा रहे है।

गरीब तबके के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना न केवल शिक्षा और शारीरिक लाभ दे रही है वरन् इससे गरीब लोगों के बच्चे एक समय का भोजन विद्यालय में कर रहे है जिससे उनके परिवार को एक समय के खाने की बचत से आर्थिक लाभ मिल रहा है।

गरीब वर्ग के बच्चों को जब शिक्षा के साथ भोजन भी मिलता है तो घर पर स्वयं के भोजन की चिंता कम हो जाती है। शिक्षा में उनका मन लगता है

और इस प्रकार वह एक से मानसिक तनाव से दूर होकर मानसिक लाभ प्राप्त कर रहे है।

मध्याह्न भोजन योजना का नकारात्मक प्रभाव शिक्षा के स्तर पर कम हुआ है। अधिकांश विद्यार्थी शिक्षा के स्तर से संतुष्ट है।

उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को भोजन के मेन्यू की आंशिक और पूर्ण जानकारी है जबकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं है।

मेन्यू की जानकारी न होने के कारण विद्यार्थियों को कुछ भी बिना मेन्यू के आधार पर परोस दिया जाता है। जो कि योजना के नियमों के अनुसार गलत है। विद्यार्थियों को सरकार द्वारा तय किए गए मेन्यू के आधार पर भोजन मिलेगा तब ही वह कुपोषण और शारीरिक दुर्बलता से मुक्त हो पाऐंगे। जिन विद्यालयों में भोजन विद्यालय में ही निर्मित होता है ऐसा विद्यालयों में मेन्यू के साथ इस प्रकार की गडबडी अधिक देखने को मिली है क्योंकि कम पैसों में भोजन निर्मित कर दिया जाता है, मेन्यू के आधार पर भोजन नहीं तैयार करके भोजन बनाने वाले और स्कूल प्रशासन बच्चों के भोजन में भ्रष्टाचार कर रहा है। संस्थाओं द्वारा आने वाले भोजन अधिकांशतः मेन्यू पर आधारित होते है क्योंकि उन पर सीधी सरकार की नजर होती है।

मध्याह्न भोजन योजना में विद्यार्थियों की सहायता ली जाती है। योजना के अनुसार भोजन बनाने, परोसने आदि के लिए विद्यालय में उपयुक्त स्तर का कर्मचारी होता है परंतु शोध में ऐसा नहीं पाया गया। यहां तक कि बर्तन धोने के कार्य में भी बच्चों की सहायता ली जा रही है।

विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने में मध्याह्न भोजन योजना बडी भूमिका निभा रही है। विद्यार्थी भोजन के लिए रोजाना विद्यालय आते है। यह स्पष्ट कि विद्यालय आने का एक कारण घरेलू कार्य से मुक्ति मिलना भी है। विशेषकर लडकियों के लिए यह कारण प्रमुख रहा वहीं ग्रामीण स्तर के लडके खेती बाडी के काम से मुक्त होने के लिए भी विद्यालय आते है। भोजन के कारण बच्चे विद्यालय जाने के लिए प्रेरित होते है। नहीं तो पहले बच्चों को जबरदस्ती विद्यालय भेजा जाता था। भेज भी दिया जाता था तो वह बीच में से ही कहीं चला जाता था और दिन भर फालतू घूमता रहता था। परंतु मध्याह्न भोजन योजना के बाद वह अच्छे भोजन के लिए विद्यालय जाता है और विद्यालय में रूकता है जिससे उसका समय व्यर्थ होने से बचता है, वह शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ग्रहण करता है।

माता पिता शिक्षा के लिए ही बच्चों को विद्यालय भेजते है परंतु मध्याह्न भोजन योजना के बाद यह भी दूसरी प्राथमिक आवश्यकताओं में जुड गया है जिससे बच्चे विद्यालय आ रहे है और गरीब तबके के माता पिता अपने बच्चों

को विद्यालय भेज रहे है। यह तथ्य मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति को दर्शाता है।

मध्याह्न भोजन योजना ने गरीब वर्ग को शिक्षा का महत्व समझा दिया है। मध्याह्न भोजन योजना ने भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। गरीब वर्ग जो केवल अपने बच्चों को बाल मजदूर बनाने, मजदूरी करवाने की सोचता था आज वही गरीब वर्ग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने की सोचने लगा है और यह सामाजिक और मानसिक परिवर्तन मात्र मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से आया है।

मध्याह्न भोजन योजना के कारण बीपीएल और गरीब परिवार के बच्चें शिक्षा से जुड सके है नहीं तो वह भी बाल मजदूरी, अशिक्षा और शोषण का शिकार होकर गरीबी के कुचक्र में फंसे रहते। मध्याह्न भोजन योजना के कारण वह शिक्षा के साथ पौष्टिक भोजन भी प्राप्त कर रहे है और दोनों ही चीजे उनके भविष्य को उज्जवल करेगी। इस तथ्य से स्पष्ट है कि सामाजिक विकास में शिक्षा को गरीब वर्ग से जोडने में और बाल विकास में मध्याह्न भोजन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गरीब परिवारों में बच्चों को पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण वह बीमार होते रहते थे, ऐसे में उनके इलाज का खर्च गरीब माता पिता को और अधिक महंगा पडता था। मध्याह्न भोजन योजना से उन्हें पौष्टिक भोजन मिल

रहा है और जिससे वह बीमार नहीं पडते वरन् इससे उनका स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो रहा है। वह बीमार नहीं पडते तो उनके इलाज का खर्च भी बचता है साथ ही एक वक्त के भोजन का खर्च भी बच रहा है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को संवार रही है वरन् गरीब अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रही है। यह तथ्य मध्याह्न भोजन योजना की सफलता को दर्शाता है।

बच्चों को अवकाश दिलवाने के कारणों में बहुत कमी आई है। अधिकांश माता पिता का मानना है कि वह बच्चे को विद्यालय से अवकाश नहीं दिलवाते। पहले वह बच्चों को मजदूरी के काम में या खेती के काम के लिए विद्यालय से अवकाश दिलवा देते थे परंतु अब ऐसा नहीं करते। पहले बच्चा बीमार रहता था तो बीमारी के कारण भी अवकाश दिलवा दिया जाता था। अब बच्चा बीमार कम रहता है तो अवकाश की आवश्यकता भी नहीं पडती है।

अधिकांश माता पिता का मानना है कि मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है। नहीं तो पहले बच्चे को कुछ भी बाजार का खिला दिया जाता था और वह बीमार हो जाता था।

मध्याह्न भोजन योजना के कारण विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमितता बढी है जो न केवल उनके स्वास्थ्य वरन् शिक्षा में बहुत बडा सहयोग साबित

होगी और ऐसा करने में मध्याह्न भोजन योजना का बहुत बडा योगदान है। जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में गरीब वर्ग जुड रहा है और उनके बच्चों को उचित दिशा प्रदान हो रही है।

मध्याह्न भोजन योजना से गरीब तबके का आत्मसम्मान बढा है। मध्याह्न भोजन योजना के बाद गरीब वर्ग माता पिता भी मानसिक रूप से संतुष्ट है। बच्चों को विद्यालय भेजने से एक सामाजिक परिवर्तन यह भी देखने को मिला है कि माता पिता के सामाजिक अंतर्संबंध बढ गए है। बच्चों के दोस्तों के माता पिता से घुलना मिलना हो रहा है। अध्यापको से मिलना हो रहा है। इस प्रकार मध्याह्न भोजन योजना ने एक बडे स्तर पर परिवर्तन किया है जो पूर्णतः अप्रत्यक्ष है।

मध्याह्न भोजन योजना ने अप्रत्यक्ष रूप से बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार करते हुए उसकी सामाजिक स्थिति को सुधारा है, उसकी पारिवारिक प्रस्थिति में बहुत बडा परिवर्तन किया है। जहां पहले लडकी को कभी कभार ही विद्यालय भेजा जाता था अब उसे नियमित विद्यालय भेजा जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना ने बालिकाओं की परम्परागत पारिवारिक प्रस्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित कर दिया है।

मध्याह्न–भोजन योजना के क्रियान्वयन में कई निजी निकायों की संलग्नता से स्पष्ट तौर पर बेहतर प्रदर्शन प्राप्त हुआ है।

योजना के तहत लगभग 120 मिलियन (12 करोड़) बच्चे अब तक कवर किए जा चुके हैं जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालयी भोजन कार्यक्रम बना दिया है। इस प्रकार, सरकार के बहु–पक्षीय दृष्टिकोण ने जबर्दस्त परिणाम दर्शाए हैं।

सरकार की क्रियान्वयन सहयोगी के रूप में अक्षय पात्र और इस्कॉन जैसे संगठनों को नियुक्त कर उनके अनूठे संसाधनों का लाभ उठाने के द्वारा एवं उन्हें यथा–सम्भव रूप से आत्म–निर्भर बनाने हेतु उनके लिए प्रावधान करने के द्वारा सरकार ने हमारे देश के बच्चों की सहायता के लिए पूरे समाज को सफलतापूर्वक संलग्न कर लिया है। ये फ़ाउंडेशन धन–एकत्रीकरण एवं स्वयंसेवा के जरिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।

इससे जिन निजी–सार्वजनिक साझेदारियों को प्रोत्साहन मिला है वे कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई हैं। इन संगठनों के सहयोग से, सरकार योजना के आकार को अति–बृहद स्तर पर ले जाने में सफल रही है।

योजना ने बच्चों पर कई तरीकों से असर डाला है। उपस्थितियाँ बढ़ गई हैं, पढ़ाई के दौरान भूखे रहने की स्थिति में कमी आई है, कुपोषण घटा है और सभी जातियों के बच्चों के बीच घुलने–मिलने को बढ़ावा मिला है।

वैश्विक स्तर पर, भारत सरकार ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम किया है।

मध्याह्न भोजन योजना का लाभ निम्न और गरीब वर्ग को अधिक प्राप्त हो रहा है। राजकीय विद्यालयों में अधिकांशतः कम आय वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन करते है तथा इस योजना का लाभ उठा रहे है।

मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यालय में ड्राप आउट की संख्या में कमी की है। विद्यार्थी भोजन के लिए विद्यालय आते है तथा प्रायः माता–पिता भी इसी कारण अपने बच्चो को विद्यालय भेजते है।

विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। अभिभावक बच्चों को विद्यालय में नामांकित करवा रहे है। इसका प्रमुख कारण मध्याह्न भोजन योजना ही है।

सतत विकास एक पुरानी अवधारणा है परंतु दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इसकी महत्ता पर विशेष बल दिया जा रहा है। ब्रटलैंड के अनुसार ऐसा विकास जिसमें वत्रमान आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढियां भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा भी कोई नई बात नहीं है। समावेशी विकास को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की बात कही गई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना

योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका आदि तथ्यों पर जोर दिया गया है। इस दिशा में कई प्रयास किए गए और समस्याओं के निवारण के लिए कई योजनाओं का संचालन भी किया गया। वर्तमान में मनरेगा जैसी और भी कई रोजगारपरक योजनाऐं प्रभावी रही परंतु इससे शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का विकास नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त गांवों में संरचनात्मक परिवर्तन भी उपेक्षित रहा जिससे पलायनवादिता को बढ़ावा मिला। सतत विकास के लिए स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, उज्जवला योजना जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे है परंतु यह सभी किसी एक आयाम को ही विकसित करते है।

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव सतत समावेशी विकास के कई आयामों यथा शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, बाल श्रम, भावनात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर लक्षित होता है।

प्रस्तुत शोध में समग्र विकास मॉडल को लिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा विद्यार्थियों का चहुंमुखी विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इस योजना के द्वारा शिक्षा, संज्ञान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, भुखमरी निवारण, लैंगिक समानता व महिला सशक्तीकरण जैसे आयामों को बल मिल रहा है।

समग्र विकास मॉडल के शोध से संबंधित आयाम

संज्ञानात्मक विकास संवेगात्मक विकास सामाजिक–सांस्कृतिक विकास शारीरिक विकास शैक्षणिक विकास

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के समग्र विकास में योगदान

1. संज्ञानात्मक विकास – मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को भोजन परोसने, भोजन को गाडी से प्राप्त करने, बच्चों को भोजन परोसने, बर्तनों को साफ रखने, भोजन को भंडारण में रखने की गतिविधियों से बच्चों में जिम्मेदारी उठाने की भावना, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। इससे बच्चों में स्वच्छ आदतों व शिष्टाचार का विकास होता है।

2. भावनात्मक विकास – मध्याह्न भोजन योजना में साथ भोजन करने, भोजन परोसने, बर्तन साफ करने, एक साथ भोजन पाने में सामूहिक भावना व एकता का विकास बच्चों में होता है। जो आज के समय में बच्चों में इनकी कमी आ रही है जिनका विकास मध्याह्न योजना से जुडी गतिविधियों के माध्यम से परोक्ष रूप से हो रहा है। सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण भविष्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातारवरण के निर्माण में और समाज में भाईचारे की भावना और राष्ट्र एकता के विकास में भागीदार होगी।

3. सामाजिक–सांस्कृतिक विकास – मध्याह्न भोजन योजना के कारण माता पिता बालिकाओं को भी शिक्षा हेतु विद्यालय भेजते है जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। बिना जातिगत और लैंगिक भेदभाव के जब विद्यार्थी साथ

में भोजन करते है तो उनमें आपस में सहयोग, मित्रता और प्रेम की भावना बढ़ती है जिससे जातिगत असमानता समाप्त होती है। इसका प्रभाव बच्चों तक सीमित ना रहकर उनके परिवार पर भी पडता है। इससे समाज में स्वस्थ सामाजिक वातावरण का विकास होता है। कार्यक्रम के तहत जब विद्यार्थी समान रूप से एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। जिसके उपरांत विद्यार्थियों में जाति संबंधी पक्षपात को प्रभावहीन करने में सहायता मिलती है। जब बालिका व बालक साथ में बैठकर भोजन करते हैं तो यह स्थिति उनमें जेंडर समानता को विकसित करती है। जैसे विद्यालय सहभागिता में जेंडर संबंधी रिक्तता को कम किया जा सकता है। कार्यक्रम प्रारंभ होने के उपरांत जो महिलायें घर में बैठे–बैठे बोर हो जाती थीं या जिनके परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती थी। इस तरह की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के मध्य उच्च व निम्न वर्ग जैसी भावनाओं को खत्म करने में भी प्रभावी रहा है।

साथ ही इसके तहत विद्यार्थियों में हमारे पुराने संस्कारों के अनुसार मिल कर खोन की आदतों का विकास होता है। इस प्रकार मध्यान्ह भोजन के साथ–साथ सीखने की योग्यताओं में सुधार के लिए स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, लौह तत्व की कमी दूर करना, कमी निवारण आदि के सहयोग से स्कूल के बच्चों की सीखने की क्षमता एवं योग्यता में काफी सुधार लाया जा सकता है।

अतः मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम वहां पर अत्यंत उपयोगी हैं जिन समुदायों में गरीबी व अज्ञानता के कारण उपेक्षित एवं कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है।

4. शारीरिक–मानसिक विकास – मध्याह्न भोजन योजना के कारण बच्चों को उचित पोषण प्रापत होता है जिससे उनमें कुपोषण की समस्या कम होती है और उनका शारीरिक विकास होता है। मध्याह्न भोजन योजना में गरीब बच्चों को उचित भोजन मिलता है। इसमें उनको उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। वह कम बीमार पडते है। वह क्षेत्र जहाँ बच्चों को उचित भोजन नहीं मिलता है उन क्षेत्रों में भी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बच्चों को भरपेट भोजन मिलता है। इससे उनके माता पिता को उनके भोजन की चिंता नहीं करनी पडती है साथ ही बच्चों का ना केवल पेट भरता है वरन् उनका मानसिक स्वास्थ्य भी विकसित होता है। वह पढाई में मन लगाकर काम करते है। इस प्रकार मध्याह्न भोजन योजना शारीरिक और मानसिक विकास में अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से डालता है।

5. शैक्षणिक विकास – मध्याह्न भोजन योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शैक्षणिक विकास भी सम्मिलित है। जिसमें विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाना, ड्राप आउट प्रतिशत को कम करना और विद्यार्थियों को पूर्ण समय विद्यालय में रोकना प्रमुख था। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के साथ मध्याह्न भोजन योजना के कारण विद्यालयों की स्थितियों में विकास हो सकता है। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ होने के बाद विद्यालयों में सफाई व्यवस्था, शौचालयों, पानी की व्यवस्था, फर्नीचर, बिजली की सुविधाऐं बढ़ी है। साथ ही जो शिक्षक विद्यालय नहीं आते थे वह मध्याह्न भोजन योजना के कारण नियमित विद्यालय आते है और पूर्ण समय विद्यालय में ही रहते है। इस

प्रकार एक मध्याह्न भोजन योजना ने शैक्षणिक विकास के कई आयामों को प्रभावित किया है। इसमें शिक्षा की गुणवता, निगरानी समितियों के क्रियान्वयन में विकास, बच्चों की शिक्षा में सुधार, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की जागरूकता आदि में विकास हुआ है।

6. नेतृत्व विकास – विद्यार्थियों के नियमित विद्यालय आने से उनके नेतृत्व विकास पर भी प्रभाव पडता है क्योंकि विद्यालय में नियमित भोजन संग्रहण, परोसने, बैठने आदि से नेतृत्व में वृद्धि होती है।

परिकल्पनाओं की सम्प्राप्तियां

1. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
2. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
3. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
4. मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों तथा छात्राओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
5. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
6. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के शारीरिक–मानसिक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।

7. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
8. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के नामांकन–ड्राप आउट प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
9. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
10. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के शैक्षणिक विकास में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
11. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्रों के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।
12. मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण तथा शहरी उच्च प्राथमिक स्तरीय छात्राओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।

वर्तमान समय से संबंद्धता

वर्तमान समय विकास का समय है ऐसे में वैश्वीकरण और तकनीक प्रभावों ने विकास को नए आयाम प्रस्तुत कर दिए है। ऐसे में आज भी समाज के कई क्षेत्र ऐसे है जहां विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है क्योंकि उन क्षेत्रों में भोजन और शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पाती है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना द्वारा भोजन और शिक्षा की पूर्ति एक ही स्थान पर की जा रही है। ऐसे में इस योजना का आज के विकास में महत्वूर्ण

योगदान है क्योंकि इससे ना केवल शैक्षणिक और शारीरिक विकास हो रहा है वरन् इससे बच्चों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास, शारीरिक, मानसिक हो रहा है। इससे आर्थिक विकास हो रहा है और समाज के हर क्षेत्र पर यथा महिला सशक्तीकरण, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक विकास पर इस योजना का प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव है अतः वर्तमान समय में इस योजना का यथा–संभव समाज के विकास के सभी आयामों संदर्भ में प्रभाव ज्ञात करना पूर्णतः संबंद्धता रखता है।

सुझाव

1. औचक निरीक्षण – शोध में अभिभावकगणों और विद्यार्थियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मध्याह्न भोजन योजना के उचित संचालन के लिए औचक निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

2. भोजन का दैनिक निरीक्षण – शोध में यह भी सुझाव सामने आया कि दैनिक भोजन को अभिभावकगण और शिक्षकों द्वारा चखना चाहिए उनके संतुष्ट होने के उपरांत ही विद्यार्थियों में भोजन का वितरण करना चाहिए।

3. सफाई व्यवस्था – शोध में अभिभावकों व विद्यार्थियों ने यह सुझाव दिया भण्डारण कक्षों और रसाइयों की उचित सफाई की व्यवस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए। यह कर्मचारी या तो विद्यालय स्तर पर अथवा गैर सरकारी संगठन के स्तर पर होना चाहिए।

4. प्रमाण पत्र व्यवस्था – सुझावों में उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वयन के स्तर पर प्रमाण पत्र देना चाहिए और रैंकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें सरकारी स्तर के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावको तथा विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त निम्न सुझाव भी शोध से प्राप्त हुए।

अभिभावकों को भी भोजन की गुणवता ज्ञात करने हेतु नियमित विद्यालय आने का प्रबंध योजना के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।

स्वच्छता हेतु उचित पानी, बर्तन धोने के सामान की व्यवस्था सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर होनी चाहिए।

भोजन उपलब्ध करवाने वाली गाडियों में जीपीएस सिस्टम होना चाहिए जिससे उनकी स्थिति ज्ञात रहे।

बच्चों की शारीरिक आवश्यकता और बीमारी आदि के आधार पर भी भोजन की मात्रा निश्चित की जानी आवश्यक है।

शोधार्थी के अनुसार सुझाव

1. प्रबंधक की नियुक्ति – विद्यालय, ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर तमिलनाडु राज्य की तरह प्रबंधक की नियुक्ति की जानी चाहिए। जिन्हें कार्यवाही करने के अधिकारी भी दिए जाने चाहिए और मध्याह्न भोजन योजना को उचित प्रकार से

संचालित करने के कुछ अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए जिससे योजना में भ्रष्टाचार का अंत किया जा सके।

2. जवाबदेही तय की जानी चाहिए – विद्यालय, जिला और राज्य स्तर पर प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। तमिलनाडु राज्य की तरह विद्यालय स्तर पर डायटीशियन, मैनेजर नियुक्त होना चाहिए। जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना योजना की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार हो। शिक्षकों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक क्षमता प्रभावित ना हो। यदि कोई विद्यार्थी बीमार होता है तो उसकी बीमारी के कारणों की जांच होनी चाहिए। बीमार विद्यार्थी यदि मध्याह्न भोजन के कारण बीमार हुआ है तो इसके लिए जांच समिति को प्रधानाचार्य, गैर सरकारी संस्था, निगरानी तंत्र के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए। विद्यार्थी को इलाज के लिए अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. कॉर्डिनेटर की नियुक्ति – सरकारी स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में विद्यार्थियों और अभिभावको तथा शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों एवं मध्याह्न भोजन योजना के तंत्र के मध्य एक कॉर्डिनेटर केरल व कर्नाटक राज्यों की तरह नियुक्त होना चाहिए जो दोनों तरफ पारदर्शी संवाद का माध्यम बन सके और इससे योजना की कमियों को दूर किया जा सके।

4. स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति – मध्याह्न भोजन योजना में भोजन पकाने वाले, भण्डारण करने वाले, भोजन पहुंचाने वाले आदि लोग अस्थायी अथवा गैर सरकारी स्तर पर होते है। जिससे यह अपनी कोई जवाबदेही नहीं रखते है अतः इन कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए जिससे यह योजना में अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बन सके।

5. वित्तीय प्रबंधन – मध्याह्न भोजन योजना में लगे कर्मचारियो का मानदेय बढना चाहिए। कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाना चाहिए तथा संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान समय पर मिलना चाहिए।

6. आधार कार्ड से जोड़ना – मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति आधार कार्ड से जुडी होनी चाहिए। जिससे मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सके और इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

7. ऑनलाइन डेटा – खाद्यान्न खरीदने, वितरण, खर्च, अनुदान प्राप्ति आदि के पूर्ण तथ्य ऑनलाइन होने चाहिए साथ ऑनलाइन शिकायत केन्द्र होना चाहिए जिससे आमजन को इस योजना के संदर्भ में पूर्ण जानकारी हो तथा वह बिना किसी दबाव के गुप्त रूप से योजना संबंधी शिकायतों से सरकार को सूचित करवा सके। इन शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

8. भोजन परीक्षण हेतु रोस्टर प्रणाली – भोजन परीक्षण की त्रिस्तरीय कमेटी में तीन सदस्य होते है। इनमें एक शिक्षक अनिवार्य होता है परंतु अन्य दो सदस्यों का चयन रोस्टर प्रणाली के अनुसार हो जिससे भोजन परीक्षण में कोई अनियमितता ना रहे। इस कमेटी में बच्चों के अभिभावक, स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

9. भोजन सामग्री की गुणवता – भोजन में प्रयुक्त तेल गुणवता युक्त होना चाहिए। नमक डबल फोर्टीफाइड होना चाहिए। भोजन में अंकुरित चने, मूंग, सलाद आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

10. अन्य कार्पोरेट व दानदाताओं को योजना से जोडे – मध्याह्न भोजन योजना में अन्य कार्पोरेट कंपनियों व दानदाताओं को जोडना चाहिए जिससे इसमें आर्थिक समस्याओं को समाप्त किया जा सके।

11. परिवहन में जीपीएस सिस्टम व्यवस्था – मध्याह्न भोजन योजना में खाद्यान्न व भोजन वितरित करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। जिससे उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू में परिवर्तन होते रहना चाहिए जिससे बच्चों में इसे लेकर कोई ऊब पैदा ना हो। प्रति सप्ताह एक जैसा भोजन करने से बच्चों के लिए यह अरूचिकर हो जाता है। इसलिए भोजन के मेन्यू में नए पकवान और अंकुरित चने, भुने हुए चने,

सलाद आदि खाद्य सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना में अब दूध सम्मिलित कर दिया गया है उसी प्रकार मौसमी फल और रसों का वितरण भी नियमित किया जाना चाहिए। शिक्षा और भोजन के साथ विद्यालयों में शारीरिक गतिविधि संबंधी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए और जो विद्यार्थी इन प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करे उसके लिए विशेष पौष्टिक भोजन व व्यंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रेरित करने के लिए प्रति सप्ताह अथवा माह में 'स्टूडेंट ऑफ मंथ', स्टूडेंट ऑफ क्लास जैसी प्रतियोगिताऐं होनी चाहिए जिसमें बच्चों का ना केवल शैक्षणिक वरन् शिष्टाचारपरक, खेलपरक मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसे बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत कुछ उपहार मिलने चाहिए। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में आगे बढने का अवसर प्राप्त होगा।

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में किया गया है। जिसमें मध्याह्न भोजन योजना के सभी यथा संभव प्रभावी पक्षों पर अध्ययन किया गया है। सामाजिक–सांस्कृतिक विकास में यह योजना प्रभावी रही है। शिक्षा के विकास और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर इस योजना का प्रत्यक्ष प्रभाव तो दृष्टिगत होता ही है साथ ही यह बच्चों में संज्ञानात्मक

और भावनात्मक विकास भी कर रही है। इस योजना का प्रभाव उन बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा पाते थे। इस योजना का प्रभाव बालिका शिक्षा पर भी देखा गया जिससे बालिकाऐं अब नियमित विद्यालय आ रही है। यह योजना गरीब और दलित वर्ग के विद्यार्थियों में आत्मसम्मान बढा रही है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका इस योजना में अद्वितीय है इसमें इस्कॉन और अक्षयपात्र तो बहुस्तरीय कार्य कर रही है। संगठनों के माध्यम से जन सहभागिता के माध्यम से लोगों का कार्यक्रम बनाना तथा कार्यक्रम की क्रियान्वयन को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है तथा अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति इस योजना के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म, स्वादिष्ट तथा बच्चों के स्वादानुसार भोजन उपलब्ध कराना तथा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त कार्यक्रम में ग्राम की गरीब महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है।

मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त विद्यार्थियों हेतु चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाऐं, बालिका शिक्षा की योजनाऐं, बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले बालिका शौचालयों, सडकों का विद्यालय तक निर्माण आदि योजनाओं का भी योगदान शिक्षा के विकास में देखने को मिला है। मध्याह्न भोजन योजना में निगरानी समितियों अपना कार्य नियमित रूप से कर ले तो इस योजना में होने वाली कुछ कमियों को आसानी

से दूर किया जा सकता है। अंततः मध्याह्न भोजन योजना सामाजिक–सांस्कृतिक, बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में प्रभावी रही है। इसका समाज में सामाजिक समानता, आर्थिक और महिला सशक्तीकरण के विकास, बाल श्रम को कम करने और बालिका शिक्षा को बढ़ाने में भी योगदान देखा गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, यू.सी. (2003), सर्व शिक्षा अभियान वृहद लक्ष्य कमजोर प्रयास, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, पृ. 773–775.

2. एजुकेशन एण्ड लिटरेसी (2004), एजुकेशन फार ऑल इंडिया, मार्चेज अहेड, नई दिल्ली।

3. प्रकाश, आनन्द (2011), रीवा जिले में मध्यान्ह भोजन का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का समाधानात्मक अध्ययन.

4. सैमा सिद्धकी (2006), ''यूनिवर्सलाजेशन ऑफ एलीमेंटरी'', ए जर्नल ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, खण्ड 6(2), पृ. 60–62.

5. काजल दीक्षित (2006–07) ''प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक वितरण का नामांकन एवं शैक्षिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन'', लघु शोध ग्रंथ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

6. समता वाजपेयी (2007–08) ''प्रोत्साहन योजनाओं से बालिका शिक्षा के नामांकन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (ग्वालियर जिले के संदर्भ में)'', लघु शोध ग्रंथ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

7. चौधरी, कमलेश कुमार (2009), मिड–डे मील योजना के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, पृ. 48–59.

8. एस. चिटनिस (1974) ''Leteracy and Education Envorlment Among The Schelcastes of Maharastra'', टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई.

9. लीला कंसारा (1977) ''Survey of Basic Education During The Post Thirty Years and Its Effect an Education in General and Society in Particular'', शोध प्रबंध, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मुम्बई.

10. एस.एस. मित्तल (1985) ''Impact of Midday Meals Programe and Enrolment and Attendance at Primary Stage''.

11. एस.सी. चौहान (2003) ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिक्षा का सिंहावलोकन संवैधानिक प्रावधान नीतियां एवं क्रियान्वयन'', भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, अंक 3, पृ. 85–102.

12. तिलकराज पंकज (2005) ''सर्व शिक्षा अभियान और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण विषय का अध्ययन'', प्राथमिक शिक्षा, एनसीईआरटी, त्रैमासिक पत्रिका, अंक 2, पृ. 35–39.

13. परमानंद सिंह यादव (2006) ''वर्तमान शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्राचीन भारतीय शैक्षिक परंपराओं की प्रासंगिकता'', भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, अंक 3, पृ. 75–84.

14. मोतीराम (2006) ''Scheduled Castes Education in India Isssues and Challenges (Research Latter)'', यूनिवर्सिटी न्यूज, ए वीकली जर्नल ऑफ हायर एजूकेशन, अंक 44(13), पृ. 1–5.

15. ज्योत्सना पाण्डेय (2008) ''Expansion of Elementary Education is South Rajsthan with Special Reference To Fribal District'', Department of Education, MS University, Udaypur.

16. आर.आर. सक्सैना एवं एस.सी. मित्तल (1985) ''इम्पेक्ट ऑफ मिड–डे मील्स प्रोग्राम ऑन एनरोलमेंट एवं अटेंडेंस एट प्राइमरी स्टेज'', शोध पत्र, एनसीईआरटी, नई दिल्ली.

17. सुभाष चन्द्र तिवारी (2005–06), ''प्राथमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की क्रियान्वयन समस्या का अध्ययन'', लघु शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

18. सैमा सिद्धकी (2006), ''यूनिवर्सलाजेशन ऑफ एलीमेंटरी'', ए जर्नल ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, खण्ड 6.

19. नेहा पुष्पद (2008–09), ''मध्यान्ह भोजन का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव'', लघु शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

20. प्रियंका भारद्वाज (2010), ''इम्पेक्ट ऑफ मध्याह्न भोजन ऑन गर्वनमेंट प्राइमरी स्कूल एक्टिविटीज विथ स्पेशल रिफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर'', शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

21. मनीष कुमार दीक्षित (2011), ''मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन'', शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

22. राघवेन्द्र सिंह यादव (2012), ''मध्यान्ह भोजनांतर्गत कक्षा–6 के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन'', लघु शोध प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

23. मध्याह्न भोजन स्कीम इन कर्नाटक–ए स्टडी(नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत–2005–06)

24. कुक्ड मध्याह्न भोजन प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल–अ स्टडी ऑव बीरभूम डिस्ट्रिक्ट नाम से एक अध्ययन प्रोफेसर अमर्त्य सेन के प्रतीची रिसर्च टीम (2005)

25. इकॉनॉमिक एन्ड पॉलिटिकल वीकली नामक पत्रिका में प्रकाशित फरजाना अफरीदी के शोध आलेख मध्याह्न भोजनस –द इम्पलीमेंटेशन एन्ड इन्सटीट्युशनल आर्गनाइजेशन ऑव द प्रोग्राम इन टू स्टेट(अप्रैल २००५)

26. राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत सिचुएशन एनालिसिस ऑव मध्याह्न भोजन प्रोग्राम इन राजस्थान

27. अनुराधा दे, क्लेर नोरोन्हा और मीरा सैम्सन, मध्याह्न भोजन स्कीमस् इन दिल्ली–अ फंक्शनिंग प्रोग्राम 2010.

28. गुडे विलियम एण्ड हांट पांल, (1952),, ''मेथ्डर्स इन सोश्यल रिसर्च'', मेक्ग्प्रहिल, न्यूयार्क।

29. मोजर, सी.ए., (1958),''सर्वे मैथ्डस इन सोशल इंवेस्टिगेशन'', द मैक्मलन कंपनी, न्यूयार्क।

30. नेकमाइस चीवा फ्रेंकफोर्ड एवं गुरप्रिरो अन्ना लियोन, (2002),''सोशल स्टेटिक्स फोर ए डाइवर्स सोसाइटी'', पाइन फोर्ग प्रेस, केलिफोर्निया।

शोध पत्र

1. 'एजुकेशनल फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग 2013–14'

2. समाज प्रगति सहयोग नामक संस्था साल २००५

3. योगेन्द्रनाथ मिश्र (2007), ''रिसर्च एण्ड स्टडी'', शिक्षा संकाय विभाग, इलाहबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, खण्ड 58, पृ. 81–85.

4. अमित आनंद (2008), ''शिक्षा एवं वर्तमान भारत वर्ष'', शोध पत्र, क्रांति सूत्र, जम्मू, खण्ड 2(1), पृ. 12–13.

5. उ.प्र.बे.शि.वि. (2006), मध्यान्ह भोजन, संदशिका, पृ. 61.

6. अग्रवाल, रीना (2007), परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति : एक अवलोकन, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष–2 अंक 21.

7. आर्येन्द्र, अमित (2007), प्राथमिक शिक्षा और सरकारी कार्य योजना कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, वर्ष 53 अंक 11, पृ. 10–12.

8. उपाध्याय, देवाशीष (2007), शिक्षा का मूल अधिकार कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, वर्ष 53, अंक 11, पृ. 26–28.

9. श्रीवास्तव, नीतेश कुमार (2007), भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियां, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, प्रकाशक एवं मुद्रक महेन्द्र जैन, पृ. 1696–1697.

10. श्रीवास्तव, मयंक (2007), प्राथमिक शिक्षा बढ़ता प्रयास घटता स्तर कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, वर्ष 23 अंक 11, पृ. 22–25.

11. पाण्डेय, जितेन्द्र कुमार (2007), भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार : दशा और दिशा, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष 53, अंक 11, पृ. 7–9.

12. चौधरी, कमलेश कुमार (2009), मिड–डे मील योजना के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, पृ. 48–59.

13. बैजनाथ पाण्डेय (2007) ''पूर्ण साक्षरता के लिए वरदान : मध्याह्न भोजन'', कुरूक्षेत्र : मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अंक 11, पृ. 13–14.

रिपोर्टस

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कि एक रिपोर्ट (2005)

2. मध्याह्न भोजन स्कीम इन कर्नाटक–ए स्टडी(नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत–2005–06)–

3. द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मीड डे मील स्कीम)–रिपोर्ट संख्या–पीए 13(2008)

4. एम.के. दास (2008), ''वर्क एज्यूकेशन प्रोग्राम अंडर सर्व शिक्षा अभियान'', इंडियन एजूकेशनल रिव्यू, नई दिल्ली, खण्ड 44(1), पृ. 137–159.

5. सीएजी द्वारा प्रस्तुत द परफार्मेंस ऑडिट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन(मध्याह्न भोजन स्कीम)–रिपोर्ट संख्या–पीए 13 (2008)

अंग्रेजी संदर्भ

1. MHRD (2004-05), Anuual Report Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi

2. Dr. Savita Kaushal A Study of Best Practices in the Implementation of Mid-Day-Meal Programme in Rajasthan, National University of 3. Educational Planning and Administration 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi

4. MDM_RTI-_2005_Revised_15-09-2014 Proof

5. Planning Commission, 2010; 'Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal,' Programme Evaluation Organization, PEO Report No. 202, Planning Commission, GOI.

6.MHRD,2011;"MidDayMealScheme,"http://education.nic.in/elementary/mdm/index.htm, accessed on 12-12-2011.

7. Khera, R., 2006; 'Mid Day Meals in Primary Schools,'*Economic and Political Weekly*, Vol. 41, No. 46.

8. GOI, 2004; 'Guidelines of Revised National Programme of Nutritional Support to Primary Education [Mid Day Meal Scheme],' http://education.nic.in/, accessed in 2007.

9. GNCTD, 2000; 'Evaluation Study Report on Mid Day Meal Programme,' Government of N.C.T. of Delhi (GNCTD), Planning Department, March.